खण्ड-488, अंक-4
सोमवार, 05 फाल्गुन, शक संवत् 1935
(24 फरवरी, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2014)

(खण्ड 488 में 6 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-5
प्रश्नोत्तर	7-39
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्यारे लाल शाक्य, श्री छेदी लाल, श्री गया सिंह, श्री सलीम हामिद खां, श्री हेम चन्द्र निमेष, श्री जगन्नाथ खन्ना, श्री बुद्धूराम, श्री रघुनाथ सिंह वर्मा पटेल, श्री जगदीश नारायण, श्री महेश प्रसाद, श्री मोहन सिंह, श्री रमाकान्त द्विवेदी, श्री तेज बहादुर सिंह, श्री समर पाल सिंह, श्री झामलाल अहेरवार, श्री बलवीर सिंह, श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण पाण्डेय, श्री राजाराम किसान, श्री बलदेव सिंह, श्री पृथ्वी सिंह 'विकसित' तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र के निधन पर शोकोद्गार	40-46
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	46-47
जनपद मेरठ के कतिपय मार्गों के जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
जनपद हमीरपुर नगर में ट्रकों से हो रही अवैध वसूली को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47-48
विधान सभा क्षेत्र निघासन की भारत-नेपाल सीमा में सतर्कता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद रायबरेली के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा वर्ष 1962, 65, 71 एवं 99 के युद्ध के शहीदों के नाम से प्राथमिक एवं अन्य विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	48
जनपद सुल्तानपुर में तहसील लम्भुआ में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	48-49
जनपद झांसी के पारीछा तापीय विद्युत परियोजना के 22 कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत रामायण डोभ पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49-50
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा ग्राम सभा नेबुआ रायगंज में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र ईसानगर में अक्तयापुर चौराहे से बरारी तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50-51
जनपद शाहजहांपुर में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कतिपय लम्बित कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद आगरा की रजब रोहता नहर पर पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52
सिद्धार्थनगर, बस्ती, सन्तकबीर नगर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया तथा गोरखपुर आदि पूर्वी उ0प्र0 के 07 जनपदों के बीच अन्तर्जनपदीय मेट्रो रेल प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52-53
जनपद बुलन्दशहर अन्तर्गत ग्राम हिरनौटी से वैर तक सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
उ0 प्र0 में यमुना नदी पर अवस्थित सभी शहरों में सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	53-54
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	54-55
संविधान के अनुच्छेद 202 के अन्तर्गत वर्तमान सत्र में वार्षिक आय-व्ययक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	55-58
मा0 मंत्रियों को विभाग आवंटित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	59-61
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा वर्ष 2014 की डायरियों के कैलेण्डर में हिन्दी भाषा का प्रयोग न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न..	61
श्री गजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा को जान से मारने की धमकी फोन पर दिये जाने विषयक व्यक्तिगत प्रकरण	61-63
मुजफ्फरनगर घटना में नामित सदस्य सुरेश राणा को विशेष सुरक्षा प्रदान किये जाने की मांग	63-65

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र, 2013 (दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 से 10 दिसम्बर, 2013 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण...	65
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-42/ग्यारह-9(1)/2008-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(108)-2014, दिनांक 10 जनवरी, 2014 (सदन के पटल पर रखी गई)	65
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-187/ग्यारह-9(1)/2008-उ0 प्र0 अधि0-30-2007-आदेश-(109)-2014, दिनांक 12 फरवरी, 2014 (सदन के पटल पर रखी गई)	66
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-188/ग्यारह-9(1)/2008-उ0 प्र0 अधि0-30-2007-आदेश-(110)-2014, दिनांक 12 फरवरी, 2014 (सदन के पटल पर रखी गई)	66
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का सप्तम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	66
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत शाहदरा के निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री जान मोहम्मद आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	66
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर अन्तर्गत एत्मादपुर से बरहन होते हुये आंवलाखेड़ा तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री विष्णु कुमार त्यागी आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	67
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत कस्बे के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु खराब पड़े नलकूपों को सही कराये जाने विषयक श्री केशव निमेष आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	67
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत टेढ़ी बगिया से जलेसर रोड स्थित नाई की सराय तक के मार्ग के दोनों ओर नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री करमवीर भारती आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	67

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नथुआपुर एवं ग्राम पंचायत बरौरा के मध्य वारा नाले पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री विजय वर्मा आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	67
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत पुवायां शाहजहांपुर मार्ग से महानन्दपुर होते हुये ग्राम ताहरपुर तक क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री आगा खां आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	68
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत बीसलपुर शाहजहांपुर मार्ग पर गुरगवां से पराझरसा होते हुए बरैचा तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	68
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हमजापुर एवं डींग के मध्य कैमुआ नाले पर बने जर्जर पुल का पुनर्निर्माण तथा ग्राम पंचायत बरैचा एवं ग्राम पंचायत रतूली के मध्य कैमुआ नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री पातीराम वर्मा व श्री राजपाल पाल निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	68
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत किरावली-कागारौल मार्ग (किरावली रेल फाटक) पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने विषयक श्री ओमकार सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	68-69
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत अछनेरा-भरतपुर मार्ग पर स्थित गौबरा-हसैला में नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुधाकर उपाध्याय आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	69
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत किरावली-कागारौल मार्ग में 2 कि0मी0 पर स्थित नहर के पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुभाष आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	69
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	69-70

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित एवं जारी)	70-71
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित)	71
उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित)	71
नियम-56 में की गई चर्चा की पुनरावृत्ति श्री राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के समय न किये जाने का श्री अध्यक्ष का अनुरोध... ...	72
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	72-73
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा अपराध के बढ़ते ग्राफ से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम-56 की सूचना पर श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय बोलने की अनुमति दिये जाने का सुझाव	73-75
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित) ...	75-80
जे0पी0 विश्वविद्यालय, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014 (पारित) ...	80-99
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (जारी)	99-145
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	145-146

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-266

1. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
3. अजय मिश्र 'टेनी', श्री लखीमपुर खीरी
4. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
5. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
6. अताउररहमान, श्री बरेली
7. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
8. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
9. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
10. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
11. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
12. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
13. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
14. अमित गौरव यादव, श्री एटा
15. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
16. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री बाराबंकी
17. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
18. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
19. अरूण कुमार, डा0 बरेली
20. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती कानपुर नगर
21. अलगू प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
22. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
23. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
24. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री लखीमपुर खीरी
25. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
26. अशफाक अली खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
27. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
28. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
29. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
30. आलमबदी, श्री आजमगढ़
31. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
32. आशा किशोर, श्रीमती छत्रपति शाहूजी महराज नगर
33. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
34. आशीष यादव, श्री बदायूं
35. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
36. इकबाल, श्री बिजनौर
37. इकबाल महमूद, श्री भीमनगर
38. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
39. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
40. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
41. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
42. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
43. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
44. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
45. उदयराज, श्री उन्नाव
46. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
47. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
48. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
49. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
50. ओम कुमार, श्री बिजनौर

51. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
52. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
53. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
54. काली चरन सुमन, श्री आगरा
55. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
56. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
57. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
58. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
59. कैलाश, श्री गाजीपुर
60. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
61. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
62. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
63. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
64. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
65. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
66. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
67. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
68. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
69. गोमती यादव, श्री लखनऊ
70. गोरख पासवान, श्री बलिया
71. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
72. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
73. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
74. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
75. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
76. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
77. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
78. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
79. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
80. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
81. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
82. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
83. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
84. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
85. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
86. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
87. दलजीत सिंह, श्री बांदा
88. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
89. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
90. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
91. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
92. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
93. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
94. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
95. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
96. धर्मराज, श्री बाराबंकी
97. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
98. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
99. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
100. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
101. नारद राय, श्री बलिया
102. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
103. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
104. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
105. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
106. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
107. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
108. पीतमराम, श्री पीलीभीत
109. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
110. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
111. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
112. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
113. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
114. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
115. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद

116. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
117. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
118. ''फसीहा मंजर''
''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
119. फेरन लाल, श्री ललितपुर
120. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
121. बदलू खां, श्री उन्नाव
122. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
123. बाबू खां, श्री हरदोई
124. बाबूलाल, श्री गोण्डा
125. बावन सिंह, श्री गोण्डा
126. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
127. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
128. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
129. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
130. बैजनाथ, श्री मऊ
131. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
132. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
133. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
134. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
135. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
136. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
137. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
138. मनबोध, श्री देवरिया
139. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
140. मनीष रावत, श्री सीतापुर
141. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
142. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
143. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
144. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
145. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
146. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
147. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ
झीन बाबू, श्री सीतापुर
148. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
149. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
150. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
151. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
152. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ
ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
153. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
154. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
155. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
156. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
157. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
158. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
159. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
160. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
161. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
162. यासर शाह, श्री बहराइच
163. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
164. योगेश प्रताप सिंह
'योगेश भइया', श्री गोण्डा
165. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
166. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
167. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
168. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
169. रणजीत सुमन, श्री एटा
170. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
171. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
172. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
173. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
174. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
175. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
176. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
177. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
178. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
179. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
180. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी

181. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
182. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
183. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
184. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
185. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
186. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
187. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
188. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
189. राम करन आर्य, श्री बस्ती
190. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
191. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
192. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
193. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
194. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
195. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
196. राम मगन, श्री बाराबंकी
197. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
198. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
199. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
200. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
201. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
202. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
203. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
204. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
205. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
206. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
207. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
208. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
209. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
210. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
211. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
212. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
213. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
214. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
215. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
216. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
217. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
218. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
219. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
220. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
221. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
222. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
223. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
224. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
225. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
226. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
227. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
228. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
229. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
230. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
231. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
232. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
233. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
234. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
235. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
236. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
237. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
238. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
239. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
240. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
241. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
242. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
243. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
244. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
245. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर

246. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री	गाजीपुर
247. सियाराम सागर, डा0	बरेली
248. सीमा, श्रीमती	जौनपुर
249. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
250. सुदामा प्रसाद, श्री	महराजगंज
251. सुधाकर, श्री	मऊ
252. सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
253. सुनील कुमार लाला, श्री	लखीमपुर खीरी
254. सुब्बा राम, श्री	गाजीपुर
255. सुभाष पासी, श्री	गाजीपुर
256. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
257. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
258. सुरेश राणा, श्री	प्रबुद्धनगर
259. सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
260. सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा
261. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
262. सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
263. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
264. हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद
265. हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
266. हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गत वर्षों में हुए दंगों एवं उसको रोकने के उपाय

*01-श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री प्रदीप माथुर, डा0 मो0 अयूब, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य तथा डा0 अरूण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 में कितने दंगे हुए और उसमें कितने लोगों की मौत तथा घायल हुये हैं ? क्या सरकार दंगों को रोकने के लिए कोई नीति बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अवधि	साम्प्रदायिक दंगों की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
2009-10 (01-04-09 से 31-03-10 तक)	01	--	28
2010-11 (01-04-10 से 31-03-11 तक)	--	--	--
2011-12 (01-04-11 से 31-03-12 तक)	--	--	--
2012-13-14 (01-04-12 से 15-02-14 तक)	04	73	155

जी हां।

प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम के लिए योजनाबद्ध रूप से प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु शासन द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिनांक 16-05-2012 को निर्गत किये गये हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव एवं समरसता को सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश दिनांक 08-09-2013 द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की भावना के प्रतिकूल कार्यवाही करने में सक्षम तत्वों को तत्परता से चिन्हित करते हुए उनकी निषेधात्मक गिरफ्तारी को अमल में लाये जाने, जिन स्थानों पर साम्प्रदायिक घटनायें घटित हुयी हैं, वहां समुचित रूप से निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए अराजक तत्वों की तत्काल गिरफ्तारी किये जाने, शान्ति समितियों की बैठकें आयोजित किये जाने, शहरी तथा

ग्रामीण क्षेत्रों के साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किये जाने, प्रत्येक संवेदनशील स्थान पर समुचित पुलिस व्यवस्था का पिकेट सुनिश्चित किये जाने तथा सी0सी0टी0वी0/वीडियो कैमरा आदि इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी रखे जाने आदि के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। साथ ही साथ त्योहारों के अवसर पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 05-10-2013 द्वारा भी आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मूल प्रश्न दंगों से था कि क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 में कितने दंगे हुए हैं और उसमें कितने लोगों की मौत हुई हैं तथा कितने लोग घायल हुए हैं। मान्यवर, इस उत्तर में केवल साम्प्रदायिक दंगे बताये गये हैं कि साम्प्रदायिक दंगे कितने हुए। मेरा मूल प्रश्न था दंगों से। चूंकि भारतीय संसद ने भी और गृह मंत्रालय भारत सरकार ने भी बताया था कि 103 दंगे अभी तक हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। इससे प्रदेश की ख्याति पर बहुत ही असर पड़ता है। देश की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है तो मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये और दंगे कौन से हैं जो बार-बार उल्लेख किये जाते हैं कि 103 दंगे हुए हैं तथा ये जो 4 साम्प्रदायिक दंगे 2013-14 में हुए हैं, ये कहां-कहां हुए हैं और इसमें अलग-अलग कितने लोगों की मौत हुयी हैं और कितनी क्षति हुयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, वैसे तो जब दंगे की बात आती है तो जाहिर है आमतौर पर उत्तर प्रदेश में या देश भर में यही माना जाता है कि ये जानकारी साम्प्रदायिक दंगों के बारे में ही ली जा रही है और उसी को मद्देनजर रखते हुए यह प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यह बिल्कुल सही है लेकिन यह भी सही है कि अन्य दंगों में जो दंगे होते हैं, उसे दंगा न कहकर जो आपसी मनमुटाव के कारण जो स्कफल्ज हो जाते हैं या झगड़े हो जाते हैं जिनमें कोई साम्प्रदायिक भाव नहीं होता, धर्म का भाव नहीं होता। किसी मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरिजा को लेकर नहीं होता, जाति के आधार पर नहीं होता, उसमें कोई हत्या नहीं हुयी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा मूल प्रश्न यह था, वह टेण्टिटिव एजेण्डा जो 22 तारीख को निकला था उसमें और आज 31-1-14 को जो मेरा दूसरा प्रश्न था, वह इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि इसकी पुनरावृत्ति हो गयी। मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न था कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर दंगों में हुयी जन व धन हानि का प्राप्त विवरण क्या है और प्रभावित कितने परिवारों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? मान्यवर, यह मूल प्रश्न था और यह ऊपर प्रश्न बिल्कुल दूसरा है। हमने एक पर्टीकुलर घटना का नाम देकर उसको पूछा था और हमारे प्रश्न के आगे तो यह लिख दिया गया कि पुनरावृत्ति के आधार पर इसको निरस्त कर दिया गया। मान्यवर, अब वह पुनरावृत्ति कब हुयी, कितने दिन का सत्र हुआ और कितना, कब दिया गया। यह समझ में नहीं आता और ऊपर वाले

प्रश्न में ही हमारा नाम जोड़ दिया कि इसमें जो कुछ पूछना हो इसी में घालमेल करके जो कुछ करना हो कर लो। मान्यवर, यह जो कार्यालय का है, मैं इस पर केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह भी व्यवस्था चाहता हूं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति अगर न हो तो मैं आपका आभारी होऊंगा। मगर दूसरी बात जो हमारे प्रश्न में उल्लिखित है जिसके बारे में मैंने जानकारी चाही थी कि कितनी जन व धन की हानि हुयी तो जन की हानि तो जो उत्तर हमें मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, उसकी तो जानकारी मिल गयी लेकिन धन की कितनी हानि हुयी और किसको कितना-कितना मुआवजा दिया गया, इसकी जानकारी नहीं मिल पायी। मान्यवर, हम जरूर चाहेंगे कि यह जानकारी दी जाये, नम्बर एक। नम्बर दो मान्यवर इसके लिये जो लोग दोषी पाये गये ऊपर के अधिकारी लोग जिनकी लापरवाही की वजह से यह दंगा हुआ, अगर वह सतर्कता बरतते तो यह दंगा टाला जा सकता था। खासतौर से मुजफ्फरनगर की बात के ऊपर कह रहा हूं कि उन लोगों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? मान्यवर, यह आपके माध्यम से जानना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, दो प्रश्न हैं आपके। एक तो किसको कितना मुआवजा मिला और कितने लोग ऐसे थे जिनको मिलना चाहिये था उनकी सूची। चूंकि मूल प्रश्न में नहीं था इसलिये उत्तर नहीं है लेकिन आपको इसका उत्तर मिल जायेगा विभाग से कि कितने लोगों को कितना मुआवजा दिया गया है। वह कौन लोग हैं यह सूची आपको उत्तर आने दीजिये इसमें जल्दबाजी न करिये और कोशिश यह करिये कि प्रदेश जितना शान्त चल रहा है उतना ही चलता रहे। दूसरा प्रश्न है आपका एक तो मुआवजे के सिलसिले में और दूसरा.....

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह हुआ, उनके खिलाफ कार्यवाही क्या हुई ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जिन अधिकारियों की जो जिम्मेदारी थी, जिसने भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है, सरकार ने उनके खिलाफ कार्यवाही की है। सख्त कार्यवाही भी की है और क्योंकि मामला अदालत में भी है, सुप्रीमकोर्ट में है मामला, इसलिए बहुत सी कार्यवाहियां सुप्रीमकोर्ट की उस, क्योंकि वहां से हमें भी नोटिसेज हैं तो उस बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं बता पायेंगे।

श्री नीरज 'कुशवाहा' मौर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुपूरक करने की अनुमति दी मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इसमें जो जवाब आया है, सरकार का कि दंगा होने के बाद शासनादेश जारी किये गये, दंगा होने के बाद उसको रोकने की कार्यवाही की गयी, लेकिन सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं बताई गई कि दंगा कहां होने की सम्भावना है जो हमारी खुफिया एजेन्सयां हैं, उनके माध्यम से कहां से सूचनाएं मिल रही हैं ? मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो हमारी खुफिया एजेन्सी हैं, क्या उनका आधुनिकीकरण करके पहले से दंगा सम्भावित इलाके को इस तरह बनाया जाए कि वहां पर दंगा न होने पाये, इस पर क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी, विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

ये आपका सुझाव है, मा0 मंत्री जी इन्होंने एक सुझाव दिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बिल्कुल सही जिज्ञासा है आपकी और ये केवल इसी सरकार का मामला नहीं है। आपकी सरकार के जमाने में भी ये समस्याएं रही हैं। ये सही है कि इस सिस्टम को बहुत चुस्त-दुरुस्त किये जाने की जरूरत है। बहुत सी चीजें हमें उस वक्त मालूम होती हैं जब हो चुकती हैं फिर उस वक्त सिवाए हाथ मलने के कुछ हाथ नहीं आता। इस पर भी जो समिति बनी थी और जी0ओ0 जारी हुए हैं उनमें सुधार किये गये हैं और सुधारों की जरूरत है और होना चाहिए और उस पर सरकार काम कर रही है।

श्री सुरेश कुमार राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जनपद मुजफ्फरनगर में शाहपुर ब्लाक में वसी गांव है, बहुत सारे लोग वहां सीधे रूप से दंगे से प्रभावित हुए हैं जो पुनर्वास नीति आई है, मुआवजे की, उस सूची में उनका नाम नहीं है। आज भी उनमें से बहुत सारे लोग मुजफ्फरनगर में ही गांधी कालोनी में रह रहे हैं। अनेक सामाजिक संस्थाएं उनके आवास की व्यवस्था कर रही है। क्या सरकार उनके लिए भी पुनर्वास नीति के अन्तर्गत मुआवजे की व्यवस्था करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह बात बहुत पहले साफ कर दी गयी थी कि दंगों में जो भी लोग प्रभावित हुए हैं, उनका धर्म और जात नहीं देखी गयी थी, न उक्त वक्त, न आज। जो भी लोग प्रभावित हैं, जैसे-जैसे प्रमाण मिलता जाता है, वैसे-वैसे उनकी मदद की जाती है। आगे भी होगा, तो उनकी मदद होगी, लेकिन प्रभावित होना जरूरी है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसी संदर्भ में मेरे द्वारा पिछले विधान सभा सत्र में एक प्रश्न किया गया था। उसका उत्तर मुझे मान्यवर, मिला था, किन्तु उसकी प्रति मेरे पास अभी नहीं है। वह सवाल मैंने दिया था कि उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए ? उस समय साम्प्रदायिक दंगे हुए, उस समय मुझे जो सूचना मिली थी, वह लगभग 27 दंगों की सूचना मिली थी, आज उत्तर में मिल रहा है कि 4 दंगे हुए थे। मान्यवर, समाचार-पत्रों के माध्यम से आप इसका संज्ञान नहीं लेंगे, लेकिन आम जनमानस में है कि 100 से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में इन विगत डेढ़-दो वर्षों के अन्तर्गत हुए हैं, मान्यवर, जो पिछला उत्तर था और जो आज का उत्तर है, इन दोनों में विरोधाभास है अगर वो हो चुके थे तो बाद में उनकी संख्या कैसे कम हो गई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर वह भ्रामक हैं, जिसको मा0 मंत्री जी कहते हैं तो उसको वे मना करें, जनमानस के अन्तर्गत जिस प्रकार का एक वातावरण है कि बहुत सारे दंगे हो रहे हैं, उसको स्पष्ट करें और पिछले उत्तर और इस उत्तर में क्यों अन्तर है, इसका जवाब मा0 मंत्री जी आपके माध्यम से दें।

श्री अध्यक्ष-

देखिए पिछला उत्तर तो यहां पर उपस्थित है नहीं और न उसकी कोई कापी होगी। आज जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर दिया गया है। अगर आप चाहें तो इसको दूसरे नियमों में हमें दें। हम उसको दिखवा लेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसी पर रेलीवेन्ट प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

हां, इसी पर रेलीवेन्ट प्रश्न पूछ लें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं इसी पर रेलीवेन्ट प्रश्न पूछ लेता हूं। श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके अनुसार चार दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। मान्यवर, जो आपसी मन-मुटाव होता है जैसे कोई तनाव गाय काटने के कारण हो गया तो उससे तनाव उत्पन्न होता है क्या उसको भी आप दंगे की श्रेणी में मानते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्रीमन् बहुत से मसले होते हैं गुजरात में दंगे हुए, वह सबको पता है मान्यवर, जहां भी कानून-व्यवस्था का सवाल उठता है चाहें वह इन्सान को काटने का हो या जानवर को काटने का हो उस मामले में कानून अपना काम करेगा सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मंत्री जी ने गुजरात का हवाला दिया और मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आप इस पर सख्ती करें। मान्यवर, किसी की गाय गुम हो गयी किसी की भैंस गुम हो गयी और उसकी बाद में काट दिया गया हो उसके कारण तनाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार की घटनायें न हों जिससे तनाव उत्पन्न होता है सरकार उनको रोकने के लिए सख्त कदम उठायेगी। ऐसे मामलों में सरकार शीघ्रता से कार्यवाही करेगी ताकि ऐसी घटनाओं को बढ़ावा न मिल सके। इस प्रकार की जो घटनायें घटित होती हैं क्या सरकार उनको साम्प्रदायिक दंगा मानती है या नहीं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

श्रीमन् मैं कुत्ते के पिल्ले से लेकर चीते की जीवन-रक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना है कि जो आई0पी0सी0 की धारा-345, 346 है उस पर कार्यवाही करने की बात है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि साम्प्रदायिक सद्भाव रहना चाहिए इससे हम सब सहमत है। श्रीमन् जहां पर साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करना आवश्यक है वहां पर सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। मान्यवर, जो संवेदनशील क्षेत्र है जो चिन्हित है उनके बारे में आपने उपाय बताये हैं। हम चाहेंगें कि उन उपायों को तात्कालिकता के साथ लागू किया जाना चाहिए। मान्यवर, गृह विभाग का एक शासनादेश है जिसमें जिला परामर्श समिति में माननीय विधायकों के साथ प्रतिमाह में एक बार बैठक किये जाने की बात है। मान्यवर, उसकी बैठकें नहीं हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश देने का कष्ट करें कि जिला परामर्श समिति की बैठक प्रतिमाह अवश्य हो और उसमें माननीय विधायकों को आमंत्रित किया जाय।

दूसरी बात जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे अवश्य लगवायें जाएं जो लोगों की गतिविधियों पर निगरानी रख सकें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्रीमन् जो आपने बैठकों का जिक्र आपने किया यह जब शुरू हुई थीं तो उसके नतीजे अच्छे आये थे। फिर धीरे-धीरे उन बैठकों में माननीय सांसदों की उपस्थिति कम होती चली गयी। उन मीटिग्स में दूसरे लोग आने लगे जो पुलिस की सूची में होते हैं। इसी तरह से माननीय विधायक भी उन बैठकों में कम आने लगे जिस कारण उन बैठकों का महत्व बिल्कुल खत्म हो गया था। आपने कहा कि फिर से वह बैठकें हो यह सही है कि उससे जनता का लाभ होगा। इस तरह की मीटिंगों की शुरूआत की जायेगी और की जानी चाहिए।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, स्वाभाविक रूप से यह बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है। मुजफ्फरनगर में घटना हुई वह साम्प्रदायिक दंगा है या नहीं है। यह बताने का काम करें। मान्यवर, चार महीने का समय बीत जाने के बाद भी, उस दंगे को हुए, हजारों शरणार्थी उन शिविरों में अपनी जिन्दगी जी रहे हैं। सरकार उनके पुर्नवासन की व्यवस्था कब तक सुनिश्चित कर लेगी ? और साथ ही साथ मान्यवर, विगत सत्र में आपके ही समक्ष इसी सरकार में इसी दंगे से सम्बन्धित जवाब, उत्तर दिया था 27 दंगे का और आज उत्तर आ रहा है 4 दंगे का, आई0बी0 की रिपोर्ट के मुताबिक 115 दंगे हुए हैं, सही क्या है ? क्या संसदीय कार्यमंत्री जी स्थिति को स्पस्ट करना चाहेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह जो आई0बी0 की रिपोर्ट है उनकी रिपोर्ट है वह तो यहां है नहीं, जो आपका प्रश्न था उस पर उनका उत्तर आ गया इतने दंगे हुए अगर इसमें कोई त्रुटि है तो आपको बहुत से नियमों में प्राविधान है उसके अन्तर्गत आप सूचना देंगे उसे हम दिखवा लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, पुनर्वासन सरकार के बस में है अभी भी एक-दो-तीन सैकड़ों में नहीं हजारों की तादाद में लोग अभी भी राहत शिविरों में शरणार्थी की जिन्दगी गुजर बसर कर रहे हैं और 4 महीना बीत जाने के बाद भी जो वहां के खौफजदा माहौल को इंगित करता है। क्या कारण है कि राहत शिविरों में रह रहे पीड़ित परिवार अभी तक अपने घरों में वापिसी करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं ? क्या सरकार इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए उनके पुनर्वासन की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया कि जो भी होंगे और जहां जानकारी होगी। सबका पुनर्वास कराया जायेगा, इसके पहले उत्तर आ गया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो प्रश्न किये गये और उत्तर आये उसी से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है। यह आई0बी0 की रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट होती है और उसकी जानकारी निश्चित रूप से शासन को होती है हमको मीडिया के माध्यम से जानकारी हो या और किसी माध्यम से जानकारी हो लेकिन

उसकी अधिकृत जानकारी निश्चित रूप से शासन के पास होती है। नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को कहा, माननीय उप नेता हमारे सतीश महाना जी ने उस बात को कहा। इन्होंने भी एक फीगर एक संख्या दी, आपने भी एक संख्या दी आखिर क्या बात है ? आपने कहा जो मान्यवर, आब्जरवेशन था कि वह हमारे पास में नहीं है सवाल तो इनसे हैं इनकें पास तो सब कुछ है इनके पास में पहले जो उत्तर आया वह भी है और तैयारी करने के लिए अधिकारी भी हैं और अगर अधिकारी आकर के इतनी निर्भीकता से गलत बात बताते हैं और गलत ब्रीफिंग करते हैं वह पुरानी प्रोसीडिंग लेकर भी नहीं आये हैं पुरानी कार्यवाही लेकर भी नहीं आते हैं कि प्रश्न पर सवाल पूछे जा चुके हैं और सवालों का उत्तर भी आ चुका है और आई0बी0 की रिपोर्ट में 155 या कितने दंगे आ चुके हैं उसके बाद में यह कह देना कि हमारे पास में जानकारी नहीं है मान्यवर, फिर इस प्रश्न का क्या होगा ? यह तो औपचारिक मात्र होगी। प्रश्न का इसका महत्व क्या रह गया ? सरकार की जानकारी है कि जो सरकारी सूत्रों से सरकारी एजेंसी से जानकारी उनके पास में आई है उस जानकारी को सदन को जरूर अवगत कराये, जानकारी के आधार पर। स्पेसिफिक सवाल किया माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और स्पेसिफिक सवाल किया हमारे सतीश महाना जी ने और इसके बाद में उत्तर तो आना चाहिए आप भी अगर संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी आप बैठे, तब बोले।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, उत्तर उधर से भी आ जाने दें कभी-कभी।

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर देना उनका काम है मैं किसी को कम्पेल नहीं कर सकता। माननीय आप भी इस पीठ पर रहे हैं इसीलिए आप सारी चीजों से अवगत है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह इतने सक्षम मंत्री हैं इनके पास सब जानकारी है। देना न चाहे वह अलग बात है। इनके पास जानकारी पूरी है और यह जानकारी जितना देना चाहते हैं उतनी देते है। मेरा आपसे आग्रह है कि जितनी जानकारी देनी चाहिए उतनी दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, जो प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया वह आपके बीच में हैं। आपके पास अगर इससे इतर जानकारी है और सरकार उसे छिपा रही है तो हमारी नियमावली में बहुत नियम है, उसके अन्तर्गत दीजिए, उसमें विचार हो जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हजारों की तादाद में आज भी लोग शरणार्थी की जिन्दगी गुजर-बसर कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप नहीं थे माननीय मंत्री जी ने कह दिया जितने लोग हैं सबके पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है जानकारी में पहले आ गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, कहां आ गया ? 4 महीने बीत जाने के बाद आज तक अभी राहत शिविरों में हजारों की तादाद में लोग शरणार्थी की जिन्दगी जीने को मजबूर हैं। मान्यवर, जो इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि सरकार की जो मौन स्वीकृति है। उन दंगा पीड़ितों को खुले आसमान के नीचे रहने के लिये मजबूर हालत सरकार द्वारा पैदा किया जा रहा है। आज यह सरकार वोटों की राजनीति करने के लिये हिन्दू मुसलमानों को दो पार्टों में बांटने की कोशिश कर रही है और हिन्दू मुस्लिम दंगे करा रही है और 115 दंगे सरकार की इस नीति का खुलासा करते हैं। यह सरकार दंगाइयों की सरकार है। दंगा कराने वालों की सरकार है। मान्यवर, उत्तर नहीं आया है, हमने पुनर्वासन की मांग की है, उसका उत्तर नहीं आ रहा है।

(यह कहते हुए श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया।)

(इसी मध्य श्री राम करन आर्य द्वारा बीच में खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, दंगों में इनके लोग भी शामिल हैं। उनको बचाने का यह तरीका है। इनके बड़े-बड़े नेता शामिल हैं। उन पर मुकदमें भी कायम हैं। वह गिरफ्तार भी हुये, वह एन0एस0ए0 में जेल भी गये, इसलिये उन्हें बचाने का यह तरीका है ताकि दंगाइयों को बचाया जा सके । यह कब से मुसलमानों के हमदर्द हो गये, उनके जख्मों को कुरेदने वाले, उनकी बेटियों को मारकर थाने के बाहर टांगने वाले, यह कब से हमदर्द हो गये । मुसलमानों की शैक्षिक संस्थाओं पर बुलडोजर चलवाने वाले, 5 साल तक जौहर यूनिवर्सिटी का कामकाज रोकने वाले, मुसलमानों को जाहिल रखने वाले, नंगा भूखा रखने वाले यह कब से मुसलमानों के हमदर्द हो गये ।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों की कानून व्यवस्था पर सूचना लगी है, मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपने स्थानों पर चलें ।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस गये)

(प्रश्न संख्या-3, माननीय श्याम देव राय चौधरी (दादा) जी का नाम पुकारे जाने पर तथा श्री सुरेश राणा के खड़े होने पर)

अब प्रश्न बहुत हो गया। अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर जो कहना हो, कह लीजियेगा। इसके अलावा कानून व्यवस्था पर सभी दलों ने सूचना दिया है, उस पर भी बात होगी।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि इनके लोग भी दंगे में शामिल हैं और उनके ऊपर भी एन0एस0ए0 की कार्यवाही हुयी । उसी विषय पर मेरा सवाल है। कांग्रेस पार्टी, बसपा पार्टी के एक भी व्यक्ति के खिलाफ सरकार द्वारा एन0एस0ए0 की कार्यवाही नहीं की गयी है। जबकि खुद संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि वह दंगे में शामिल हैं।

इससे यह स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन इस दंगे को लेकर है और मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये, अब कोई सवाल नहीं ।

श्री सुरेश राणा-

कि क्या सरकार उनके खिलाफ एन0एस0ए0 की कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये ।

(पुनः प्रश्न संख्या-3 माननीय श्याम देव राय चौधरी (दादा) जी का नाम पुकारे जाने पर)

(संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया)

(श्री हुकुम सिंह जी के खड़े होने पर)

माननीय हुकुम सिंह जी, जब सदन अव्यवस्थित था तो माननीय मंत्री जी ने एक बात कह दी, वह प्रश्न का उत्तर नहीं है। सारे दलों ने नियम-56 में कानून व्यवस्था पर सूचना दी है, उसमें आप जो चाहियेगा, अपनी बात कहियेगा ।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, सवाल बात करने का नहीं है। बात करने की यह है कि जो सरकार की ओर से कहा गया । माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपके आदमी भी इन दंगों में शामिल थे, उनके खिलाफ भी एन0एस0ए0 की कार्यवाही की जा रही है। अगर माननीय सदस्य कुछ जानना चाहते हैं, आखिर कौन लोग हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई अब तक क्या हुई और क्या कार्रवाई की जायेगी, यह बात भी अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। सवाल आया है इनके उत्तर से, सवाल पैदा किया है सरकार ने।

श्री अध्यक्ष-

आप सुन लें, किसी सवाल के उत्तर में यह सवाल नहीं आया, सदन अव्यवस्थित था, ये लोग नारा लगा रहे थे तो उन्होंने कह दिया, इसलिए इसका उत्तर तो बनता नहीं है और यह सवाल बनता ही नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

अगर सदन अव्यवस्थित था तो उस समय जो सरकार की ओर से कहा गया वह कार्यवाही का हिस्सा रहेगा या नहीं, मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी देखिये, सदन अव्यवस्थित था, ये लोग नारा लगा रहे थे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपने भी सुना, हमने भी सुना, सबने सुना, इन्होंने कहा कि आपके आदमी भी दंगे में शामिल थे, उनके खिलाफ भी एन0एस0ए0 की कार्रवाई की जायेगी, यह बात सबने

सुनी और यह कार्यवाही का हिस्सा बना। तो हम यह जानना चाहते हैं कि वह कौन लोग हैं और अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हमारे खिलाफ तो आपने एन0एस0ए0 लगा दिया हमारे दो विधायकों को तो आपने जेल में बन्द कर दिया। आप इस बात को खुद मान रहे हैं कि ये लोग भी शामिल थे तो आखिर सदन को क्यों नहीं जानकारी देते कि कौन लोग शामिल थे। मान्यवर, अगर हमारे अधिकारों का संरक्षण नहीं होगा तो हम लोग कहां जायेंगे।

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था नहीं होती, प्रश्नकाल में आप ही कहते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं होती और आप प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति ही नहीं देते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, हमारा व्यवस्था का प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित है कि जब मान्यवर, आपने प्रश्न सं0-3 पुकार लिया।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्य सदन के वेल में आ गये और अपनी बात कहते हुए नारे लगाने लगे।)

श्री सतीश महाना (सदन के वेल से)-

समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश को दंगे में झोंकना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की है।

(सपा, बसपा, कांग्रेस-आई के सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, आपका भी हो गया, उनका भी हो गया, अब आप लोग अपने-अपने स्थानों पर चलें। आपकी बात आ गई, आपने कह दिया, अब आगे बढ़ने दीजिए क्योंकि आपके ही मा0 सदस्य का प्रश्न है। अब हो गई बात, जब नियमों में नहीं आता तो कैसे सुनेंगे। अभी तो महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा है और भी चर्चाएं हैं उसमें सारी बातें आ जायेंगी, इसलिए आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। व्यवस्थित सदन में कोई प्रश्न करे तब उस पर अनुपूरक पूछा जा सकता है वह प्रश्न से सम्बन्धित बात थी ही नहीं तो उस पर आप कैसे अनुपूरक पूछ लेंगे। जब वह उस प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न ही नहीं था, हम प्रश्न नम्बर-3 पर बढ़ गये तो उस पर अब नहीं पूछा जा सकता है। आप स्वयं भिज्ञ हैं और नियमों को जानते हैं, नियमों में वह प्रश्न से सम्बन्धित ही नहीं था, उन्होंने टिप्पणी कर दी अब उस टिप्पणी पर अनुपूरक पूछते हैं तो टिप्पणी पर अनुपूरक पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फिर से दीजिए, प्रश्न लगा दीजिए तो उसके बारे में जानकारी हो जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

प्रश्न अभी-अभी उपजा है, अभी-अभी आपके और सदन के संज्ञान में आया है तो उत्तर अभी आना चाहिए कि कौन लोग दंगे में शामिल हैं जिनके खिलाफ आपने अभी तक कार्रवाई नहीं की है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग अपने स्थान पर चलें, तमाम नियमों में आपको पूछने का, कहने का हक है, यह तो प्रश्न ही नहीं बनता। .....

(वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे)

अगर प्रश्न के उत्तर में आता तो आप जवाब मांगते, प्रश्न का उत्तर था नहीं कि इसमें आप कैसे अनुपूरक पूछेंगे, उसमें कोई अनुमति नहीं है। मैंने तीसरा प्रश्न ले लिया, इसलिए अब इस पर कुछ नहीं।

(सत्तापक्ष के एक सदस्य द्वारा कुछ बोलने पर)

मा0 सदस्य आप क्यों बोल रहे हैं, आप तो शांत हो जाइये।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया (वेल से)-

मान्यवर, इस प्रदेश को चलाना है तो केवल मुस्लिम वोटों से नहीं चलेगा, वोटों की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तुष्टिकरण की नीति नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, अपनी सीट पर चलिये।

श्री सतीश महाना (वेल से)-

अध्यक्ष जी, आप इसका उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप खुद जानते हैं कि वह किसी प्रश्न का उत्तर नहीं था। प्रश्न का उत्तर होता तो आप अनुपूरक पूछते।

श्री सतीश महाना (वेल से)-

मान्यवर, अगर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी किसी प्रकार का कोई वक्तव्य देते हैं तो वह कार्यवाही का अंग माना जाता है और उस पर प्रश्न करना हमारी जिम्मेदारी है, उस पर स्पष्टीकरण मांगना हमारी जिम्मेदारी है। इस विधान सभा में हम सबकी उपस्थिति में संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा जो कार्यवाही का अंग बना उसमें उन्होंने कहा कि ये शामिल थे। हमें उसका उत्तर चाहिए कि कौन लोग थे और नहीं थे तो मा0 मंत्री जी कहें कि शामिल नहीं थे। स0पा0 और ब0स0पा0 दोनों मिले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब, प्रश्न प्रहर चले या रुक जाए, आपकी क्या राय है ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी से उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक या प्रश्न का उत्तर होता तो अलग बात थी लेकिन किसी टिप्पणी पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। अगर प्रश्न का उत्तर होता तो अनुपूरक पूछ सकते थे। उत्तर था ही नहीं तो अनुपूरक कैसे पूछेंगे ?

श्री सतीश महाना (वेल से)-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[x x x] नहीं यह सच नहीं है। यह है सच, जो आप सुनना चाहते हैं, यह है सच। [x x x] जो नहीं बनने दिया गया।

(वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाने लगे।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना (वेल से)-

माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस के अधिकारियों की एक रिपोर्ट आयी है।...

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, अपनी सीट पर जाइये, वहां से बोलिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी-अभी पुलिस के अधिकारियों की एक रिपोर्ट आयी है, अखबारों का हम लोग संज्ञान नहीं लेते। उसमें साफ-साफ इस बात को इंगित किया गया है कि अगर मुजफ्फरनगर के दंगे में, कवाल खास वाले मामले में अगर मुल्जिमों को थाने से न छोड़ा गया होता तो वह दंगा हरगिज न होता। मुल्जिमों को थाने से छोड़ा गया ...

श्री हुकुम सिंह-

वह छुड़वाया किसने ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसलिए मान्यवर, वह दंगा हुआ। वह छुड़वाया किसने ?

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(अध्यक्ष ने 11 बजकर 38 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी, 11 बजकर 48 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है।)

(11 बजकर 53 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने सम्बन्धी जानकारी

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग को अपराध रोकने में अधिक दक्ष बनाने हेतु क्या सरकार पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश में पुलिस विभाग को अपराध नियंत्रण में अधिक दक्ष बनाने हेतु कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रकरण पर यथोचित एवं सुविचारित प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर यथासमय विचार किया जायेगा।

लागू नहीं।

प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रकरण में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अध्ययन/प्रस्ताव तैयार करने हेतु डा0 देवेन्द्र सिंह चौहान, अपर पुलिस महानिदेशक, दूर संचार, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रकरण पर शासन में यथोचित सुविचारित प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर यथासमय विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब प्रश्न का उत्तर आ गया था सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछने के लिये । प्रश्न संख्या-2 था, उत्तर आ चुका था, अनुपूरक पूछना था। प्रश्न 3 ले लें, 4 ले लें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, प्रश्न संख्या-3 ले लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न पूछ लें, उत्तर तो दे चुके थे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार..

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मैं आ गया हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

नहीं आपका सवाल नहीं है। आप बैठिये। श्यामदेव राय चौधरी जी का सवाल है।

श्री सतीश महाना-

यही श्यामदेव राय चौधरी हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अच्छा यह हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, सरकार ने बहुत स्पष्टता से दोनों सदनों में यह स्वीकार किया है कि प्रदेश में लगातार अपराधों में बढोत्तरी हो रही है। इसको देखते हुए हमने यह प्रश्न लगाया था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या जिन प्रदेशों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है वहां उत्तर प्रदेश की तुलना में या अन्य प्रदेशों की तुलना में अपराध कम होते हैं ? ऐसी कोई जानकारी सरकार को है, अगर है तो यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

इसकी कहां सूचना होगी कि जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, वहां अपराध कम हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मेरी मन्शा यह है कि अपराध कैसे कम हो। पुलिस जो अभी है, जो सिस्टम अभी लागू है आई0पी0सी0 सी0आर0पी0सी0 के अर्न्तगत जो भी लागू है, उसके पास पर्याप्त अधिकार है लेकिन फिर भी क्या कमी है जिसके कारण अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और किसी भी सरकार के लिये अपराध पर अंकुश लगाना प्राथमिक उत्तरदायित्वों में से एक है ? तो क्या जिन प्रदेशों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है वहां जो यहां की प्रणाली है पुलिसिंग की उससे बेहतर है। मेरी यह जिज्ञासा है। अगर है, तो इसके गुण-अवगुण पर विचार किया जाय और निर्णय लिया जाय। तो प्राइमाफेसी क्या इसकी जानकारी सरकार को है कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर यहां के जो अपराध की स्थिति है उसमें कमी आयेगी, या आ सकती है ?

श्री अध्यक्ष-

इसमें लिखा है कि प्रदेश में पुलिस विभाग को अपराध नियंत्रण में अधिक दक्ष बनाने हेतु कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रकरण पर यथोचित एवं सुविचारित प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर यथासमय विचार किया जायेगा। तो यह तो विचार करने के लिये तैयार हैं तो आप पूछ रहे हैं कि क्या वहां कम होते हैं, तो इसकी सूचना कहां होगी। दूसरा कोई प्रश्न करिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

अध्यक्ष जी, आप मुझे कहते हैं कि मैं तकनीकी हूं लेकिन आप इतना टैक्नीकली घुमा दे रहे हैं। मैं तो बहुत सीधे-सीधे यह जानना चाहता हूं कि अगर यह गुण अवगुण पर विचार करने के बाद पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई प्रदेश में तो क्या वर्तमान स्थिति से वह अलग बेहतर स्थिति आयेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह कैसे बता पायेंगें। जब लागू होगा तब ही तो पता चलेगा। कैसे अंदाजा लगा लें। यह सवाल नहीं बनता। कोई दूसरा सवाल पूछिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

अध्यक्ष जी, आप तो सरकार को बताइये कि मेरी भावना क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री आपकी भावना बेहतर समझते हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

आप मेरी मदद करें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

हम आपकी मदद करते हैं। मान्यवर, यह पूछना चाहते हैं कि अगर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होती तो क्या कानून सुधर जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

यह बताइये, बिना लागू हुए कोई कैसे बता पायेगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

सरकार क्या यह मानती है कि सुधर जायेगा, यह पूछना चाह रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, अभी हो सकता है थोड़ा शब्दों का कोई अंतर हो रहा है जिससे माननीय मंत्री जी नहीं खड़े हो रहे हैं। मैं सीधे-सीधे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जैसा अभी मैंने कहा कि सरकार ने दोनों सदनों में स्वीकार किया कि अपराध नियंत्रण में सरकार विफल हो रही है और लगातार उसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। लगातार उसमें बढ़ोत्तरी हो रही है क्या यह प्रश्न आया सरकार के सामने कि कमिश्नर प्रणाली लागू करने से हम ज्यादा सक्षम होंगे ? मान्यवर, मेरा भी यही प्रश्न है कि अगर आप ज्यादा सक्षम होंगे तो इसमें आप यह कह सकते हैं कि अभी लागू नहीं किया तो कैसे कह दें कि सक्षम होंगे या नहीं सक्षम होंगे ? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों में जहां कमिश्नर प्रणाली लागू है वहां क्या उत्तर प्रदेश की तुलना में कम अपराध होते हैं ? वहां क्या अपराध कम करने में कमिश्नर प्रणाली ज्यादा प्रभावी है ?

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल, मैं आपको उपदेश तो नहीं दे सकता लेकिन अगर इसको आप इस तरह से पूछते कि जहां कमिश्नर प्रणाली लागू है वहां क्या अपराध कम हो रहे हैं क्या इस प्रणाली का लाभ यह प्रदेश उठायेगा ? इस तरह से आप सवाल पूछते।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

यही कर दें। आजम खां जी आप ज्यादा समझदार हैं आप बेहतर समझते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

दादा हम सबके दादा हैं आज मुझे मन से बड़ा कष्ट हो रहा है कि आज दादा को भी मदद की जरूरत पड़ रही है। खुद अपने दल के लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं, कांग्रेस से भी उनको मदद मिल रही है। तो कहीं शेर बूढ़ा तो नहीं हो रहा है ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

सरकार आपकी मदद के बिना नहीं चल पा रही है तो मैं क्या हस्ती रखता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपकी मदद तो वहां तक से हो रही है।

मान्यवर, जो असल जिज्ञासा है आपकी, उसमें सरकार इस विचार में है कि इस पर विचार किया जाएगा। आपकी जानकारी में, मैं यह लाना चाहूंगा कि देश के 17 बड़े जिलों में यह सिस्टम लागू है उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं यह बात सही है। हमारे यहां किन कारणों से यह नहीं हुआ यकीनन इस पर विचार भी है और उस पर भी विचार है कि क्यों नहीं हुआ लेकिन आपने अपने प्रश्न के शुरू में ही यह बात कही कि हमारा कानून सक्षम है। हमारी सी0आर0पी0सी0 सक्षम है तो कानून तो हमारा सक्षम है लेकिन आप कोई भी व्यवस्था लागू कर दें, अगर लागू करने वाले लोग, अगर उसे लागू करने में कहीं शिथिलता बरतते हैं तो कोई कानून प्रभावी नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में इसी की कोशिश सभी सरकारें, जो अब तक रही हैं उन्होंने की है और इसी सिस्टम को बेहतर बनाया है लेकिन अभी जो पुलिस वीक हुआ था सभी पुलिस अधिकारी जमा हुए थे, मा0 मुख्य मंत्री नेता सदन की अध्यक्षता में, उन्होंने अपने भाषण में इस बात की तरफ इशारा किया है कि इस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी और इस पर विचार होगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, एक प्रश्न मेरा था, सरकार का यह कहना है कि कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रकरण पर यथोचित और आधिकारिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो डी0जी0पी0 हैं रिजवान अहमद जी उन्होंने शायद एक जनवरी को कार्यभार ग्रहण किया और इसी संदर्भ में एक जनवरी को उन्होंने बहुत स्पष्ट बयान दिया उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू करने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं ए0डी0जी0 रेलवे था तब एक कमेटी बनाई गई थी और मैंने प्रस्ताव बनाकर मा0 मुख्य मंत्री जी को रिपोर्ट सौंप दी, उन्होंने यह भी कहा कि मा0 मुख्य मंत्री का मत इस बारे में बहुत सकारात्मक है मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार कह रही है कि प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार करेगी। डी0जी0पी0 महोदय यह कह रहे हैं कि मैंने प्रस्ताव सरकार को तब दे दिया जब मैं ए0डी0जी0पी0 रेलवे था क्या सरकार को वर्तमान डी0जी0पी0 रिजवान अहमद जी की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ था या नहीं ? अगर मा0 डी0जी0पी0 ने कोई प्रस्ताव, तत्कालीन ए0डी0जी0पी0 ने कोई प्रस्ताव दिया था तो क्या उस प्रस्ताव को सार्वजनिक करना चाहिए था ?

क्या उन्हें उस प्रस्ताव को सार्वजनिक करना चाहिए था या नहीं और अगर प्रस्ताव सार्वजनिक कर भी दिया तो क्या संवैधानिक रूप से उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय मुख्य मंत्री का हवाला देकर सार्वजनिक रूप से यह कहें कि मा0 मुख्य मंत्री का रुख इस बारे में सकारात्मक है। क्योंकि जवाब यह कहता है कि कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। अर्थात् डी0जी0पी0 जो कह रहे हैं, स्वाभाविक रूप यह सदन की कार्यवाही है, यह सही है, यही अन्तिम है तो उनका कहना गलत है। दोनों के बीच में कहीं न कहीं साम्य नहीं है और डी0जी0पी0 एक सामान्य पद नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति में अपनी मंशा स्पष्ट करे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बिल्कुल मंशा स्पष्ट थी और वही मैंने स्पष्ट कर दी है और आपने जो जानकारी दी है, इस बारे में भी जानकारी ले लेंगे, दिखवा लेंगे।

प्रदेश में कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण हेतु धनराशि का प्राविधान

*04-श्री सुरेश राणा-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल चहारदीवारी योजना के अन्तर्गत अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी न होने की जानकारी उनके संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार कब्रिस्तानों की चहारदीवारी बनाये जाने की नीति के अनुसार अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी भी करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मौजूद अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा हेतु नीति बनाते हुए शासनादेश निर्गत किया गया है, जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 300 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं छोटे-छोटे दो प्रश्नों के द्वारा मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं, एक तो जवाब में आया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा हेतु 2013-14 में रु0 300 करोड़ का प्राविधान किया गया है। एक तो मेरी जिज्ञासा यह है कि वर्ष 2013-14 में कितने अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण इस प्रावधान के अन्तर्गत हुआ है और दूसरा मेरा यह कहना है कि मा0 मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री हैं, प्रभावी मंत्री हैं और हम सब जानते हैं कि हमेशा सद्भाव बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें विषय आया है कि अवैध कब्जा, भूमि की सुरक्षा हेतु नीति बनाते हुए शासनादेश निर्गत किया गया है तो क्या प्रदेश भर में जो बहुसंख्यक समाज के अन्त्येष्टि स्थल हैं, क्या सरकार उनकी भी चहारदीवारी बनाने पर विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस प्रश्न को और मेरे उत्तर को भी अन्यथा न लिया जाए क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में कब्रिस्तान शहरों के अन्दर हैं, आबादियों के अन्दर हैं, उसमें मुस्लिम आबादी भी है और अन्य धर्म के लोगों की आबादियां भी हैं और उन कब्रिस्तानों से उन रहने वालों को कुछ अच्छा नहीं लगता था। इसलिए यह महसूस किया गया कि उनकी बाउन्ड्री वाल्स हों और क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हैं और यह भी सही है कि जो कब्रिस्तान शहरों के अन्दर आ गए उन कब्रिस्तानों में लोगों ने नाजायज कब्जे किए। मेरे यहां तो मदरसा भी बना हुआ था, लेकिन इस्लामिक शरीयत के हिसाब से कब्रिस्तान में न तो मस्जिद बनायी जा सकती है और न मदरसा बनाया जा सकता

है, लिहाजा मदरसा हटाया गया तो इस तरह कब्जों को भी रोकने की कोशिश हो रही है। यह बिल्कुल सही है और इसमें हम कोई सफाई नहीं देंगे कि जितनी तादाद में अन्त्येष्टि स्थल बनने चाहिए थे, उसमें रुकावट इसलिए आयी है, मैं फिर कह रहा हूं कि इसे अन्यथा न लें, आप जो लिस्ट दे देंगे, वह सब बन जायेंगे। परेशानी यह आ रही है कि जहां अच्छे बने हुए हैं, मैं तो अपने शहर की मिसाल देता हूं, जब हम अपने यहां बनाने चले तो उन्होंने कहा कि आजम भाई आप देख लीजिए कि जैसी दीवारें हमारी बनी हैं, आप तो ऐसी बनाकर नहीं दे रहे हैं तो हमारी दीवारें मत गिराइये। मान्यवर, उसका स्वर्ग-धाम नाम है।

यह भी विडम्बना रही है हमारी कि जब मेरा बहुत गरीब दोस्त वहां जल रहा था और उसकी लकड़ी कम पड़ रही थी तो बार-बार लकड़ी मंगाई जा रही थी। कोई न कोई साथी वहीं पर अपने पैसे से मंगाते थे। और मुझसे कहा गया कि मैं यहां सांसद निधि से गैस से जलाने वाला प्लांट लगवा दूं। वह मैंने लगवा दिया । लेकिन उसमें एक साहब ने भी शिरकत नहीं की और यह कहा गया कि देखो जलने में भी चाहता है कि जल्दी से जल जाये। तो मेरा तकरीबन 28-30 लाख रुपया बिलकुल बेकार चला गया । तो वहां हमारी बहुत अच्छी दीवारें बनी हैं मसलन माइनारिटी में सिक्ख साहेबान हैं, या जैन साहेबान हैं उनकी दीवारें अच्छी हैं और जाहिर है कि उस क्वालिटी की या उतनी मजबूत उतनी ऊंची उतनी भरी हुयी, हम यह भी आपको बताना चाहेंगे कि कब्रिस्तानों की जो हमने दीवारें बनवायी, जो पहला डिजाइन हमारे पास आया वह बिलकुल बंद दीवारों का था। कोई अखलाकी जुर्म न हो दीवारें बनने के बाद, लिहाजा उसे रि-डिजाइन किया गया और उसे इस तरह बनाया गया कि कोई भी शख्स कब्रिस्तान में छुप न सके, नजर आये कि अंदर कौन है और क्या हो रहा है। फिर यह बात आयी कि यह ईंटों का बना हुआ है ऐसा न हो कि लोग तोड़कर इसकी ईंटों को ले जायें तो फिर उसे आर0सी0सी0 के ब्लाक्स बनाकर उसे बनाया गया। तो क्योंकि मांग इस तरह बहुत कम थी और तादात यकीनन कम है। लेकिन जहां भी कोई मांग होगी या है अपने तौर पर भी काफी पहले मैंने आदेश जारी किये हैं। कुछ जगहों पर काम शुरू हो गया है नतीजा नहीं दे पा रहे हैं इसलिए हम आपको कोई तादात नहीं बता पायेंगे। लेकिन हमारे मा0 सदस्य कहीं के भी अगर अंत्येष्टि स्थलों की लिस्ट देंगे तो वह फौरी तौर पर शुरू कर दी जाएगी। लेकिन उसमें जाहिर है उन लोगों की सहमति जरूर चाहिए होती है जो उसकी कमेटी के मेम्बर होते हैं।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी नगर विकास मंत्री भी हैं और संविधान के 73-74वें संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका, नगर पंचायतों पर जिम्मेदारी है अंत्येष्टि स्थल के रख-रखाव की। तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कम से कम जो नगरीय क्षेत्र में अंत्येष्टि स्थल हैं क्या मा0 मंत्री जी उनकी चाहरदीवारी करायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

बिलकुल करायेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी मैं इसमें साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने यह अच्छा काम किया, अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि जो लिखकर दे दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

लिखकर नहीं दे दें आप सिर्फ जानकारी दे दें कि कहां की कमेटी उसको बनवाने के लिए राजी है क्योंकि अगर कमेटी रोकती है तो फिर परेशानी आती है। कब्रिस्तान के लिए भी और इसके लिए भी, जहां का मालूम होगा बनवाया जाएगा।

श्री सतीश महाना-

आपको मैंने लिखकर दिया था और वहां पर जो स्थानीय अधिकारी इस व्यवस्था को देखते हैं उनको भी कहा था। तो उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि इसमें जो शासनादेश जारी किया गया है उसमें केवल अल्पसंख्यक लिखा गया है। अल्पसंख्यकों में जैसे जैन आते हैं, सिक्ख आते हैं जैसाकि आपने यहां पर कहा उसका उद्धरण दिया। तो उनके लिए मान्यवर, अलग से शमशानघाट नहीं होता है। चाहे जैन हों, चाहे सिक्ख हों, चाहे हिन्दू वर्ग के विभिन्न-विभिन्न मतान्तर के लोग हों वह सब एक ही जगह पर जाते हैं। मान्यवर, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इनका जो शासनादेश है, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिकता पर बनायें। मैंने देखा है जहां पर आपने बनाये हैं जिस प्रकार के बनाये हैं उसकी मैं तारीफ करता हूं मैंने देखा भी है। तो मान्यवर, मेरा एक प्रश्न तो यह है कि इस प्रकार का शासनादेश कर दें कि जो भी अगर कमेटी इस प्रकार से कहेंगी और वहां पर उसके लिए स्थान है तो उसे बनवा दें। दूसरा मान्यवर, जहां पर अतिक्रमण है। जैसे गौरा कब्रिस्तान के नाम से बहुत सारे इसको आर्कियोलिजिकल सर्वे आफ इंण्डिया ने भी इसको मानुमेंट के रूप में दिया है। तो इस प्रकार के स्थान हैं जैसे ईसाईयों के लिए गौरा कब्रिस्तान है। वहां पर जो अवैध कब्जे हैं तो क्या मा0 मंत्री जी उन अवैध कब्जों को हटाकर अगर मैं उनकी जानकारी दूंगा, वहां पर भी बाउंड्रीवाल बनवाने की कृपा करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बहुत से अवैध कब्जों को हटाने में हमारे ही अपने साथी सामने आ जाते हैं। अब वह किसी भी दल के हों जिनका वहां से राजनीतिक लेनादेना होता है वह कब्जों को हटाने नहीं देते। यह सिर्फ कब्रिस्तान या शमशान की बात नहीं है। सड़कें चौड़ी करना है या रास्ते निकालने हैं उसमें भी होता है। तो मैं उसे भी दिखवाऊंगा और इस पर भी विचार करेंगे, जो बात आपने कही है कि सारे ही लोग उसमें जलाये जाते हैं चाहे वह जिस धर्म के हों, तो इस तरह के मामले में भी अलग से देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम एक सवाल मा0 मंत्री जी से जानना चाहते हैं। गोरखपुर के बढ़हलगंज में सरयू नदी के किनारे आधे नगर पंचायत की जमीन पर और आधे ग्राम सभा की जमीन पर एक मुक्तिपथ नाम से शवदाह स्थल है और अपनी तरह का वह दुनिया का एक अनूठा स्थल है। मा0 पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी भी वहां पर जा चुके हैं। मैं यह जानना चाह रहा था कि वह जो जमीन थी, वह भारत सरकार से जुड़ी हुई थी और पिछले 40 वर्षों से वहां पर शवदाह हो रहा था, इसको जनता ने डेवलप किया था। अब भारत सरकार ने उसको लिख करके दे दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि अब हमें इस जमीन की आवश्यकता नहीं है और हमने यह लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से पत्राचार किया है कि नगर विकास से जुड़ी 45 बीघा जमीन है तो उसकी चहारदीवारी करा दी जाय और भारत सरकार एन0ओ0सी0 दे चुकी है,

उसे अब इस जमीन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या सरकार उस मुक्तिपथ की चहारदीवारी करायेगी और उसका पूरी व्यवस्था नगर पंचायत अपने जिम्मे लेगी, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं इस मामले को अलग से दिखवा लूंगा, आपको आश्वस्त कर रहा हूं और मेरे पास यह फाइल आ जानी चाहिए जो भी आपने चाहा है, उसको पूरा करने के लिए जो भी मुमकिन होगा, करेंगे।

जनपद आगरा में यमुना नदी के रा-वाटर को शोधित कर जलापूर्ति की व्यवस्था

*5-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी से आगरा महानगर को पेयजल आपूर्ति की जाती है ? क्या यह भी सही है कि उक्त जल में कैडमियम और लैड की मात्रा सामान्य से काफी गुना अधिक बढ़ जाने के कारण जहरीला हो गया है जिसको पीने से किडनी व लीवर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिये कोई ठोस कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आगरा नगर में जलापूर्ति यमुना के रा-वाटर को शोधित करने के उपरान्त की जाती है।

जी नहीं।

नागरिकों को आपूर्तित जल की जांच जलकल विभाग में स्थापित प्रयोगशाला में प्रतिदिन की जाती है, जो मानक के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त ''स्टेट हेल्थ इन्स्टीट्यूट, लखनऊ'' से भी जांच कराई जाती है, रेजीड्यूल क्लोरीन टैस्ट जलकल विभाग, नगर निगम आगरा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा टैस्ट प्रतिदिन किया जाता है।

आगरा शहर की पेयजल समस्या स्थाई समाधान हेतु ''आगरा जल सम्पूर्ति (गंगाजल) परियोजना'' के बुलन्दशहर से 130 कि0मी0 लम्बी पाइप डालकर आगरा को जलापूर्ति करने का कार्य कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया जा रहा है।

परियोजनान्तर्गत समस्त कार्यों को दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, जवाब पढ़ा हुआ मान लें, तो समय बच जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी एक लाइन उत्तर पढ़ दें, उसके बाद पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा।

(श्री मोहम्मद आजम खां, मा0 मंत्री नगर विकास विभाग द्वारा एक लाइन पढ़ा गया उत्तर, पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, विश्व पटल पर आगरा अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है और यह भी सच है, आगरा में जो पेयजल आपूर्ति होती है, कच्चे जल का स्रोत यमुना नदी है, आज के समय में यमुना नदी में भयावह प्रदूषण की स्थिति है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

एक मिनट आप बैठ जायं, मैं आपको जानकारी दे दूं, आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपके सवाल की ही मदद के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि समय बहुत कम है आपकी जानकारी में अब सिर्फ प्रश्न करना है तो कर लो, लेकिन यदि चाहते हो कि पूरे प्रदेश की जानकारी में आ जाय, क्योंकि जो यमुना का है, एक तो यह 2040 तक का हमने प्लान बनाया है और यह 2014 में दिसम्बर, बल्कि 2016 में यह काम पूरा हो जायेगा। यमुना से इस वक्त 144, 225 एम0एल0डी0 पानी मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा पानी नहीं है, वही पिया जा रहा है, लेकिन हल्का सा उसमें कलर भी है और क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वही पिया जा रहा है इस वक्त। जो अब पानी आपको हम देने जा रहे हैं, उसमें पूरे पानी की जो जरूरत है वह 360 एम0एल0डी0 की है और 260 एम0एल0डी0 हम इस वक्त दे रहे हैं और 2016 तक हम तकरीबन 600 एम0एल0डी0 आपको देंगे और वह इतना अच्छा पानी होगा कि उसकी बोतल भर कर बाजार में लाई जा सकती है, बेटर देन बिसलोरी वाटर वह ऐसा पानी होगा, लेकिन यह गंगा का पानी कहलायेगा, इसका हम एक ब्राण्ड नेम भी देंगे।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बात 2016 की हो रही है, जिस प्रोजेक्ट की मा0 मंत्री जी बात कर रहे हैं यह 2007 में शुरू हुआ था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह 2014 में पूरा हो जायेगा, 2007 में शुरू हुआ था, 05 साल आपने गुजार दिये बेकारी के।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं तात्कालिक आवश्यकता की बात कर रहा हूं, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो आज भयावह स्थिति है, मैं 2016 की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है 2016 तक शुद्ध पानी आगरा को देंगे, लेकिन आज जो भयावह स्थिति है, मा0 अध्यक्ष जी उसके लिए मैं आपके द्वारा मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या मा0 मंत्री जी एक उच्च स्तरीय समिति प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास के नेतृत्व में भेजकर आगरा की समस्या का निदान करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 2014 में 144 एम0एल0डी0 का प्लाण्ट चालू हो जायेगा, इस वक्त भी वह चल रहा है, लेकिन उसका तजुरबा हो रहा है, एक्सपेरिमेण्ट चल रहा है। देखिये आपने पांच साल तो इसी में गवां दिये कि इससे काम करायें या उससे करायें, हमने दो साल में इतना बड़ा रिजल्ट ला दिया, ये काम आप कर लेते तो जय-जयकार हो जाती आपकी, कहां करा लिया आपने, काम ही नहीं होने दिया .....

श्री मोहम्मद आजम खां-

काम ही नहीं होने दिया, काम ही नहीं होने दिया। अब काम हुआ दो बरस में तो काम हुआ तो देख लें आप। सब कुछ होगा।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कब शुरू करा रहे हैं इसे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

2014 में, 144 एम0एल0डी0 आपको बहुत उम्दा बिसलेरी वॉटर देंगे और वह गंगा जल होगा, वह गंगा जल होगा। वह गंगा से ही ट्रीटमेण्ट करके, सीवर ट्रीटमेण्ट वाला पानी है कि सीवर का पानी खेती के लिये दे दिया। जो गंगा का पानी होगा उसको ट्रीटमेण्ट करके देंगे और यह असल गंगा जल होगा जिसे बोतल में भरके भेज दीजियेगा लन्दन में।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

अतारांकित प्रश्न

01-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[1ले बुधवार के अता0प्र0सं0-74 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अलीगढ़ में मानकों के अनुरूप पुलिस कर्मियों/अधिकारियों की तैनाती की मांग

02-श्री दलवीर सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2013 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-28 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में मानक के अनुरूप कितने पुलिस कर्मियों व अधिकारियों की आवश्यकता है तथा इनकी तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जनपद अलीगढ़ में पुलिस बल की मानक के अनुसार आवश्यकता, उपलब्धता एवं रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :-

मानक के अनुसार आवश्यक पुलिस बल की संख्या (पदवार)	निरीक्षक ना0पु0	उ0नि0 ना0पु0	मु0आ0 ना0पु0	आरक्षी ना0पु0	कन्सोल आपरेटर	चतुर्थ श्रेणी कर्मी
	30	267	890	3853	60	90
जनपद में उपलब्ध पुलिस बल की संख्या	36	161	38	1647	60	90
पुलिस बल की रिक्ति की संख्या	--	106	852	2206	--	--

वर्तमान में प्रचलित सीधी भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया के उपरान्त चयनित कर्मियों के उपलब्ध होने पर उक्त रिक्तियों की पूर्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों की भांति नगर निगम, नगरपालिका तथा नगर पंचायत के पार्षदों/सदस्यों को मानदेय/यात्रा भत्ता दिये जाने की मांग

03-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, नगरपालिका तथा नगर पंचायत के पार्षदों/सदस्यों को भी जिला पंचायत सदस्यों की भांति मानदेय/यात्रा भत्ता सरकार प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत के पार्षदों/सदस्यों को भी जिला पंचायत सदस्यों की भांति मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है, सम्यक् विचारोपारान्त इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मानव शिक्षुओं के व्यापार के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही

04-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क 5नं 210913, दिनांक 16-01-2014 जो मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र जो जिला संरक्षण अधिकारी चन्दौली के एवं मानव शिशुओं के व्यापार के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रकरण में जिलाधिकारी, चन्दौली को जांच करवाकर आख्या उपलब्ध कराने के लिये निदेशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में न्यू राजामण्डी कालोनी में राजामण्डी रेलवे स्टेशन के पास पार्क में अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

05-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में न्यू राजामण्डी कालोनी में राजामण्डी रेलवे स्टेशन के पास 40 साल पुराने नगर निगम के पार्क में कुछ लोग अवैध कब्जा करके कमरों का निर्माण करा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

आंशिक रूप से अतिक्रमण है। वर्तमान में कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है।

पार्क के सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्व में नगर निगम द्वारा प्रारम्भ कराया गया था, किन्तु स्थलीय स्वामित्व विवाद के कारण कार्य अवरुद्ध हो गया था। भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में वाद संख्या-111/ए0एम0 549/2011, मा0 जनपद न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा में तोता के ताल, लोहामण्डी में अवैध रूप से खुली मीट की दुकानों को हटवाये जाने की मांग

06-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में तोता के ताल, लोहामण्डी में मेन रोड पर अवैध रूप से मुर्गे व बकरे काटने की दुकान एवं होटल खोले गये हैं, जिनके कारण वहां कुत्तों के जमघट से दुर्घटनायें होने की सम्भावनायें रहती हैं एवं बदबू आती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दुकानदारों को वहां से हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

तोता के ताल कब्रिस्तान के बाहर मीट/मांस की चार दुकान जो नगर निगम से अनुज्ञप्ति प्राप्त कार्यरत हैं। किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर चालान की कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

आवारा कुत्तों को पकड़कर पीपुल्स फार एनीमल (पी0एफ0ए0) के माध्यम से उनका एनीमल बर्थ कन्ट्रोल (ए0बी0सी0) कार्यक्रम कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र छावनी में क्षतिग्रस्त मार्ग एवं सीवर लाइन का निर्माण कराये जाने की मांग

07-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सम्बोधित पत्र संख्या-ख-5नं0 454561 एवं 454565, दिनांक 20 जून, 2013 जो जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड 77 में पी0ए0सी0 मोड़ से मोहिनी वाटिका के आगे तक का क्षेत्र का मुख्य सम्पर्क ध्वस्त मार्ग एवं वार्ड नं0 44 में चरारी लाल बंगला में वर्षों पुरानी सीवर लाइन निर्माण विषयक था, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वार्ड-77 में पी0ए0सी0 मोड़ श्याम नगर चौराहे से मोहिनी वाटिका होते हुए बाईपास तक सड़क सुधार का कार्य अवस्थापना निधि वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के द्वारा स्वीकृत है, जिसकी कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग है।

वार्ड-44 में चरारी लाल बंगला रोड पर सीवर लाइन पूर्व से बिछी हुई है एवं सुचारु रूप से चालू है। उक्त स्थल पर उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा भी जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत गहरी सीवर लाइन बिछाकर चालू कर दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के राधिका विद्या मन्दिर से सतवारी रोड तक सी0सी0 रोड बनवाये जाने की मांग

08-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र में वार्ड 54 बाबूपुरवा कालोनी ब्लाक नं0 271 व 272 तथा ब्लाक नं0 273 व 274 एवं ब्लाक नं0 275 के पीछे नाली व सड़क एवं वार्ड नं0 53 में राधिका विद्या मन्दिर से सतबरी रोड तक सी0सी0 रोड बनवाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक 202077 एवं 202081, दिनांक 06 जून, 2013 उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वार्ड नम्बर-54 बाबूपुरवा कालोनी ब्लाक नम्बर-271 व 272 तथा ब्लाक नम्बर-273 व 274 एवं ब्लाक नम्बर-275 के पीछे नाली व सड़क बनवाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत क्षेत्र श्रम विभाग कालोनी का है, जो नगर निगम को हस्तगत नहीं है।

वार्ड नम्बर-53 में राधिका विद्या मन्दिर से सतबरी रोड तक सी0सी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत क्षेत्र कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी का सम्पर्क मार्ग है, जो नगर निगम को हस्तगत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रामपुर की तहसील-विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने की मांग

09-श्री संजय कपूर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट न होने से जनता को तहसील मुख्यालय से लगभग 35 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है तथा जनता को न्याय पाने में काफी देरी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जल्दी व सस्ता न्याय दिलाने के लिए तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अधीनस्थ न्यायालयों पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का पूर्ण नियंत्रण होता है। न्यायालयों की स्थापना के सम्बन्ध में पहले मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्राप्त की जाती है। वर्तमान में जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति प्राप्त नहीं है।

10-श्री संजय कपूर-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मथुरा में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत सीवर व पेयजल के कार्य हेतु धनराशि आवंटन की मांग

11-श्री प्रदीप माथुर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा शहर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 (जेनर्म) योजना के अन्तर्गत सीवर व पेयजल के कार्य का डी0पी0आर0 सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के नगर विकास विभाग को धन आवंटन हेतु अग्रसारित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक अग्रसारित कर दी जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के वर्तमान चरण के ''ट्रांजीशन फेज'' के लिये मिशन शहर मथुरा की निम्नांकित 04 परियोजनाओं का गठन किया गया है, जिन्हें राज्य व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 08-02-2014 में अनुमोदित किया गया है --

1-मथुरा सीवरेज (गोकुल बैराज से)-व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत रु0 28867.93 लाख।

2-मथुरा सीवरेज (मासूम नगर जोन)-व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत रु0 46641.22 लाख।

3-मथुरा सीवरेज (मसानी जोन)-व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत रु0 21441.85 लाख।

4-मथुरा सीवरेज (कोयला अलीपुर जोन)-व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत रु0 21698.17 लाख।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त परियोजनाओं को स्वीकृति हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रसारित किये जाने के लिये स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी (एसएलएससी) का अनुमोदन प्राप्त करते हुए यथाशीघ्र भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद को जाम से निजात दिलाने हेतु यातायात की व्यवस्था की मांग

12-श्री सुरेश बंसल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद सदर में दिल्ली से सटा हुआ होने के कारण आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए जाम से निजात दिलाने हेतु यातायात

पुलिस की समुचित व्यवस्था कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विधान सभा क्षेत्र गाजियाबद सदर में जाम से मुक्ति दिलाने के लिए यातायात पुलिस की समुचित व्यवस्था है। यातायात को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय यातायात पुलिस द्वारा निम्नवत् कार्यवाही सम्पादित की जा रही है :--

1-नगर निगम एवं जी0डी0ए0 के माध्यम से सड़कों/चौराहों का चौड़ीकरण कराया जा रहा है।

2-यातायात को सुचारु रखने तथा जनमानस की सुविधा हेतु जनपद में 741 स्प्रिंग पोस्ट विभिन्न स्थानों पर लगवाये गये है।

3-वाहन चालकों द्वारा शहर क्षेत्र में सड़कों के दोनों ओर वाहनों के अनाधिकृत रूप से खड़ा करने को दृष्टिगत रखते हुए जी0डी0ए0 द्वारा चार प्राइवेट छोटी क्रेनें उपलब्ध करायी गयी हैं, जिनके माध्यम से सड़कों पर अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनों को टोईग कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

4-राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग/नगर निगम गाजियाबाद से समन्वय स्थापित कर मुख्य मार्ग एवं राजमार्गों पर बने अनावश्यक कट्स बन्द कराये गये, जिससे जाम की समस्या एवं सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

5-अत्यन्त व्यस्त चौराहों, पुराना बस अड्डा एवं मेरठ तिराहा को जाम मुक्त करने हेतु इन चौराहों को सिग्नल फ्री बनाया गया है।

6-दुर्घटना सम्भावित 02 स्थानों पर दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जी0डी0ए0 से समन्वय स्थापित कर नेशलन हाईवे-91 पर मोहन नगर एवं हिण्डन नदी के मध्य अर्थला ग्राम के सामने करहेडा व मोहन नगर की तरफ से आने-जाने वाले वाहनों के लिए एवं हिण्डन नदी पुल के पास इन्दिरापुरम् एवं गाजियाबाद की तरफ से आने-जाने वाले वाहनों के लिए एक ही स्थान पर दो यू-टर्न बनवाये गये हैं।

7-जनपद की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारु बनाने तथा सुरक्षा की दृष्टि से नगर क्षेत्र में 41 स्थानों पर कुल 142 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के मुहल्ला दौलतपुरा के गुलमोहर अपार्टमेण्ट तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

13-श्री सुरेश बंसल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के मुहल्ला दौलतपुरा में मेन रोड भाटिया मोड़ से गुलमोहर अपार्टमेन्ट तक की सड़क पूर्णतया क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत सड़क की मरम्मत हेतु सर्वेक्षण कराकर आगणन तैयार करा लिया गया है, जो धनांक रु0 48,04,000/- (रु0 अड़तालीस लाख चार हजार मात्र) का है। यह कार्य आगामी अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि से कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला की नगर पंचायत बड़हलगंज को नगर पालिका बनाने की मांग

14-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला की नगर पंचायत बड़हलगंज को नगर पालिका परिषद् बनाने हेतु प्रस्ताव सरकार के पास विचारधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर पंचायत बड़हलगंज को नगर पालिका बनाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

नगर पंचायत बड़हलगंज को नगर पालिका परिषद् बनाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गोरखपुर से अद्यतन प्रस्ताव मांगा गया है। नियमानुसार मानक और शर्तें पूर्ण होने पर नगर पंचायत बड़हलगंज को नगर पालिका परिषद् बनाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गोरखपुर के हाटा बाजार कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने का विचाराधीन प्रकरण

15-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के हाटा बाजार कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हाटा बाजार को नगर पंचायत बनाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रकरण शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के कछारांचल के मधुपुर में पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने की मांग

16-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर तहसील गोला अन्तर्गत थाना कोतवाली बड़हलगंज काफी दूर होने के कारण कछारांचल के मधुपुर में सरकार एक पुलिस चौकी की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पुलिस थानों की स्थापना के मानक वर्ष 1960-61 एवं पुलिस चौकी के मानक वर्ष 1996 के होने के दृष्टिगत नये मानक निर्धारण किए जाने हेतु टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया गया है। नये मानकों का निर्धारण होने के पश्चात् मधुपुर में पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला परिसर में दीवानी न्यायालय की स्थापना किये जाने की मांग

17-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील गोला परिसर में दीवानी न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उक्त दीवानी न्यायालय की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का पूर्ण नियंत्रण होता है। किसी न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्राप्त की जाती है। वर्तमान में प्रश्नगत न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का कोई अभिमत/संस्तुति प्राप्त नहीं है।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में कन्हैया यादव के घर तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

18-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली, मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् मुगलसराय के वार्ड नं0-11 मवईखुर्द में कृष्णा चौहान के मकान से कन्हैया यादव के घर तक जनहित में सड़क बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ग 5 नं0/140994, दिनांक 07-08-2013 को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् मुगलसराय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

सड़क बनाने के सम्बन्ध में उक्त सड़क का आगणन तैयार किया गया है। बोर्ड की संस्तुति के उपरान्त निविदा कर सड़क का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद इलाहाबाद में विधवा पेंशन के पात्र लोगों को पेंशन उपलब्ध कराये जाने की मांग

19-श्री दीपक पटेल-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में विधवा पेंशन कितने लोगों को प्रदान की जा रही है ? वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में जनपद इलाहाबाद में

कितने लोगों द्वारा विधवा पेंशन का आवेदन किया गया है ? क्या सरकार उन सभी पात्र लोगों को पेंशन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरुण कुमारी कोरी)-

जनपद इलाहाबाद में कुल 48039 लाभार्थियों को पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना में वर्ष 2011-12 में 2613 तथा वर्ष 2012-13 में 3060 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राप्त 2613 आवेदन-पत्रों के सापेक्ष समस्त लाभार्थियों को पेंशन उपलब्ध करा दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में 3060 आवेदन-पत्रों के सापेक्ष 2806 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया जा चुका है इस प्रकार जनपद इलाहाबाद हेतु निर्धारित कुल भौतिक लक्ष्य 48039 के सापेक्ष शतप्रतिशत लाभार्थियों को पेंशन प्रदान की जा रही है। अवशेष 254 लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के निर्माणाधीन प्रेक्षागृह को बनाने की मांग

20-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में निर्माणाधीन प्रेक्षागृह का निर्माण किन कारणों से रुका पड़ा है ? क्या सरकार गोरखपुर में ही किसी अन्यत्र स्थान पर प्रेक्षागृह बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी-

जनपद गोरखपुर में निर्माणाधीन प्रेक्षागृह की भूमि के सम्बन्ध में सिविल जज (सीनियर डिवीजन), न्यायालय, गोरखपुर में वाद संख्या-947/2009 स्टेट आफ यू0पी0 आदि बनाम जय श्री जायसवाल विचाराधीन होने के कारण प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य रुका हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा निघासन में फायर स्टेशन पर मानक के अनुसार स्टाफ नियुक्ति की मांग

21-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा निघासन में फायर स्टेशन में मानक से कम कर्मचारी व अधिकारी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अनुमन्य स्टाफ की नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

वर्तमान में फायरमैन पद पर भर्ती की कार्यवाही तथा फायरमैन से फायर सर्विस चालक पद पर पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण होने पर अग्निशमन केन्द्र, निघासन में अधिकारी/कर्मचारी की कमी पूर्ण हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कम्प्यूटरीकृत थाने एवं उनके खराब कम्प्यूटर को बदलवाने की मांग

22-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा थानों में कम्प्यूटर लगाये गये थे ? यदि हां, तो कितने थानों के कम्प्यूटर काम कर रहे हैं तथा कितने खराब हैं ? क्या सरकार उक्त खराब कम्प्यूटरों के स्थान पर नये कम्प्यूटर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

सीपा एवं सी0सी0टी0एन0एस0 योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 1178 थानों पर कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिये गये हैं। 557 कम्प्यूटर अक्रियाशील हैं।

सी0सी0टी0एन0एस0 योजना के अन्तर्गत अक्रियाशील कम्प्यूटर को ठीक किया जा रहा है। शेष थानों पर नये कम्प्यूटर दिये जा रहे हैं।

सी0सी0टी0एन0एस0 योजना के अन्तर्गत जून, 2014 तक नये कम्प्यूटर दिया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल के सौन्दर्यीकरण योजनान्तर्गत लागत का मूल्यांकन

23-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित रामगढ़ताल के सौन्दर्यीकरण योजना के सभी कार्य पूरे करा लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो अधूरे कार्यों की वित्तीय लागत क्या है ? क्या सरकार द्वारा धीमी गति से कार्य करने हेतु किसी की जिम्मेदारी एवं योजना की लागत का मूल्यांकन किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

गोरखपुर स्थित रामगढ़ताल के प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण की परियोजना के कार्य निर्माणाधीन हैं।

अधूरे कार्यों की वित्तीय लागत रु0 10578.00 लाख है।

धीमी प्रगति का कारण मुख्यतः परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु कार्यस्थल मिलने में विलम्ब तथा प्रथम दो वर्षों में वांछित केन्द्रान्श न मिलना रहा है। योजना की लागत का मूल्यांकन शासन की शीर्ष संस्था ''प्रायोजना संरचना एवं मूल्यांकन प्रभाग'' (पीएफएडी), उ0 प्र0 द्वारा किया गया है तथा व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19-12-2012 में समिति द्वारा रु0 19657.35 लाख की लागत पर अनुमोदन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र छावनी में सड़क एवं जल निकासी विषयक-पत्र पर कार्यवाही

24-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 77 गंगानगर, जाजमऊ क्षेत्र में सड़क एवं जल निकासी की व्यापक व्यवस्था विषयक जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सम्बोधित पत्र पत्रांक संख्या-ख-5 नं0-454564 एवं 454566, दिनांक 20 जून, 2013 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वार्ड-77 के अन्तर्गत गंगानगर सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/9-अ0-3-2001 (अ0व0), दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यहां के विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है। जाजमऊ क्षेत्र में सड़क एवं जल निकासी के कार्य वित्तीय संसाधनों के अनुसार आवश्यकतानुसार प्राथमिकता निर्धारित कर कराये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के कतिपय कालोनी में सड़क एवं पक्की नाली के निर्माण की मांग

25-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या-202084, दिनांक 06 जून, 2013 जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 केडीए कालोनी, केसालेन की दूसरी गली, दहेली सुजानपुर में सड़क निर्माण एवं पक्की नाली के निर्माण हेतु दो बार टेण्डर होने के बावजूद रुके कार्य कराने के सन्दर्भ में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत कार्य कार्पोरेट सामाजिक दायित्व योजना (सी0एस0आर0 फण्ड) के अन्तर्गत पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

26-श्री रविदास मेहरोत्रा-

[पहले बुधवार के अता0प्र0सं0-75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

27-श्री राजेश त्रिपाठी-

[2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कानपुर के वार्ड 62 एवं 80 में क्षतिग्रस्त सड़क व नाली निर्माण की मांग

28-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के अन्तर्गत वार्ड 62 एवं 80 के मध्य की क्षतिग्रस्त सड़क में फुटपाथ एवं नाली निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगर निगम द्वारा धन की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर प्रश्नगत वार्ड में आवश्यकतानुसार प्राथमिकता निर्धारित कर कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनलोकपाल स्थापित करने की मांग

29-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनलोकपाल स्थापित करने की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक जनलोकपाल स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के भाग-III की धारा-63 में यह व्यवस्था दी गयी है कि अधिनियम के प्रख्यापित होने के एक वर्ष के अन्दर भ्रष्टाचार से सम्बन्धित जनशिकायतों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार एक संगठन स्थापित करेगी, जो राज्य में लोकायुक्त के रूप में जाना जायेगा, जिनकी नियुक्ति राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनायी गयी विधि के अन्तर्गत की जायेगी।

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के द्वारा लोकायुक्त तथा एक उप लोकायुक्त नियुक्त हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

[12.21] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्यारे लाल शाक्य, श्री छेदी लाल, श्री गया सिंह, श्री सलीम हामिद खां, श्री हेम चन्द्र निमेष, श्री जगन्नाथ खन्ना, श्री बुद्धूराम, श्री रघुनाथ सिंह वर्मा पटेल, श्री जगदीश नारायण, श्री महेश प्रसाद, श्री मोहन सिंह, श्री रमाकान्त द्विवेदी, श्री तेज बहादुर सिंह, श्री समर पाल सिंह, श्री झामलाल अहेरवार, श्री बलवीर सिंह, श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण पाण्डेय, श्री राजाराम किसान, श्री बलदेव सिंह, श्री पृथ्वी सिंह 'विकसित' तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र के निधन पर शोकोद्गार

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्यारे लाल शाक्य का 9 मई, 1982 को निधन हो गया। वे लगभग 64 वर्ष के थे। श्री प्यारे लाल शाक्य का जन्म 4 अप्रैल, 1918 को हुआ था। श्री प्यारे लाल शाक्य वर्ष 1974 में जनसंघ तथा वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र सकीट, जिला एटा से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री प्यारे लाल शाक्य ने वर्ष 1942 में स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे जेल भी गये थे। वे एक योग्य सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता थे। वे सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहते थे। सामाजिक कार्यों, खेलकूद, कृषि एवं उद्योग में उनकी विशेष रुचि थी। श्री प्यारे लाल शाक्य के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री छेदी लाल का 13 सितम्बर, 1997 को निधन हो गया। वे लगभग 44 वर्ष के थे। श्री छेदी लाल का जन्म वर्ष 1953 में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री छेदी लाल वर्ष 1978 के उप निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र मनकापुर, जिला गोण्डा से कांग्रेस (आई) के टिकट पर तथा वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र मनकापुर (अ0जा0), जिला गोण्डा से कांग्रेस (आई) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री छेदी लाल एक योग्य सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता थे। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री छेदी लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गया सिंह का 14 फरवरी, 1998 को निधन हो गया। वे लगभग 66 वर्ष के थे। श्री गया सिंह का जन्म 1 मई, 1932 को हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गया सिंह वर्ष 1974 में कांग्रेस के टिकट पर तथा वर्ष 1980 में कांग्रेस (आई0) के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र पुरवा, जिला उन्नाव से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री गया सिंह वर्ष 1978 में धारा 188 के उल्लंघन के फलस्वरूप जेल गये थे। वे जिला कांग्रेस कमेटी, उन्नाव तथा जिला बार एसोसिएशन, उन्नाव के प्रधान मंत्री, जिला सहकारी बैंक, उन्नाव के संचालक तथा प्रबन्ध समिति, रुजिहई इण्टर कालेज, उन्नाव के उप मंत्री रहे थे। वे जिला पंचायत उन्नाव के अध्यक्ष भी रहे थे। निर्धन किसानों को आर्थिक सहायता दिलाने के लिये वे सदैव प्रयत्नशील रहे। भूमि सुधार एवं व्यवस्था पर उन्होंने अनेक लेख भी लिखे। उद्योग, कृषि एवं भूमि सुधार में उनकी विशेष रुचि थी। श्री गया सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सलीम हामिद खां का 14 दिसम्बर, 1998 को निधन हो गया। श्री सलीम हामिद खां वर्ष 1946 में झांसी, जालौन, हमीरपुर क्षेत्र से मुस्लिम लीग दल से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री सलीम हामिद खां एक कर्मठ सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सलीम हामिद खां के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हेमचन्द्र निमेष का 27 जून, 2000 को निधन हो गया। वे लगभग 42 वर्ष के थे। श्री हेमचन्द्र निमेष का जन्म वर्ष 1958 में ग्राम फकरपुर, जिला बागपत में हुआ था। उन्होंने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हेमचन्द्र निमेष वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र सिवाल खास (अ0जा0), जिला मेरठ से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री हेमचन्द्र निमेष एक योग्य सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हेमचन्द्र निमेष के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जगन्नाथ खन्ना का 30 मई, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे। श्री जगन्नाथ खन्ना का जन्म 4 फरवरी, 1932 को हुआ था। श्री जगन्नाथ खन्ना वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र सहारनपुर, जिला सहारनपुर से जनसंघ पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री जगन्नाथ खन्ना एक कर्मठ राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री जगन्नाथ खन्ना के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बुद्धू राम का दिनांक 09 दिसम्बर, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 66 वर्ष के थे। श्री बुद्धू राम का जन्म 01 अगस्त, 1940 को ग्राम बरदह, जिला आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री बुद्धू राम वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र मेहनगर (अ0जा0) जिला आजमगढ़ से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री बुद्धू राम एक योग्य सामाजिक कार्यकर्ता थे। अपने क्षेत्र के विकास के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। समाज सेवा में उनकी रुचि थी। श्री बुद्धू राम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रघुनाथ सिंह वर्मा पटेल का 21 दिसम्बर, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 71 वर्ष के थे। श्री रघुनाथ सिंह वर्मा पटेल का जन्म 17 दिसम्बर, 1938 को ग्राम अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रघुनाथ सिंह वर्मा पटेल वर्ष 1967 तथा 1969 में निर्वाचन क्षेत्र जसराना, तत्कालीन जिला मैनपुरी से कांग्रेस के टिकट पर तथा वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र जसराना, जिला फिरोजाबाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे छठी एवं सातवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री रघुनाथ सिंह वर्मा पटेल वर्ष 1975 में गेहूं की लेवी आन्दोलन में तथा आपातकाल में डी0आई0आर0 एवं मीसा

के अन्तर्गत जिला जेल, मैनपुरी तथा केन्द्रीय कारागार, आगरा में बन्दी रहे थे। वे अखिल भारतीय लोधी राजपूत महासभा के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग (भारत) के उपाध्यक्ष, समता पार्टी, उत्तर प्रदेश के महामंत्री, भारतीय लोक दल के जिला अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश लोक दल (अ) के महामंत्री रहे थे। वे लोधी राजपूत इण्टर कालेज और लोक राष्ट्रीय इण्टर कालेज, जसराना के प्रबंधक एवं मंत्री भी रहे थे। बागवानी तथा अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रघुनाथ सिंह वर्मा पटेल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जगदीश नारायण का 11 मई, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 87 वर्ष के थे। श्री जगदीश नारायण का जन्म 16 सितम्बर, 1924 को हुआ था। श्री जगदीश नारायण वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र बिलारी, जिला मुरादाबाद से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री जगदीश नारायण ने विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया जिसके फलस्वरूप वे जेल भी गये थे। वे जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री तथा सेवा दल, मुरादाबाद के जिला कप्तान रहे थे। वे स्टेट वेयर हाऊस कारपोरेशन के अध्यक्ष भी रहे। समाज सेवा तथा चर्खा कातना उन्हें प्रिय था। श्री जगदीश नारायण के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री महेश प्रसाद का 6 मार्च, 2013 को निधन को गया। वे लगभग 71 वर्ष के थे। श्री महेश प्रसाद का जन्म वर्ष 1942 में हुआ था। श्री महेश प्रसाद वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र नौरंगिया (अ0जा0), तत्कालीन जिला देवरिया में कांग्रेस (आई) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री महेश प्रसाद अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। वे जिला कारागार, देवरिया में राजनीतिक बन्दी भी रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री महेश प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मोहन सिंह का 22 सितम्बर, 2013 को निधन को गया। वे लगभग 68 वर्ष के थे। श्री मोहन सिंह का जन्म 4 मार्च, 1945 को ग्राम जयनगर, जिला देवरिया में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मोहन सिंह वर्ष 1977 में जनता पार्टी तथा वर्ष 1980 में जनता (एस0) चरण सिंह पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बरहज, जिला देवरिया से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे थे। वे दसवीं, बारहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के सदस्य तथा वर्ष 2010 में राज्य सभा के सदस्य भी थे। श्री मोहन सिंह ने विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लिया जिसके फलस्वरूप वे कई बार जेल में बन्दी रहे। वे अखिल भारतीय समाजवादी युवजन सभा में महामंत्री, सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश के संयुक्त मंत्री, जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के महामंत्री, लोक दल के महामंत्री तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे। वे श्री बनारसी दास मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। वे लोक सभा तथा राज्य सभा की कई महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे थे। उन्हें वर्ष 2008 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान प्रदान किया गया था। उन्होंने हिन्दी तथा अंग्रेजी में अनेक पुस्तकें एवं विभिन्न समाचार पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखे। पठन-पाठन एवं संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। श्री मोहन सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रमाकान्त द्विवेदी का दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 95 वर्ष के थे। श्री रमाकान्त द्विवेदी का जन्म 10 जनवरी, 1918 को ग्राम ठठराही, जिला फतेहपुर में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रमाकान्त द्विवेदी वर्ष 1967 तथा 1974 में निर्वाचन क्षेत्र बिन्दकी, जिला फतेहपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री रमाकान्त द्विवेदी छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रहे थे। वे वर्ष 1946 से 1952 तक नगरपालिका, बिन्दकी के अध्यक्ष तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फतेहपुर के जिलाध्यक्ष पद पर रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्य उन्हें प्रिय था। श्री रमाकान्त द्विवेदी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री तेज बहादुर सिंह का दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 65 वर्ष के थे। श्री तेज बहादुर सिंह का जन्म 01 जनवरी, 1948 को ग्राम शिवापार, जिला जौनपुर में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री तेज बहादुर सिंह वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र रारी, जिला जौनपुर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री तेज बहादुर सिंह जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। वे विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप जेल में बन्दी भी रहे थे। पठन-पाठन उन्हें प्रिय था तथा समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री तेज बहादुर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री समरपाल सिंह का दिनांक 04 नवम्बर, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 58 वर्ष के थे। श्री समरपाल सिंह का जन्म 02 जुलाई, 1955 को ग्राम झिटकारी, जिला मेरठ में हुआ था। उन्होंने एम0एस0सी0 तथा एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री समरपाल सिंह वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र बरनावा, जिला मेरठ से भारतीय किसान कामगार पार्टी तथा 2002 में निर्वाचन क्षेत्र बरनावा, जिला बागपत से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे थे।

श्री समरपाल सिंह आपातकाल के दौरान जेल में बन्दी रहे थे। वे वर्ष 1987-88 में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ व वर्ष 1990-94 में युवा जनता दल के अध्यक्ष रहे थे। वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भारतीय किसान कामगार पार्टी तथा राष्ट्रीय लोकदल के महामंत्री भी रहे थे। सामाजिक एवं राजनैतिक कार्य में उनकी विशेष रुचि थी। श्री समरपाल सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री झामलाल अहेरवार का दिनांक 07 नवम्बर, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष के थे। श्री झामलाल अहेरवार का जन्म 01 फरवरी, 1938 को ग्राम मित्रसेनपुर, जिला फर्रुखाबाद में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री झामलाल अहेरवार वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज (अ0जा0), तत्कालीन जिला फर्रुखाबाद से जनसंघ के टिकट पर तथा वर्ष 1977 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे।

श्री झामलाल अहेरवार एक योग्य सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता थे। समाजसेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा कृषि सम्बन्धी कार्य उन्हें प्रिय था। श्री झामलाल अहेरवार के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बलवीर सिंह का दिनांक 11 नवम्बर, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री बलवीर सिंह का जन्म 15 अगस्त, 1928 को ग्राम फरीद पैड़त, तत्कालीन जिला मैनपुरी में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री बलवीर सिंह वर्ष 1962 में स्वतंत्र पार्टी, वर्ष 1974 में भारतीय क्रांति दल, वर्ष 1977 में जनता पार्टी तथा वर्ष 1985 में लोक दल के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र जसराना, तत्कालीन जिला मैनपुरी से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री बलवीर सिंह राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप मैनपुरी कारागार में बन्दी रहे थे। वे डी0सी0डी0एफ0, मैनपुरी, कृषि उत्पादन मण्डी समिति अवागढ़ तथा सहकारी संघ, एका के अध्यक्ष रहे थे। वे आगरा कालेज के ट्रस्टी तथा शिव आदर्श विद्यालय, पैड़त के प्रबन्धक भी रहे थे। कृषि तथा समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बलवीर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण पाण्डेय का दिनांक 24/25 नवम्बर, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 89 वर्ष के थे। श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण पाण्डेय का जन्म 22 नवम्बर, 1924 को ग्राम जगदीशपुर, जिला बस्ती में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण पाण्डेय वर्ष 1974, 1980 तथा 1989 में निर्वाचन क्षेत्र हरैया, जिला बस्ती से क्रमशः कांग्रेस, कांग्रेस (आई0) तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण पाण्डेय उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति के सभापति रहे थे। अपने क्षेत्र के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कृषि सम्बन्धी कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण पाण्डेय के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राजाराम किसान का दिनांक 17/18 दिसम्बर, 2013 की मध्यरात्रि में निधन हो गया। वे लगभग 94 वर्ष के थे। श्री राजाराम किसान का जन्म 1919 में हुआ था। श्री राजाराम किसान वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़ (पश्चिम) कुण्डा (उत्तर), जिला प्रतापगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर प्रथम विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री राजाराम किसान ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे गोण्डा, बरेली, प्रतापगढ़ व इलाहाबाद की जेलों में बन्दी रहे थे। वे जिला कांग्रेस कमेटी तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष, सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष, आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी एवं प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के साथ-साथ शिक्षा विभाग के अधीन चलने वाले परिषदीय विद्यालय के चेयरमैन भी रह चुके थे। उन्हें 25 अगस्त, 2006 तथा 6 जनवरी, 2013 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा प्रथम विधान सभा के सदस्य होने का सम्मान प्रदान किया गया था। श्री राजाराम किसान के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बल्देव सिंह का दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। श्री बल्देव सिंह का जन्म 1 अक्टूबर, 1929 को हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री बल्देव सिंह वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद (अ0जा0), जिला बिजनौर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री बल्देव सिंह वर्ष 1987 में लोक दल द्वारा चलाये गये आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप जिला कारागार, बिजनौर में बन्दी रहे थे। वे नगरपालिका, नजीबाबाद के सदस्य तथा पैरोल मजिस्ट्रेट रहे थे। राजनीति तथा समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा भ्रमण उन्हें प्रिय था। श्री बल्देव सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य डा0 पृथ्वी सिंह 'विकसित' का दिनांक 22 जनवरी, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। डा0 पृथ्वी सिंह का जन्म 5 जनवरी, 1932 को ग्राम शिवदासपुर, जिला हरिद्वार में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, पी0एच0डी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। डा0 पृथ्वी सिंह वर्ष 1991 तथा 1993 में निर्वाचन क्षेत्र रुड़की, जिला हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

डा0 पृथ्वी सिंह वर्ष 1974 में जाब्ता फौजदारी की धारा-107/116 के अन्तर्गत उप कारागार, रुड़की में बन्दी रहे थे। वे वर्ष 1991-92 में श्री कल्याण सिंह मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। डा0 पृथ्वी सिंह वर्ष 1971 से 1977 तक जिला स्काउट कमिश्नर रहे तथा रुड़की आवास विकास क्रेता संघ, रुड़की मानव कल्याण मंच तथा प्रगतिशील लेखक संघ के संरक्षक एवं जूनियर रेडक्रास के आजीवन सदस्य भी रहे थे। उन्होंने 'भाषा भागीरथी' शीर्षक से एक पुस्तक भी लिखी है। समाज सेवा तथा हिन्दी भाषा में उनकी विशेष रुचि थी। डा0 पृथ्वी सिंह 'विकसित' के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र का दिनांक 17 फरवरी, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 72 वर्ष के थे। श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र का जन्म 22 जुलाई, 1942 को ग्राम बकुची, जिला देवरिया में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर, जिला देवरिया से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 1991 एवं वर्ष 2002 में निर्वाचन क्षेत्र बरहज, जिला देवरिया से क्रमशः भारतीय जनता पार्टी तथा निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र वर्ष 1975 में जे0पी0 आन्दोलन में जिला कारागार, देवरिया में बन्दी रहे थे। वे पी0सी0डी0एफ0 के अध्यक्ष (राज्य मंत्री स्तर) तथा श्रुतिकीर्ति स्मृति संस्थान, बरहज, देवरिया के अध्यक्ष रहे थे। वे श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रि-मण्डल में मंत्री भी रहे थे। समाज सेवा तथा अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

पूर्व सदस्यगण विधान सभा के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वह दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतृप्त परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दूंगा । अब हम आग्रह करते हैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट खड़े होकर मौन धारण करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

[12.40] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 की सूचनायें ले रहा हूं।

आज दिनांक 24-02-2014 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 48 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री सिनोद कुमार शाक्य की है, वह अनुपस्थित हैं। दूसरी सूचना श्री रविन्द्र भड़ाना की जनपद मेरठ के कतिपय मार्गो के जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। (इन्होंने अपनी सूचना सदन में पढ़ी) तीसरी सूचना साध्वी निरंजन ज्योति की जनपद हमीरपुर नगर में ट्रकों से हो रही अवैध वसूली को रोके जाने के संबंध में है। चौथी सूचना श्री अजय मिश्र 'टेनी' की विधान सभा क्षेत्र निघासन की भारत नेपाल सीमा में सतर्कता बढ़ाये जाने के संबंध में है। (इन्होंने अपनी सूचना को पढ़ा) पांचवीं सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद रायबरेली के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा वर्ष 1962, 65, 71 एवं 99 के युद्व के शहीदों के नाम से प्राथमिक एवं अन्य विद्यालय खोले जाने के संबंध में है। छठी सूचना श्री सन्तोष पाण्डेय की जनपद सुल्तानपुर में तहसील लम्भुआ में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद झांसी के पारीछा तापीय विद्युत परियोजना के 22 कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री गयादीन अनुरागी की है, वह अनुपस्थित हैं। नवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत रामायण डोभ पर पुल का निर्माण किये जाने के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री विजय कुमार दुबे की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा ग्राम सभा नेबुआ रायगंज में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री राधेश्याम जी की है, वह अनुपस्थित हैं।

बारहवीं सूचना श्री जगराम पासवान की है, वह अनुपस्थित हैं।

तेरहवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र ईसानगर में अक्तयापुर चौराहे से बरारी तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री रोशनलाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री सुधाकर सिंह की है, वह अनुपस्थित हैं।

अब जो मा0 सदस्य अनुपस्थित हैं उनके स्थान पर उपस्थित मा0 सदस्यों की सूचनाएं ले लेते हैं। श्री सिनोद कुमार शाक्य की सूचना के स्थान पर श्री सुरेश कुमार खन्ना की सूचना ली जाती है। श्री गयादीन अनुरागी की सूचना के स्थान पर श्री काली चरन सुमन की सूचना ली जाती है। श्री राधेश्याम की सूचना के स्थान पर डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की सूचना ली जाती है। श्री जगराम पासवान की सूचना के स्थान पर श्री बिमला सिंह सोलंकी की सूचना ली जाती है। श्री सुधाकर सिंह की सूचना के स्थान पर श्री प्रदीप माथुर की सूचना ली जाती है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं:-

1-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी 2-श्री गेंदालाल चौधरी 3-श्री रवीन्द्र जायसवाल 4-श्री लोकेन्द्र सिंह 5-श्री सुरेश राणा 6-श्री विजय बहादुर यादव 7-श्री बावन सिंह 8-श्री अगयश राम सरन वर्मा 9-श्री ममतेश शाक्य 10-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल 11-हाजी मुसर्रत अली बिट्टन 12-श्री बब्बन सिंह चौहान 13-श्री सुशील सिंह 14-श्री सुरेश बंसल 15-ठा0 दलवीर सिंह 16-श्री पूरन प्रकाश 17-श्री संजय प्रताप जायसवाल 18-डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी 19-श्री गजराज सिंह 20-श्री बृजेश कुमार 21-श्री भीम प्रसाद सोनकर 22-श्री दलजीत सिंह 23-श्री उमेश पाण्डेय 24-श्री बाला प्रसाद अवस्थी 25-श्री राज नारायन बुधौलिया 26-श्री अनीसुर्रहमान 27-डॉ0 अरुण कुमार तथा 28-श्री ओम कुमार।

जनपद मेरठ के कतिपय मार्गों के जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र भड़ाना-

महोदय, मेरे दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में मार्गों का निर्माण विगत कई वर्षों से न किये जाने के कारण अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण होकर गड्ढ़ों मे तब्दील हो गयी है जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है आये दिन दुर्घटनायें हो रही है। जैसे-1-जुरौनपुर फाटक से ग्राम नरहेड़ा हेतु हुए हापुड़ रोड फफूडा तक, 2-हापुड़ रोड़ से सलेमपुर चन्दसारा होते हुए कताई मिल हवाई मार्ग तक, 3-कताई मिल से ग्राम इटायरा रोड, 4-मोहद्दीनपुर से गांवड़ी रोड, 5-ग्राम भूड़ बराल से उपलेहड़ा होकर छज्जूपुर रोड, 6-ग्राम उपलेहड़ा से महरौली सम्पर्क मार्ग नया निर्माण, 7-दिल्ली रोड मेकला फलाई ओवर से शुरू होकर सरस्वती लोक से नूरनगर रोड की क्रास करते हुए फतेउल्लापुर रोड को क्रास करते हुए गैस गोदाम से होकर हापुड़ रोड बिजली घर तक मिलाने वाला रोड, 8-बिजली बम्बा बाईपास से गुगी होकर गगोल बाई पास होता हुआ मोटर्स व गगोल तीर्थ तक के मार्ग का निर्माण, 9-फफूडा-अल्लीपुर मार्ग जो कि अत्यन्त खराब हालत में है। जनहित में इका निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व, अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनहित में उपरोक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही के मांग करता हूं।

जनपद हमीरपुर नगर में ट्रकों से हो रही अवैध वसूली को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

साध्वी निरंजन ज्योति-

[महोदय, जनपद हमीरपुर के हमीरपुर नगर के नजदीक संकरी पीपर के पास एन0एच0-88 सागर मार्ग पर जो पुल बना हुआ है उस पर गुजरने वाले ट्रक जो बेधवा नदी से मौरंग एवं कवरई से गिट्टी लादकर ले जाते हैं उनसे जिला पंचायत हमीरपुर शुल्क वसूलता है जबकि हाईकोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि शुल्क नहीं लिया जाय फिर भी जिला पंचायत हमीरपुर 6 टायरा ट्रक से 60 रु0 के स्थान पर 150 रु0 तथा 10 टायरा ट्रक से 120 रु0 के स्थान पर 200 रु0 वसूलता है। मेरे बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी वसूली जारी है और मा0 हाईकोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उड़ रही हैं।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करती हूं]

विधान सभा क्षेत्र निघासन की भारत-नेपाल सीमा में सतर्कता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय मिश्रा 'टेनी'-

महोदय, विधान सभा क्षेत्र निघासन में भारत-नेपाल की खुली सीमा है। गौरतलब है कि भारत-नेपाल की खुली सीमा पाकिस्तान से भारत आने वाले आतंकवादी माओवादियों व नकली नोटों तथा हथियारों के तस्करों को भी रास आ रही है। वह बेखौफ होकर इन रास्तों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका प्रमाण है कि वर्ष 2013 में भारत-नेपाल सीमा पर कम से कम 6 बड़े अपराधी पकड़े गये हैं जिनमें टुंडा भटकल सहित जे0के0एल0एफ0 के आतंकवादी भी शामिल है। जनपद लखीमपुर खीरी में पूर्व में भी एक पाकिस्तानी व एक श्रीलंकाई नागरिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। चूकि निघासन विधान सभा क्षेत्र की लगी सीमा से स्थानीय नागरिकों को भारी आवागमन तथा वैध-अवैध व्यापार व खाल आदि की तस्करी होती है, इस कारण बार्डर क्षेत्र में काफी आवागमन होता है तथा सीमा पूर्णतया खुली है, इस कारण आतंकवादियों की घुसपैठ की संभावना को देखते हुए भारी चौकसी की आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा वर्ष 1962, 65, 71 एवं 99 के युद्ध के शहीदों के नाम से प्राथमिक एवं अन्य विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

[मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान जनपद रायबरेली के उपरोक्त विषय पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस जनपद में भारतीय सेना के 50 से अधिक शहीद हैं। हमारा यह दायित्व है कि उनकी स्मृतियां अक्षुण रखने तथा लोग उनसे प्रेरणा लेते रहें यह आवश्यक है कि जनपद की शिक्षण संस्थाओं पर उनका नाम अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि उनका नाम अमर रहे।

अतः मैं माननीय सदन से मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के विषय पर एवं तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए अविलम्ब जनपद रायबरेली के शहीदों के नाम विद्यालयों का नामकरण करने की कृपा पूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।]

जनपद सुल्तानपुर में तहसील लम्भुआ में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्तोष पाण्डेय-

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान जनपद सुल्तानपुर में तहसील लम्भुआ की अवस्थापना सुविधाओं की ओर दिलाना चाहता हूं कि उक्त तहसील की स्थापना वर्ष 1997 में की गयी थी।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तबसे इसका संचालन किराये के भवन में हो रहा है। इसी भवन में उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि के न्यायालय/कार्यालय भी संचालित हैं। छोटी जगह से प्रशासन के कार्यालयों के सुचारु संचालन में असुविधा होती है। कर्मचारियों तथा वादकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 17 वर्षों से तहसील को अपना भवन नहीं मिल पाया है। प्रकरण पर मेरे द्वारा कई बार शासन से पत्राचार किया गया किन्तु कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। यह समस्या जनहित से जुड़ा हुआ है और अतिमहत्व है।]

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से वक्तव्य एवं कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के पारीछा तापीय विद्युत परियोजना के 22 कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पारीक्षा तापीय विद्युत परियोजना (उपक्रम) पारीक्षा में संचालित हैं। इस उपक्रम में स्थापना के समय में भूमि अध्यापित मस्टर रोल कर्मचारी तैनात किये थे और करीब 22 कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो गयी लेकिन इन मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अभी तक अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी है। जिससे इनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं और कई माह से ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। अनुकम्पा नियुक्ति न मिलने से इन परिवारों के आश्रितों में सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इन भूमि अध्यापित मस्टर रोल कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर समायोजित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत रामायण डोभ पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा तमकुहीराज के अन्तर्गत आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के द्वारा पत्रांक संख्या-16016/551 पू0वि0नि0 (राज्यांश) 12-13 दिनांक 18-12-13 के द्वारा ग्राम सभा चौबिया पटखौली लाला टोला के पास रामायण डोभ पर पुल के निर्माण कार्य एक बजट व्यवस्था वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-58 जिला योजना सामान्य ग्रामीण मार्गों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0 के पत्रांक संख्या-01 कैम्प दिनांक 11-11-2013 को प्रेषित पत्र में कुशीनगर प्रान्तीय खण्ड द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग पर तिनफेडिया सम्पर्क मार्ग तक के निर्माण के सम्बन्ध में शासन को प्रेषित है। रामायण डोभ पर पुल का निर्माण होने से हजारों की संख्या में जनता सीधे सेवरही बाजार से जुड़ जायेंगे जिससे इस क्षेत्र की जनता को आवागमन में काफी सहुलियत मिलेगी एवं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला योजना सामान्य ग्रामीण मार्ग के अन्तर्गत उक्त सड़क का निर्माण भी जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः जनहित एवं लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा ग्राम सभा नेबुआ रायगंज में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार दुबे-

[महोदय, जनपद कुशीनगर स्थित मेरे विधान सभा क्षेत्र 320 खड्डा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नेबुआ नौरगिया विकास खण्ड में ग्राम सभा नेबुआ रायगंज में खेल मैदान उपलब्ध है। नौजवानों के खेल प्रोत्साहन हेतु जनता की भारी मांग एक मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु काफी अर्से से है। खड्डा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खड्डा एवं नेबुआ नौरगिया विकास खण्ड में एक भी मिनी स्टेडियम का निर्माण न होने से नौजवानों को खेलकूद में प्रोत्साहन देना जनहित के दृष्टिगत अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र ईसानगर में अक्तयापुर चौराहे से बरारी तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा वि0 खं0 ईसानगर में अक्तयापुर चौराहे से सेमरिया होते हुए मुखलेशपुर होते हुए बरारी होते हुए सिमावर कटौली मार्ग तक निर्मित पक्की सड़क बाढ़ आने के कारण अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे लगभग दस हजार लोगों का आवागमन बाधित है तथा क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे सरकार के प्रति क्षेत्रीय जनता में भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इसकी जांच तत्काल कराकर उक्त सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना है कि जनपद शाहजहांपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र 133, तिलहर के अन्तर्गत विकास खण्ड निगोही में क्षेत्र पंचायत की बैठक नियमानुसार ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुमारी गौतम की अध्यक्षता में दिनांक 29-12-2012, 03-08-2013, 08-02-2014 को आहूत की गयी थी। नियमतः बैठक में निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रधान एवं क्षेत्रीय विधायक व क्षेत्रीय सांसद ही भाग ले सकते हैं। नियमतः क्षेत्र पंचायत की बैठक में कोई प्रतिनिधि भाग नहीं ले सकता है। तीनों बैठकों में मा0 सांसद, मा0 विधायक, ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों के फर्जी प्रतिनिधि बनकर सदन के अन्दर जबरदस्ती अपनी दबंगई के बल पर अजय पाल सिंह सफौरा, नवनीत सिंह यादव कजरी नूरपुर, सरनाम सिंह यादव आदि एक दर्जन से अधिक लोगों ने बैठक में भाग लिया, जिनका फोटो सहित दैनिक समाचार-पत्र में छपा है तथा पुलिस तमाशाबीन बनकर खड़ी रही, उक्त दबंगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और उनके द्वारा बैठक में अभद्र व्यवहार किया गया और बैठक की कार्यवाही नहीं चलने दी तथा सत्ता शासन के दबाव में पुलिस ने भी अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। सदन की बैठक सुचारु रूप से नहीं चल पाने के कारण क्षेत्रीय विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, क्षेत्र पंचायत विकास निधि में करोड़ों रुपये का बजट उपलब्ध है जो इस अव्यवस्था के कारण उक्त धनराशि विकास कार्यों में व्यय नहीं हो पा रही है तथा क्षेत्र में विकास कार्य अवरुद्ध पड़े हुए हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा क्षेत्र में विकास कार्यों को कराये जाने हेतु कई बार स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी और न ही दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी। क्षेत्र में विकास कार्य पूर्णतः बाधित है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता व सदन के सदस्यों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः जनहित में लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए क्षेत्र में विकास कार्य कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कतिपय लम्बित कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र 135-शाहजहांपुर की दो सड़कें वर्ष 2012-13 में स्वीकृत हुई थी :-

1-ब्लाक भावलखेड़ा नेशनल हाई-वे 24 से ग्राम पैतापुर तक,

2-ब्लाक ददरौल के ग्राम बेहटा से रज्जबनगर तक,

इन दोनों मार्गों का टेण्डर हो चुका है, मिट्टी भी पड़ गयी है परन्तु इन पर काम रोक दिया गया। वस्तुस्थिति यह है कि इन दोनों मार्गों पर जो पैसा अभी तक खर्च हुआ है वो भी बर्बाद हो रहा है। काम 3 महीने से रुका पड़ा है। दसियों हजार आबादी का आवागमन जो इन ग्रामों पर होता था वह बाधित है तथा लोगों को भयंकर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इन मार्गों का निर्माण रुकने से कई प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं। विभाग के कुछ अधिकारियों का कहना है कि इसके लिये जो पैसा दिया गया था, वह वापस मंगाया गया है, जनहित में उक्त दोनों मार्ग बनना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन से यह मांग करता हूं कि उक्त दोनों मार्गों का निर्माण जो अधूरा पड़ा है उसको तत्काल पूर्ण कराया जाय।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आगरा की रजब रोहता नहर पर पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन सुमन-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 00, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत 1-ग्राम नगला बसुआ के सामने आगरा रजवा नहर पुलिया निर्माण कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि नगला बसुआ बरारा, मिर्जापुर, गणसामी सुतैड़ी आदि लगभग एक लाख आबादी वाले गांव जुड़ते हैं और आवागमन करते समय लगभग 8-10 कि0मी0 का चक्कर काटकर गन्तव्य स्थान पर पहुंचते हैं तथा नगला बसुआ के बगल में रेलवे लाइन है। कभी-कभी नहर पार करते समय रेलवे लाइन की पटरी का सहारा लेते हैं। जिसके कारण आये दिन जनहानि हादसे होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में जनहित में ग्राम नगला बसुआ के सामने पुलिया बनवाये जाना अति आवश्यक है। 2-ग्राम ठाकुरदास की गढ़ी (पट्टी पचगाई) के सामने आगरा रजता नहर पुलिया निर्माण कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि पट्टी पचगाई तथा पचगाई खेड़ा, ठाकुरदास की गढ़ी सलेमबाद आदि 50-60 हजार आबादी वाले गांव जुड़ते और आवागमन करते समय 7-8 कि0मी0 चक्कर काट करके गन्तव्य स्थान पर पहुंचते हैं। जबकि ठाकुरदास की गढ़ी के सामने नहर पर मात्र 2-3 फुट नहर पर रास्ता बनाये जाये जिसके कारण से आने-जाने पर कई बार नहर में गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में जनहित में ठाकुरदास की गढ़ी (पट्टी पचगाई) के सामने पुलिया का विस्तार कर पुलिया निर्माण कराया जाय। पुलिया न होने से जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त 1-ग्राम नगला बसुआ के सामने आगरा रजवा नहर पुलिया निर्माण कार्य 2-ग्राम ठाकुरदास की गढ़ी (पट्टी पचगाई) के सामने आगरा रजवा नहर पुलिया निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

सिद्धार्थनगर, बस्ती, सन्तकबीर नगर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया तथा गोरखपुर आदि पूर्वी उ0प्र0 के 07 जनपदों के बीच अन्तर्जनपदीय मेट्रो रेल प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उपरोक्त सात जिले मूलतः भारतीय संस्कृति सभ्यता एवं वैचारिकता की जन्म स्थली रहे हैं। आदि से प्रारम्भ होकर भगवान महावीर जगन्नाथ, बुद्ध संतकबीर वेदान्त गोरखनाथ के समानता, समरसता, मातृत्व, अद्रियां एवं मानववाद के विचारों ने पूरी दुनिया को सांस्कृतिक रूप से प्रभावित किया।

देश के इतिहास एवं संस्कृति निर्माण में इतनी महान भूमिका निर्वहन करने के साथ ही जन इस क्षेत्र ने अंग्रेजी सामाताबाद के अपनी अत्याधिक सक्रिय भूमिका एवं निर्वहन किया तो अंग्रेजों ने सुनियोजित तरीके से इस पिछड़ेपन की ओर ढकेल दिया। तब से लेकर आज तक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवस्थापना सुविधायें के अविकसित होने के कारण न तो क्षेत्र का औद्योगिक विकास हुआ और न ही स्वतन्त्रोत्तर कृषि नीति ने इस क्षेत्र के कृषकों को ही स्वावलम्बी बनने दिया।

आज भी ये 7 जिलों प्रशासनिक रूप से 7 जनपद हैं। लेकिन संस्कृतिक, भाषायी, औद्योगिक, शैक्षणिक एवं चिकित्सीय आधार पर महाजनपद के रूप मात्र हैं। यदि इन सात जनपदों को व्यवहारिक रूप से एक मानते हुए आधुनिक त्वरित यातायात के साधन उपलब्ध करा दिये जायें। प्रदेश के यह सर्वाधिक पिछड़ा हुआ इलाका विकास की दौर में आगे निकल जायेगा। अतः यह सकारात्मक है कि हैदराबाद, सिकन्दराबाद, दिल्ली-गाजियाबाद, नोएडा, मुम्बई कल्याण की तर्ज पर यहां भी अन्तर्जनपदीय मेट्रो रेल, प्रारम्भ है।

अतः लोकमहत्व के इस निश्चित एवं अविलम्बनीय विषय पर नियम-301 के तहत सरकार को पटल पर जवाब देने हेतु निर्देशित]

जनपद बुलन्दशहर अन्तर्गत ग्राम हिरनौटी से वैर तक सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत वर्षों पहले वैर रेलवे स्टेशन से हिरनौटी सम्पर्क मार्ग (काली सड़क) का निर्माण कराया गया था। लेकिन उस सम्पर्क मार्ग का निर्माण पूरा नहीं हो पाया तथा हिरनौटी गांव से लगभग 1.5 कि0मी0 पहले तक ही वह सड़क बन पाई। पिछले वर्ष सरकार द्वारा उस सड़क का पुनर्निर्माण कराया गया लेकिन बचे हुए अवशेष भाग लगभग 1.5 कि0मी0 मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया जिसके कारण हिरनौटी तथा कमलापुर गांव पूर्णरूप से उस सम्पर्क मार्ग से नहीं जुड़ पाये। बरसात के दिनों में उस 1.5 कि0मी0 रास्ते पर चलना अत्यन्त दूभर हो जाता है तथा हिरनौटी तथा कमलापुर गांव के लोग वैर रेलवे स्टेशन की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। यहां यह बताना आवश्यक है कि हिरनौटी पूर्व विधायक स्व0 श्री प्रताप सिंह जी का पैतृक गांव है। जनहित में वैर हिरनौटी सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग 1.5 कि0मी0 मार्ग का निर्माण होना अति आवश्यक है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करती हूं।]

उ0 प्र0 में यमुना नदी पर अवस्थित सभी शहरों में सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी पर बसे शहरों के नाले-नालियों, सीवरों व औद्योगिक संस्थानों का कचरा तथा गन्दा पानी सीधे गिराया जा रहा है। इससे यमुना नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो गयी है। यमुना का पानी स्नान तथा पीने योग्य नहीं रह गया है। यमुना नदी पर अवस्थित शहरों की नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा एस0टी0पी0 समय पर नहीं चलाया जाता है और नाले-नालियों तथा सीवरों का गन्दा पानी सीधे यमुना नदी में गिराया जा रहा है। यमुना नदी की धार्मिकता विश्व प्रसिद्ध है। यमुना नदी पर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवस्थित मथुरा-वृन्दावन में प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं, यह यमुना में स्नान तथा आचमन करते हैं लेकिन यमुना नदी में उद्योगों का अवशिष्ट मिलाये जाने से लोगों को चर्मरोग इत्यादि असाध्य रोग हो रहे हैं तथा दूषित जल के कारण लोगों की धार्मिकता भी आहत हो रही है। यमुना के शुद्धिकरण हेतु यमुना रक्षक दल द्वारा लगातार आन्दोलन चलाया जा रहा है। पैदल मार्च निकाला जा रहा हैं वर्तमान समय में भी यमुना बचाओ आन्दोलन के तहत धरना और अनशन यहां चल रहा है। दिल्ली, वजीराबाद एवं ओखला बांध के बीच में लगभग 20 कि0मी0 की दूरी में दिल्ली शहर का सीवर एवं फैक्ट्रियों को जहरीला पानी जिसकी मात्रा लगभग 35.00 करोड़ ली0 प्रतिदिन है। यमुना नदी में गिराया जा रहा है। वहीं से सूखी यमुना एक नयी काली यमुना में तब्दील हो जाती है। यमुना नदी में गिरने वाले नाले में नोएडा, वृन्दावन, मथुरा, आगरा तथा इटावा इत्यादि शहरों के सीवरों का दूषित पानी पाइपलाइन के द्वारा शहर के बाहर ले जाकर उसे एस0टी0पी0 के द्वारा शुद्ध करने के बाद ही खेतों की सिंचाई में प्रयोग करना चाहिए अथवा यमुना में मिलाना चाहिए। अतः जनहित में यह आवश्यक है कि उ0 प्र0 सरकार यमुना सफाई हेतु सम्यक् समाधान निकाले तथा उ0 प्र0 में यमुना नदी पर अवस्थित सभी शहरों में सीवर ट्रीटमेन्ट प्लाट (एस0टी0पी0) को स्थापित कराकर शहर के दूषित जल एवं सीवर के जल को शुद्ध करके उसे नहरों में सिंचाई हेतु प्रयुक्त किये जाने हेतु एक स्थायी कार्य योजना बनायी जाये तथा इस हेतु आगामी बजट 2011-2015 में आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाय।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

[12.48] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24 फरवरी, 2014 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 07 सूचनाएं प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्री सतीश महाना की संविधान की धारा-202 के अन्तर्गत वर्तमान सत्र में वार्षिक आय-व्ययक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की मा0 मुख्य मंत्री द्वारा मा0 मंत्रियों को विभाग आवंटित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की नियम-63 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

नियम-63 पर हमने सभी अधिकारियों को बुलाया है, दो-चार लोग दण्डित हुए हैं, सब धीरे-धीरे हो रहा है।

चौथी सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की नगर निगमों/नगर निकायों के सभासदों को मानदेय प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत 2012-13 एवं 2013-14 में चयनित लोहिया समग्र ग्रामों में अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री बृजेश कुमार की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षणमित्र/अतिथिवक्ता अनुदेशकों को विनियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना डा0 अरुण कुमार की सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा वर्ष 2014 के लिये छपाई गई डायरियों के कैलेण्डर में हिन्दी भाषा का प्रयोग न किये जाने के सम्बन्ध में है।

इसमें एक भी सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिए सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद-202 के अन्तर्गत वर्तमान सत्र में वार्षिक आय-व्ययक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(विपक्ष के कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप जो अनुच्छेद-200 पढ़ रहे हैं, 202 में बजट और आगे अनुच्छेद में लेखानुदान और अन्तरिम बजट का उल्लेख है। आप संविधान में आगे पढ़िये तो उसमें लेखानुदान का उल्लेख है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा यही निवेदन है कि .....

श्री अध्यक्ष-

यह बनता ही नहीं है। जब संविधान में व्यवस्था है कि अगर आप सम्पूर्ण वित्त विवरण-पत्र नहीं रखते हैं तो अन्तरिम पत्र रख करके लेखानुदान ले सकते हैं। यह बनता ही नहीं है, क्या फायदा इसका। जब संविधान में व्यवस्था है कि अगर आप सम्पूर्ण वित्त विवरण पत्र नहीं रखते हैं तो अंतरिम वित्त विवरण पत्र रख करके लेखानुदान ले सकते हैं, वह रख दिया। अभी तो वित्तीय वर्ष पूरा पड़ा है, क्यों तंग कर रहे हो ?

*श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान की मंशा के विपरीत मैं कोई भी बात कहने नहीं जा रहा हूं। आपको व्यवस्था देने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

आपको बोलना है तो कुछ भी बोलिये लेकिन नियमों में नहीं है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जो चीज मैंने नहीं पढ़ी, आप उसे मुझको बताईयेगा लेकिन मुझे अपनी पूरी बात तो कहने दीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैं जान जाता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। जिस अनुच्छेद में आप मामला उठा रहे हैं वह बनता ही नहीं है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप मुझे सुनिये तो सही।

श्री अध्यक्ष-

आप जिद करके कहना चाहते हैं, गंगा के किनारे से आये हैं, कहिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं पवित्र स्थान से आया हूं, धन्यवाद, बहुत-बहुत।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसके बाद दो मिनट मुझको भी सुन लेंगे, अगर सुनेंगे तभी कार्यवाही में आयेगा, राज्यपाल के अभिभाषण में हमारा समय काट दिया गया है।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो सदन है इसके अपने अधिकार हैं। प्रदेश को चलाने के लिए एक वित्तीय सुप्रबन्धन की आवश्यकता होती है और वित्तीय सुप्रबन्धन के लिए प्रदेश की सरकार हर वित्तीय वर्ष के पहले आगामी वित्तीय वर्ष का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है। संविधान के अनुच्छेद-202 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि-'राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधान मण्डल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य के, उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवायेगा, जिसे इस भाग का वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लीजिए। आज कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं थी जिसके कारण प्रदेश सरकार को पूरा बजट पेश करने में कठिनाई हो। सरकार विगत दो वर्षों से चल रही है, पिछले वित्तीय वर्ष के पहले जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें बहुत सारी वित्तीय अनियमिततायें थी, ऐसा प्रतीत होता है सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण इस समय वित्तीय संकट उत्तर प्रदेश में है। इस बजट को न लाने के कारण अगले वित्तीय वर्ष में किस प्रकार के विकास कार्य कराये जायेंगे, किस प्रकार की योजनायें होंगी, इसका कोई प्रतिबिम्ब या जानकारी सरकार के द्वारा नहीं दी गयी है। ऐसी परिस्थितियों में प्रदेश में एक प्रकार का अनिश्चितता का वातावरण है और उस अनिश्चितता के वातावरण को समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार के पास एक महत्वपूर्ण अवसर था कि वह अपनी उपलब्धियां 'यदि कोई होती तो' मैं इसको अण्डरलाइन कर रहा हूं 'यदि कोई होती तो' उसको बताती। उपलब्धियां न होने के कारण इन्होंने बजट को पेश न करके 4 मिनट के अंदर लेखानुदान का, अपना 4 मिनट का भाषण प्रस्तुत कर दिया। इसलिए मान्यवर, यह छोटा-मोटा इशू नहीं है। ऐसी परिस्थितियां किन परिस्थितियों में आ सकती हैं कि आपको लेखानुदान लेना पड़ा। लेखानुदान उन परिस्थितियों में आता, जब पता होता कि विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं और उस विधान सभा के चुनाव के बाद जो भी सरकार आयेगी उसको अधिकार होगा कि वह अगले साल के लिए अपना वित्तीय प्रबन्ध करे। इन परिस्थितियों में लेखानुदान आने की व्यवस्था हो सकती है। देश के बहुत सारे प्रदेशों में, आपकी जानकारी में है, मैं सिर्फ आपका ध्यान दिलाना

चाहता हूं कि पूरा बजट आया है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी, कौन से ऐसे कारण थे कि प्रदेश सरकार ने पूरा बजट न ला करके 4 लाईनों का एक लेखानुदान प्रस्तुत कर दिया। इस वर्तमान वित्तीय वर्ष की अभी तक वित्तीय स्वीकृतियां नहीं हुई, अगले वित्तीय वर्ष में क्या सरकार की मंशा है, वह क्या करना चाहती है यह अस्पष्ट है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार का वित्तीय कुप्रबन्धन, सरकार का वित्तीय संकट, सरकार के इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई उपलब्धि सरकार के पास बताने के लिए नहीं थी। उसको छिपाने के लिए यह लेखानुदान ले करके आये हैं और उस लेखानुदान में किसी प्रकार की कोई बात ऐसी नहीं कही गयी जिससे अधिकारियों और जनता के बीच में संदेश जाता कि यह सरकार अगले 3 साल भी चलने वाली है ? अगर अगले 3 साल चलना था तो इस वर्ष के लिए एक-एक दिन महत्वपूर्ण होता है। आप बजट नहीं लाये, आपने कहा कि मई, जून तक चुनाव होंगे उसके बाद लायेंगे। जुलाई से पहले आपको लाना पड़ेगा क्योंकि 4 महीने का आपने लिया है। ये 4 महीने बड़े महत्वपूर्ण हैं चुनाव की दृष्टि से, जनता के बीच में संदेश जाना चाहिए था कि आपने इस साल बड़ा अच्छा काम किया आपके पास अगर उपलब्धि थी तो उसे बताने में आप क्यों संकोच कर रहे थे। आपके पास नहीं था इसलिए आपने संकोच किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि वित्तीय वर्ष के लिए पूरा बजट लाने का अवसर था सरकार ने उस अवसर को खोया है। क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था इनके पास करने के लिए कुछ नहीं था उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार के पास बजट लाने का पूरा समय था उस समय को इन्होंने गंवाया है जिसके कारण प्रदेश की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कष्ट में होगी मान्यवर, इसीलिए मेरा निवेदन है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और औचित्य का प्रश्न 100 प्रतिशत बनता है। अगर संविधान के तहत प्रदत्त नियमों के तहत भी औचित्य का प्रश्न नहीं बनता तो कैसे बनेगा। तात्कालिक इसलिए है क्योंकि दो-चार दिन का सदन है अगर पूरा बजट लाने की सरकार बात करती है तो अगला वित्तीय वर्ष भी अच्छी तरह से होगा जनता के बीच में विकास का काम होगा जो इनकी कमियां हैं वह जनता के बीच में आयेंगी।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

मैं इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इस नियम में चर्चा कहां होती है। आपने प्रश्न उपस्थित किया उस पर व्यवस्था आ जाएगी।

श्री गजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप रुक जाएं। यह हो जाए उसके बाद आप आप कहिएगा। यह जो मामला है यह खत्म हो जाने दें।

महाना साहब आपका जवाब दे दें या खन्ना साहब के कह लेने के बाद दोनों का एक साथ जवाब दे दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पहले इनका जवाब दे दें फिर मुझे दो मिनट सुन लें। हम कोई बात दोहरायेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आपका नियम-300 में बनता नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कैसे बनता है यही हम बताने जा रहे हैं।

नेता, विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष महोदय खन्ना साहब से मंत्रिगणों ने कहीं न कहीं अपना आक्रोश व्यक्त किया है तो इनकी बात एक मिनट सुन लें उससे सरकार का भला हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

पहले महाना जी की बात पर व्यवस्था दे दें। महाना जी हमारे संविधान में है कि पूरे वर्ष का एक वित्त विवरण जो प्राकल्पित होगा वह रखा जाएगा यह है लेकिन इसी के साथ-साथ अगर किन्हीं परिस्थितियों में पूरा विवरण रखकर इसको नहीं किया जा सकता तो अनुच्छेद-206 को आप देखेंगे तो 206 में लेखानुदान की भी बात की गई है। आपका कहना है कि पूरा इन्होंने प्रदर्शित नहीं किया है किन्हीं परिस्थितियों में अगर पूरा बजट नहीं प्रस्तुत होता तो एक परिकल्पित बजट जिसे आप अन्तरिम बजट कहते हैं वह रखकर ही लेखानुदान लिया गया है इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है मैं इसे निरस्त करता हूं। खन्ना जी अपनी बात रखें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने किन्हीं परिस्थितियों पर बड़ा जोर दिया है वही तो परिस्थितियां हम जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

सरकार को यह पूरा अधिकार है कि चाहे वह लेखानुदान लाए या पूरा बजट लाए। आपकी बात खत्म हो गई अब बैठ जाएं। खन्ना जी अब आप बोलिए। महाना जी विद्वान आदमी हैं यह एक-एक विषय लाते हैं। महाना जी अब आप बैठ जाएं।

श्री सतीश महाना-

सरकार परिस्थितियों को बता दे।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका लिखा नहीं जाएगा। आपकी बात आ गई मैंने जवाब दे दिया। अनुच्छेद-206 में प्राविधान है।

श्री सतीश महाना-

परिस्थितियां बता दे सरकार।

श्री अध्यक्ष-

वह काम हमारा नहीं है। बजट रखना सरकार का काम है लेखानुदान लेना सरकार का काम है।

मा0 मंत्रियों को विभाग आवंटित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी बोलिए नहीं तो हम आगे बढ़ें।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी आपने नियम-300 की एक सूचना पर मुझे बोलने का मौका दिया मैं आभारी हूं। मान्यवर, संविधान में...

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना नियम-300 में कहां आती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर हम कोई बात दोहराएंगे नहीं आप सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष-

आज और भी दूसरे मामले हैं आप जल्दी करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, संविधान में आर्टिकल 164 में यह व्यवस्था है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर महामहिम श्री राज्यपाल जी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इस सरकार के पास एक लम्बा चौड़ा मंत्रि-मंडल है। नियमों में जो व्यवस्था है 15 परसेन्ट की वह पूरा का पूरा नियमों का पालन करते हुए 60 मंत्री और एक मुख्य मंत्री, पूरा 61 का मंत्रि-मण्डल है मान्यवर। अभी विधान सभा के पटल कार्यालय से एक सूची जारी की गई मान्यवर, इसमें 6 केबिनेट मंत्री हैं, वह बिना विभाग के हैं और एक राज्य मंत्री बिना विभाग के हैं। एक महीना मान्यवर, शपथ लिये हुए हो गया और इनको कोई विभाग भी नहीं मिला अभी तक। मान्यवर, यह अपने आप में एक अजीब बात है कि इन 7 मंत्रियों को एक महीने के बाद तक किसी भी प्रकार का कोई विभाग नहीं दिया गया, कोई काम नहीं दिया गया। सवेरे से शाम तक मंत्री जी आते हैं और अपने क्षेत्र की जितनी चिट्ठियां हैं टाइप कराते हैं और चले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपको समय मिले तो उनसे मिल लीजिये आप भी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नहीं मान्यवर, सुन तो लीजिये। पूरी बात सुन लीजिये। यह बात क्यों आई मान्यवर। यह बात इसलिये आई मान्यवर, कि माननीय मुख्य मंत्री जी सक्षम हैं, योग्य हैं और बहुत उत्साही हैं। मान्यवर, 58 विभाग इस सूची के अनुसार उनके पास हैं। और 58 विभागों के साथ मान्यवर, चूंकि न्याय नहीं हो पा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी योग्य होने के बाद भी सबको समय नहीं दे पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

हो गया, अब खत्म करिये। अब आपने सब कह डाला बचा क्या है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अरे मान्यवर, सुन तो लें। मान्यवर, उन 58 विभागों के साथ....

श्री अध्यक्ष-

कितना सुनें। समय क्यों आप विधान सभा का खराब कर रहे हैं। अब विभाग बांटना न बांटना वह मुख्य मंत्री का विशेषाधिकार है। यह कहां औचित्य बनता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जब एक बार मुझे अनुमति दे दी तो क्षमा करें बीच में पीठ से टोका-टाकी होगी तो यह मेरे अधिकारों का अतिक्रमण है मान्यवर। आप क्षमा करें, सिर्फ एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। चूंकि मान्यवर, 58 विभागों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। और मैंने एक घटना कोट की। पूरा प्रदेश आज निर्माण कार्य से इसलिये प्रभावित है क्योंकि इनवायरमेन्टल क्लीयरेंस नहीं लिया। इनवायरमेन्टल क्लीयरेंस के लिये अधिकारी कहते हैं कि वह ठेकेदार ले जो बालू का ठेकेदार है।

श्री अध्यक्ष-

यह कहां चले आय। आप बात घुमा कर कहां ले जा रहे हैं। हम समझते थे कि महाना जी बड़ा घुमाते हैं आप उनसे भी ज्यादा वो निकले। इसमें कहां।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अरे मान्यवर, उसका प्रभाव है। मैं राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं बोलूंगा मान्यवर। मैंने कह दिया मुझे मेरा समय दे दें। एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा देखते हैं एक मिनट में।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पूरा प्रदेश इस बात से प्रभावित है। जो जो विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के पास हैं और चूंकि वह पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बाकी मंत्री खाली बैठे हैं, इन लोगों को भी रोजगार दे दें कोई। इनको कोई विभाग दे दें और उन लोगों को बाकी विभागों के साथ....

श्री अध्यक्ष-

देखिये कुछ लोग बेरोजगार हैं और कुछ लोग दूसरी तरह से बेरोजगार हैं। दोनों लोग मिलकर समस्या का निदान कर लीजिये, बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपका ध्यान इस पर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहते हैं क्योंकि यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मान्यवर, एक महीना हो गया।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, हो गया। अब यह क्या बार बार उसी बात को कह रहे हैं। देखिये विभाग का बंटवारा करना सरकार या मुख्य मंत्री का विशेषाधिकार है, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। मैं इसी अग्राह्य करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी आधा मिनट रह गया। श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, प्रो0 शिवाकान्त ओझा।

श्री अध्यक्ष-

गायत्री प्रसाद प्रजापति एक विभाग के मिनिस्टर हैं, काम कर रहे हैं, मनोज कुमार पाण्डेय भी एक विभाग देख रहे हैं।

[x x x]

अब आप बैठिये, आपका लिखा नहीं जायेगा, आप नहीं मानेंगे, आपका नहीं लिखा जायेगा।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा वर्ष 2014 की डायरियों के कैलेण्डर में हिन्दी भाषा का प्रयोग न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अब अरूण कुमार जी आप कहां से निकल आए भई, मा0 हुकुम सिंह जी, कहां-कहां से इन लोगों को समझाकर ले आते हैं। अरुण जी बैठे, टाइम न बरबाद करें।

(कई मा0 सदस्य एक साथ खड़े होकर बोल रहे थे।)

श्री अध्यक्ष-

बैठिए आप लोग। अरुण कुमार जी आप डायरी क्या दिखा रहे हैं ?

डायरी के लिए कुछ न कहें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्या)-

मा0 अध्यक्ष जी हमारे एक मा0 सदस्य गजेन्द्र सिंह जी हैं यह दो शब्द आपके माध्यम से सदन में रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

डायरी का औचित्य नहीं हैं। आपके वरिष्ठ मंत्री हुकुम सिंह जी रहे हैं यह संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं पीठ पर भी बैठे हैं कम से कम आप उनसे समझकर नियम तीन सौ में लाया करिए।

श्री गजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा को जान से मारने की धमकी फोन पर दिये जाने विषयक व्यक्तिगत प्रकरण

*श्री गजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे 2-12-2013 में 9.48 बजे फोन आता है उसमें मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। जैसे ही हमने वह नम्बर देखा हमने अपने यहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कप्तान को उस नम्बर के बारे में बताया उन्होंने कहा कि यह बहुत गम्भीर मामला है यह

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नम्बर विदेशी है तत्काल आप इसके बारे में हमें लिखकर दीजिए ताकि इस पर हम कार्यवाही कर सकें। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अगले दिन कप्तान साहब को और कोतवाली सिटी बुलन्दशहर को लिखित में अपना प्रार्थना-पत्र भेज दिया। कप्तान साहब ने उसको गम्भीरता से लेते हुए हमारे यहां के सी0ओ0 को उसकी जांच दे दी। लगभग ढाई महीने बाद 17 तारीख को दुबारा हमसे पूछा गया उसके बाद जो धमकी फोन पर आती थी उसमें स्क्रीन पर नौ नम्बर केवल लिखा होता था। एक तरफ अधिकारी कहते रहे कि गम्भीर मामला है विदेशी धमकी है और मान्यवर, ढाई महीने बाद उसकी 17-2-14 को उसकी एफ0आई0आर0 कोतवाली में दर्ज हुई। अध्यक्ष जी, जब एफ0आई0आर0 दर्ज हुई होगी तो वह कोतवाली में कहीं न कहीं लीक हो गई होगी इसका जिक्र भी कहीं नहीं किया क्योंकि हम जानते थे कि इसका जिक्र करेंगे तो और दिक्कतें बढ़ेंगी। वह कहीं मीडिया में लीक हो गई और वह अखबार में छप गई उसके बाद से मान्यवर, पूरे क्षेत्र में क्या पूरे जनपद में उसकी खबर फैल गई। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे साथ जो घटना धमकियों की चल रही है इससे पहले भी मैं लिखकर दे चुका था, पहले हमने इसको गम्भीरता से नहीं लिया लेकिन जब कप्तान साहब ने कहा कि यह विदेशी मामला है तो अब हम लोग दहश्त में हैं। मेरा सरकार से निवेदन है पीठ से निवेदन है कि सरकार से कहकर मेरी सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए। इसमें आपका निर्देश सरकार के लिए हो जाए यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो बात रखी है यह गम्भीर है लेकिन आपने खुद यह बताया कि एस0पी0 ने संज्ञान लिया और उसमें जांच भी हुई है इसमें खासतौर से देखेंगे कि कोई खतरा न हो यह सुनिश्चित करेंगे और आपको भी हिम्मत दिलायेंगे कि राजनीति में काम करने वालों को इस तरह की धमकियां मिलती हैं लेकिन लोग अपना रास्ता नहीं छोड़ते हैं अगर राजनीति करनी है तो, हिम्मत रखिए और हम वही मानक अपनायेंगे, जो आपने अपनाये थे, आपकी सरकार ने अपनाये थे, इस तरह की धमकियों का जो संज्ञान लिया गया था और जो कड़ी कार्यवाही की गई थी उससे कम कड़ी कार्यवाही नहीं होगी।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्या)-

यह एक मा0 सदस्य की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और जैसा मा0 सदस्य राजेन्द्र सिंह जी ने अवगत कराया कि किसी विदेशी मोबाइल से, ऐसा मोबाइल नम्बर जो विदेश का है, उसके माध्यम से इनको जान से मारने की धमकी दी गई, इसमें संसदीय कार्य मंत्री जी का बड़प्पन होता अगर वह इस मामले की जांच कराते। किस विदेश के मोबाइल से धमकी दी गई यह पता लगाते, इसकी तह में जाने के बजाय इसको हल्का कर दिया मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन की गरिमा को गिराया है। आप संसदीय कार्य मंत्री केवल समाजवादी पार्टी के नहीं हैं सरकार के है और सभी आप से उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि सरकार के नुमाइन्दे के रूप में, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आप बैठते हैं तो सब की अपेक्षाएं आपसे रहती हैं तो मान्यवर, घाव पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने का काम मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने किया है हम समझते हैं कि इसकी गंभीरता को देखते हुए बिना किसी राजनीतिक दुर्भावना से, क्योंकि हमारे मा0 सदस्य ने समाजवादी पार्टी पर आरोप नहीं लगाया है, सरकार पर आरोप नहीं नहीं लगाया है, समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता पर, किसी विधायक पर आरोप नहीं लगाया है। इसलिए

यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मामला नहीं है, विदेश के किस गुण्डे ने, किस अराजक तत्व ने मा0 विधायक को धमकी दी, यह मामला अत्यन्त गंभीर है और वह आपके इस सदन का सदस्य है, जिस सदन में आप संसदीय कार्य मंत्री के रूप में बैठे हैं तो मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसमें सदाशयतापूर्ण विचार कर संसदीय कार्य मंत्री इस पर कोई प्रभावी कार्यवाही करने का आश्वासन देना चाहें और मान्यवर, आपका भी संरक्षण हम चाहेंगे क्योंकि यह पीठ सब के लिए है, सब के लिए सम्मानजनक है और हम सभी की इसमें आस्था है। पहले तो हमारी अपेक्षा है कि संसदीय कार्य मंत्री जी के स्तर से ही माननीय सदस्य को न्याय मिलेगा और यदि कहीं आपके संरक्षण की आवश्यकता होती है तो आपकी कृपा होगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, उसे अन्यथा लिया, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि कड़ी कार्यवाही होगी और जाहिर है, अगर आप अपनी सरकार की कड़ी कार्यवाहियों को भूल गए हैं तो यह तो मेरी कमनसीबी है तो आपने कितनी कड़ी कार्यवाहियां की हैं, हम भी करेंगे और इसे हल्के में नहीं लेंगे, कहने को कुछ भी कह लें लेकिन हमारी सरकार में यदि किसी विधायक पर ऐसा है और विदेश का फोन है तो बिल्कुल कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब मद संख्या-3।

मुजफ्फरनगर घटना में नामित सदस्य श्री सुरेश राणा को विशेष सुरक्षा प्रदान किये जाने की मांग

(श्री सतीश महाना बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब, आपको क्या कहना है ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, हमारे मा0 सदस्य, श्री सुरेश राणा जी का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो पिछली बार उठ चुका है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने उठाने से पहले ही बिठा दिया था, अब सुन लें, उनकी बात हम लोग नहीं उठायेंगे तो कौन उठायेगा। मान्यवर, हमारा भी अधिकार है, हमारे नेता जी का भी अधिकार है कि अपने सदस्यों का संरक्षण करें और उनके निर्देश पर ही मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मुजफ्फरनगर की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उसमें हमारे दो सदस्यों को नामित किया गया था। उनके ऊपर एनएसए भी लगायी गयी। एनएसए लगाने के बाद वह एनएसए कमेटी में गयी, उन्होंने उसे ओवररूल कर दिया, खारिज कर दिया। मान्यवर, कोर्ट ने भी उनको दोषी नहीं माना और मान्यवर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं कि सरकार द्वारा किसी को संरक्षण दिया गया है या नहीं दिया गया है, कितनी सुरक्षा दी गयी, कितनी सुरक्षा नहीं दी गयी, यह सरकार को देखना है लेकिन मान्यवर, एक सदस्य जो उसमें दूसरे तरीके से नामित हुआ था और नामित होने के बाद

जो समाज के बीच में यह बात आ गयी, समाज में खराब और अच्छे दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, कोई भी खराब आदमी उसका लाभ उठाकर सदस्य के प्रति दुर्भावना के साथ उस पर किसी प्रकार का आक्रमण कर दे, उसे नुकसान पहुंचा दे, मान्यवर, इसलिए जिनको आप समझते थे कि वह निर्दोष हैं, उन्हें वहां पर जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है, उसी श्रेणी की सुरक्षा हमारे मा0 सदस्य, श्री सुरेश राणा जी को मिलनी चाहिए। मान्यवर, वहां पर परिस्थितियां ऐसी बन गयीं, वहां पर ऐसा संदेश हो गया, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से हुआ हो, उनको इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया गया कि वह जैसे बहुत बड़े अपराधी या गुण्डे हों लेकिन कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट में अगर उन्हें दोषी ठहराया गया होता तो यहां खड़े होकर मुझे यह कहना का अधिकार नहीं होता लेकिन कोर्ट से भी मान्यवर, रिजेक्ट हो गया, एन0एस0ए0 कमेटी ने भी कह दिया कि इनके ऊपर एनएसए का कोई कारण नहीं बनता। ऐसी परिस्थितियों में मान्यवर, उसमें जितने लोग थे, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ लोगों को ऐसी सुरक्षा दी है तो उसी श्रेणी की सुरक्षा हमारे मा0 सदस्य, श्री सुरेश राणा जी को दें दे। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, वह इस सदन के सदस्य हैं और उनकी सुरक्षा कराना इस सदन का अधिकार है और इस सदन का सदस्य होने के नाते इस सरकार और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि मा0 सदस्य, श्री सुरेश राणा को जेड श्रेणी की सुरक्षा या जिस श्रेणी की भी सुरक्षा और लोगों को दी गयी है, दी जाय, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मा0 महाना जी ने जो बातें कहीं हैं उस पर बल देने के लिए केवल दो बातें कहना चाहता हूं और उसका कारण है। कारण यह है कि कुछ मुकदमें वहां पर कायम हुए। कुछ ऐसे लोग जिन पर आज भी मुकदमें कायम हैं। उनको तो सरकारी मेहमान बनाकर पूरा सम्मान और आदर दिया जा रहा है जो दूसरे पक्ष में बैठे हुए हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मान्यवर, आखिर भेदभाव कहां तक चलेगा। यह पीड़ा तो हमारे मन में होना स्वाभाविक है कि दो व्यक्ति को आपने वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी और वह मुकदमों में नामजद है। वह सरकारी हवाई जहाज से भी यहां पर आते हैं। उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, और यहां पर तो गिरफ्तारी भी होती है और कार्रवाई भी होती है और एनएसए भी लगता है और मान्यवर, आज जो स्थिति है अगर कल कोई घटना होती है। एक को तो मान्यवर, मा0 उच्च न्यायालय ने सुरक्षा दे दी है। दूसरे यह मा0 उच्च न्यायालय में इसलिए नहीं गये क्योंकि यह विश्वास करते थे कि आपके संरक्षण में कम से कम उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। आज वह उठकर भी शायद इसलिए चले गये थे अब वह आ गये हैं, वह अपने आपको इम्बेलेंस महसूस कर रहे थे कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए कैसे आग्रह करूं। मान्यवर, मैं दल का नेता होने के नाते विशेष रूप से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर दूसरों को सुरक्षा मिल सकती है यह तो विधायक हैं सिटिंग एम0एल0ए0 हैं कम से कम इनके बारे में इतना ध्यान तो दे लिया होता। वह तो कुछ भी नहीं हैं। न यहां के सदस्य हैं न किसी और सदन के सदस्य हैं। लेकिन उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गयी है। कोर्ट में कैस हैं कोर्ट में अपराधी हैं। पुलिस चारो तरफ उनके है। बजाये उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती पुलिस सोचती है कि कहीं इनके ऊपर आक्रमण न हो जाये इनकी सुरक्षा को कोई धक्का न लग

जाये। मान्यवर, सुरेश जी के बारे में मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में यह जाते हैं, लोक सभा के चुनाव भी आने वाले हैं। भागदौड़ भी करेंगे। जायेंगे आयेंगे। अगर कोई दुर्घटना हो गयी तो उसका हमारे पास कोई जवाब है नहीं। इसलिए मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि जब उन्होंने बार-बार निवेदन किया, बार-बार आग्रह किया और आवेदन इस आधार पर किया कि वहां की स्थिति को यह सरकार खुद भी मानती है कि तनावपूर्ण स्थिति है। उस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए ऐसे विधायक जिन पर आपने अनर्गल रूप से झूठी धाराओं में मुकदमें पंजीकृत कराये आज वह कोर्ट के निर्देश से बाहर हैं। उनको सुरक्षा प्रदान की जाये यह मेरा अनुरोध है।

(डा0 अरुण कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरुण कुमार जी आप क्यों खड़े हो गये। इनका तो कुछ मामला ही नहीं है न यह कुछ लिखकर दिये हैं। यह क्या है। डा0 साहब आप विद्वान सदस्य हैं। आप नियमों को पढ़ लो। डायरी को लेकर उठ रहे हैं। बैठिये। मैंने मा0 हुकुम सिंह जी को और महाना जी को सुना, उस बारे में राणा जी ने हमको अपनी सुरक्षा के लिए लिखकर दिया है हम उसको दिखवा लेते हैं।

[01.17] उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र, 2013 (दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 से 10 दिसम्बर, 2013 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण[†]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र, 2013 (दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 से 10 दिसम्बर, 2013 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बंधी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

[01.17] संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-42/ग्यारह-9(1)/2008-उ0 प्र0 अधि0-5-2008- आदेश-(108)-2014, दिनांक 10 जनवरी, 2014[††]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-42/ग्यारह-9(1)/2008-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(108)-2014, दिनांक 10 जनवरी, 2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

[†] छापा नहीं गया।

[††] छापी नहीं गयी।

[01.18] संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-187/ग्यारह-9(1)/2008-उ0 प्र0 अधि0-30- 2007-आदेश-(109)-2014, दिनांक 12 फरवरी, 2014††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-187/ग्यारह-9(1)/2008-उ0प्र0 अधि0-30-2007-आदेश-(109)-2014, दिनांक 12 फरवरी, 2014 को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

[01.19] संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-188/ग्यारह-9(1)/2008-उ0 प्र0 अधि0-30- 2007-आदेश-(110)-2014, दिनांक 12 फरवरी, 2014†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-188/ग्यारह-9(1)/2008-उ0 प्र0 अधि0-30-2007-आदेश-(110)-2014, दिनांक 12 फरवरी, 2014 को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-07 में कुछ नहीं है।

[1.20] उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का सप्तम् प्रतिवेदन††

श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवबाबू-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

[1.21] जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत शाहदरा के निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री जान मोहम्मद आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत शाहदरा के निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री जान मोहम्मद व श्री शकील उस्मानी निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थिति करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापी नहीं गयी।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर अन्तर्गत एत्मादपुर से बरहन होते हुये आंवलखेड़ा तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री विष्णु कुमार त्यागी आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर अन्तर्गत एत्मादपुर से बरहन होते हुये आंवलखेड़ा तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री विष्णु कुमार त्यागी व श्री सर्वेश कुमार निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत एत्मादपुर कस्बे के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु खराब पड़े नलकूपों को सही कराये जाने विषयक श्री केशव निमेश आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत एत्मादपुर कस्बे के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु खराब पड़े नलकूपों को सही कराये जाने विषयक श्री केशव निमेश व श्री सत्य प्रकाश निमेश निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत टेढ़ी बगिया से जलेसर रोड स्थित नाई की सराय तक के मार्ग के दोनों ओर नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री करमवीर भारती आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत टेढ़ी बगिया से जलेसर रोड स्थित नाई की सराय तक के मार्ग के दोनों ओर नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री करमवीर भारती व श्री राधा कृष्ण निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

[1.23] जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नथुआपुर एवं ग्राम पंचायत बरौरा के मध्य वारा नाले पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री विजय वर्मा आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रोशन लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नथुआपुर एवं ग्राम पंचायत बरौरा के मध्य वारा नाले पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री विजय वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

† छापी नहीं गया।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत पुवायां शाहजहांपुर मार्ग से महानन्दपुर होते हुये ग्राम ताहरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री आगा खां आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रोशन लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत पुवायां शाहजहांपुर मार्ग से महानन्दपुर होते हुये ग्राम ताहरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री आगा खां व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत बीसलपुर शाहजहांपुर मार्ग पर गुरगवां से पराझरसा होते हुए बरैचा तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रोशन लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत बीसलपुर शाहजहांपुर मार्ग पर गुरगवां से पराझरसा होते हुए बरैचा तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हमजापुर एवं डींग के मध्य कैमुआ नाले पर बने जर्जर पुल का पुनर्निर्माण तथा ग्राम पंचायत बरैचा एवं ग्राम पंचायत रतूली के मध्य कैमुआ नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री पातीराम वर्मा आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रोशन लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हमजापुर एवं डींग के मध्य कैमुआ नाले पर बने जर्जर पुल का पुनर्निर्माण तथा ग्राम पंचायत बरैचा एवं ग्राम पंचायत रतूली के मध्य कैमुआ नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री पातीराम वर्मा व श्री राजपाल पाल निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत किरावली-कागारौल मार्ग (किरावली रेल फाटक) पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने विषयक श्री ओमकार सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री सूरजपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत किरावली-कागारौल मार्ग (किरावली रेल फाटक) पर ओवर ब्रिज का निर्माण

† छापी नहीं गया।

† छापी नहीं गया।

कराये जाने विषयक श्री ओमकार सिंह व श्री सुखवीर सिंह निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत अछनेरा-भरतपुर मार्ग पर स्थित गौबरा-हसैला में नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुधाकर उपाध्याय आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री सूरजपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत अछनेरा-भरतपुर मार्ग पर स्थित गौबरा-हसैला में नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुधाकर उपाध्याय व श्री संतोष निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत किरावली-कागारौल मार्ग में 2 कि0मी0 पर स्थित नहर के पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुभाष आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री सूरजपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत किरावली-कागारौल मार्ग में 2 किमी0 पर स्थित नहर के पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुभाष व श्री हरिओम निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 फरवरी, 2014 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 22 फरवरी, 2014 से 28 फरवरी, 2014 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 24 फरवरी, 2014 को भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों के निधन की सूचनायें ली जायं।

2-दिनांक 24 फरवरी, 2014 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण सम्बन्धी मदें ली जायं :-

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014,

(ख) जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014।

3-दिनांक 25 फरवरी, 2014 को उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 पर विचार एवं उसके पारण सम्बन्धी मद ली जाय।

4-दिनांक 28 फरवरी, 2014 को अब सदन का उपवेशन न हो।

5-तद्नुसार दिनांक 24 फरवरी, 2014 से 28 फरवरी, 2014 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

फरवरी, 2014

22 शनिवार 23 रविवार	बैठक नहीं होगी।
24 सोमवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें। 2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पहला दिन)। 3-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :- (क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014, (ख) जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014। 4-विधायी कार्य।
25 मंगलवार	1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा-जारी। 2-उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 पर विचार एवं उसका पारण। 3-विधायी कार्य।
26 बुधवार	1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)। 2-विधायी कार्य।
27 गुरुवार	(महाशिवरात्रि का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
28 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज सदन को श्री अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-14 में वक्तव्य तो हैं नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014[†]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

[†] दिनांक 06 मार्च, 2014 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं।

[1.26] उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014†

होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल, व्यावसायिक शिक्षा मंत्री (श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं।

[1.27] नियम-56 में की गई चर्चा की पुनरावृत्ति श्री राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के समय न किये जाने का श्री अध्यक्ष का अनुरोध†

श्री अध्यक्ष-

अब कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है। इसमें एक-एक सभी नेताओं ने एक साथ दिया है। मा0 नेता जी, यह हमने आपका कार्य-स्थगन प्रस्ताव तो लिया है लेकिन पहले आप भी रहे हैं और यह परम्परा रही है कि जब राज्यपाल का अभिभाषण होता है या बजट होता है तो इस सब प्रकार के नहीं लिये जाते हैं लेकिन आप लोगों ने दिया तो इसको स्वीकार किया गया है। इसमें मैं एक निवेदन जरूर करूंगा क्योंकि इसी के बाद महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी होगी तो जो बातें कार्य-स्थगन प्रस्ताव में आप बोल चुके होंगे, उसकी पुनरावृत्ति उस भाषण में नहीं होगी, इसका ध्यान रखना है। यही मैं कहता हूं कि उन्हीं बातों को यहां रखिये जो आप राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं बोलेंगे क्योंकि एक बार बोल देने के बाद, सदन के संज्ञान में आ जाने के बाद दूसरी बार उसे फिर नहीं कहा जा सकता। इसका ध्यान देंगे।

[1.30] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 24-2-2014 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

(1) श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सिनोद कुमार शाक्य, श्री रमेश चन्द्र बिन्द, श्री उमाशंकर सिंह, श्री छोटे लाल वर्मा, श्री जगपाल सिंह, श्री संतराम कुशवाहा, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री ममतेश शाक्य, श्री लोकेश दीक्षित, श्री महावीर सिंह राणा, श्री शमशेर बहादुर सिंह, श्रीमती हेमलता चौधरी, श्री कालीचरन सुमन, श्री त्रिभुवन राम, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री वहाब चौधरी, श्री उदयलाल मौर्य तथा श्री मुसर्रत अली बिट्टन। (2) श्री हुकुम सिंह तथा श्री सतीश महाना। (3) श्री प्रदीप माथुर, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री अजय कपूर, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री संजय कपूर, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री गजराज सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री विजय कुमार दुबे, श्री गयादीन अनुरागी, श्री दिलनवाज खां, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुंवर कौशल सिंह, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री मो0 मुस्लिम, श्री संजय प्रताप जायसवाल तथा श्री राधेश्याम। (4) श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था तथा अपराध के बढ़ते ग्राफ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

ध्यानाकर्षण हेतु सुनी जायेंगी

(1) डा0 धर्मपाल सिंह तथा श्री सूरजपाल सिंह। (2) श्री कालीचरन सुमन तथा श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की प्रदेश में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि तथा आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि व फसलों के नुकसान का मुआवजा ससमय जारी कराये जाने के सम्बन्ध में। (3) डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की पूरे प्रदेश के विभिन्न महानगरों के अपविकास के दायित्व के निर्धारण के सम्बन्ध में। (4) श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद स्थित बक्शी बांध तथा

† दिनांक 06 मार्च, 2014 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

सलोरी एस0टी0पी0 का रिंग बांध राष्ट्रीय नदी गंगा-यमुना की विगत बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (5) श्री संजय प्रताप जायसवाल की बस्ती शुगर मिल के किसानों का बकाया भुगतान कराये जाने विषयक एवं गन्ना पर्ची न निर्गत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं :-

श्री सलिल विश्नोई, श्री रविन्द्र भड़ाना, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री सन्त प्रसाद, श्री उपेन्द्र तिवारी, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री अजय मिश्र 'टेनी' तथा श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट तथा श्री बृजेश कुमार, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री राजकुमार रावत, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री दलजीत सिंह, श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेई, हाजी मुसर्रत अली बिट्टन तथा श्री विजय बहादुर यादव।

श्री अध्यक्ष-

आप तीनों माननीय नेताओं में कौन शुरू करेगा। क्या नेता विरोधी दल शुरू करेंगे ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

आप लोग बैठ जाएं।

[1.31] प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा अपराध के बढ़ते ग्राफ से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम-56 की सूचना पर श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय बोलने की अनुमति दिये जाने का सुझाव

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक अनुरोध है मेरा.....

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा नियम-56 में ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप सुन लेने दीजिए, रुकिये सोलंकी जी।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक अनुरोध है, मा0 नेता प्रतिपक्ष भी खड़े हैं मान्यवर। मेरा अनुरोध यह है कि जैसा आपने पहले ही कहा कि आज राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा भी है और आपने यह भी चाहा कि पुनरावृत्ति न हो, जो हम यहां कहें वहां न कहें। स्वाभाविक तो यह है कि सारी बातें वहीं वहां भी आनी हैं यहां भी वहीं आनी हैं, लेकिन हमारी पीड़ा यह है मान्यवर, कि जब राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है, यह तो एक परंपरा रही है समय असीमित होता है मा0 नेता प्रतिपक्ष के पास, लेकिन क्योंकि विशाल विषय है, पूरे प्रदेश का विषय आता है, हमें बांध देते हैं आप बीस मिनट में, उस बीस मिनट में हम कुछ कह नहीं पाते। मान्यवर, मैं तो इस पक्ष में भी हूं, अगर ये चाहें तो सीधे उस पर चर्चा करा दें, ये भी उसी में आ जाए। अगर ये चाहें।

श्री अध्यक्ष-

क्या चर्चा करा दें ?

श्री हुकुम सिंह-

चूंकि बातें तो दोहराई जायेंगी और मेरा आग्रह यह है कि उसमें समय सीमा वाली बात है, समय वाली बात है, निश्चित रूप से 20 मिनट हमारे लिए अपर्याप्त हैं, चाहे मा0 कांग्रेस के नेता हों, चाहे लोकदल के नेता हों, हम हों, मान्यवर, अगर हम दो घण्टे ढाई घण्टे बोलेंगे, तो कम से कम आधा घण्टे, चालीस मिनट बोलने का हमें भी अवसर मिले तो हम अपनी बात कह पायेंगे, वरना हम अब भी बोलेंगे और तब भी बोलेंगे, बात तो वही आनी है।

श्री अध्यक्ष-

वही मैंने भी कहा था। मा0 नेता विरोधी दल ये आपका कहना है कि इस पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कराके इस पर चर्चा करा दें। आप जितना चाहे बोलेंगे, उनको भी पर्याप्त समय मिल जायेगा और फिर पुनरावृत्ति नहीं होगी, आखिर उसमें भी तो यही बात आप उठायेंगे, तो इसीलिए यह हुकुम सिंह जी का प्रस्ताव है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर सीधे चर्चा ही करा दी जाए, उसमें ही आप कानून-व्यवस्था या जो भी विषय चाहे उस पर बोल लेंगे, लेकिन अगर नियम-56 में कानून-व्यवस्था पर सारी बातों को कहेंगे तो फिर उसको वहां नहीं ला सकते तो पूरी आजादी आपकी छिनेगी तो उनके प्रस्ताव पर आप की क्या राय है ?

श्री हुकुम सिंह-

जैसा ये कहें मा0 अध्यक्ष जी, हम तो इन्हीं की बात मानेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, वैसे मा0 हुकुम सिंह जी, वरिष्ठतम नेता हैं, तो उनकी बात की अपनी गंभीरता है, लेकिन मान्यवर, जैसे चूंकि आपकी तरफ से पीठ से कुछ निर्देश आया कि महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण को आपने नियम-56 की सूचना से जो सम्बद्ध किया मान्यवर, ये आपके ही दिये गये निर्देश और परंपराओं के विपरीत है। सूचनायें नियमों में लगती हैं और किसी नियम में अगर कोई सूचना आ गई है तो उसी सत्र में उस सूचना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण, वह महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण है, जो किसी सूचना में नहीं आता है और यहां तक की जब महामहिम श्री राज्यपाल जी अभिभाषण करते हैं, तो आपके ही निर्देश के क्रम में महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण उस समय तक सदन की कार्यवाही नहीं रहती, जब तक कि साढ़े बारह के बाद आप द्वारा सदन का संचालन नहीं होता तो इसलिए महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण इन सारी व्यवस्थाओं से परे है। उसको किसी नियम की सूचना से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। हां यह जरूर है मान्यवर, इसमें मैं आपकी गरिमा का ध्यान रखते हुए, पीठ की सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए, मा0 वरिष्ठतम सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखते हुए ये बात तो स्वीकार की जा सकती है कि हम महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में चर्चा के समय इस बात को विस्तार से करेंगे। लेकिन वहां पर भी बार-बार आपका हस्तक्षेप चलता है। मैं नेता विरोधी दल हूं आपने मुझे बोलने का विशेषाधिकार दिया हुआ है लेकिन कई बार बीच-बीच में बैठने के लिए मुझे कह देते हैं। मान्यवर, मुझे बोलने की आजादी तो मिलनी चाहिए। उसे छीनने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

इसका ध्यान रखा जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

श्रीमन् आपका संरक्षण सभी सदस्यों को मिलना चाहिए और अपनी बात कहने की पूरी छूट होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। यह दो प्रस्ताव रखवा देते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू हो जायेगी।

[1.33] उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमागत)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 राधा मोहनदास अग्रवाल उपस्थित नहीं हैं। इसलिए संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। मैं प्रश्न रख देता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-10 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) यह 24 अक्टूबर, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 में सामान्य संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द 'प्राध्यापक' और 'उपाचार्य', जहाँ कहीं आए हों, के स्थान पर शब्द 'सहायक आचार्य' और शब्द 'सहयुक्त आचार्य' क्रमशः रख दिए जाएंगे।

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) का लोप कर दिया जायेगा।

धारा 5 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (4) का लोप कर दिया जायेगा।

धारा 14 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 14 में;—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

''(2) प्रति-कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक आचार्य ही होगा और उसकी नियुक्ति कुलपति की संस्तुति पर कार्यपरिषद द्वारा की जायेगी।''

(ख) उपधारा (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

''(4) प्रति-कुलपति ऐसी अवधि तक के लिए पद धारण करेगा जो कुलपति के पद का सह विस्तारी होगी तथापि यह कुलपति का परमाधिकार होगा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान कार्यपरिषद को किसी नये प्रति-कुलपति की संस्तुति करे।

(5) प्रति-कुलपति ऐसी धनराशि का विशेष भत्ता प्राप्त करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अवधारित किया जाय।''

धारा 20 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (1) में, खण्ड (घ) में, शब्द ''कुमाऊँ और बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय'' के स्थान पर शब्द ''बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय'' रख दिये जायेंगे।

धारा 31 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 31 में,—

(क) उपधारा (4) में,

(एक) खण्ड (क) में,—

क—उपखण्ड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

'' (i-क) संकाय का संकायाध्यक्ष, जहाँ कहीं लागू हो।''

ख—उपखण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

'' (iii-क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों में से प्रत्येक से एक शिक्षाविद, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी संबंधित श्रेणी का न हो।''

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(ग) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय, जिसमें स्ववित्तपोषित निजी महाविद्यालय सम्मिलित है (राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न), के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगेः–

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्ध समिति का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा;

(ii) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले प्रबन्ध समिति के दो सदस्य, जिनमें से एक शैक्षिक प्रशासन में विशेषज्ञ होगा;

(iii) कुलपति का एक नाम निर्देशिती, जो उच्च शिक्षा का एक विशेषज्ञ होगा :

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में विशेषज्ञ प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गए एवं कुलपति अनुमोदित तीन विशेषज्ञों के पैनल में से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(iv) तीन विशेषज्ञ, जिसमें महाविद्यालय का प्राचार्य, एक आचार्य और एक निष्णात शिक्षाविद्, जो आचार्य के रैंक के नीचे का न हो, कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित छः विशेषज्ञों के पैनल में से प्रबंध समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे :

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में विशेषज्ञों को प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गए एवं कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित छः विशेषज्ञों के पैनल में से नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(v) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों में से प्रत्येक से एक शिक्षाविद्, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, यदि इन वर्गों का कोई भी अभ्यर्थी आवेदक हो तथा यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी संबंधित श्रेणी का न होः

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, यह उप खण्ड लागू नहीं होगा।''

(तीन) खण्ड (घ) में, उपखण्ड (ii) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

''(ii) महाविद्यालय का प्राचार्य;

(iii) सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष, यदि लागू हो तो;

(iv) कुलपति के दो नामनिर्देशिती जिनमें से एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिएः

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, यह उप खण्ड लागू नहीं होगा।

(v) कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञ की सूची से कुलपति द्वारा पाँच सदस्यों के पैनल में से संस्तुत प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विषय विशेषज्ञ जो महाविद्यालय से सम्बन्धित न होंः

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, विशेषज्ञों को प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गए एवं कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित पांच विशेषज्ञों के पैनल में से प्रबन्ध समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।''

(चार) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(ङ) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए चयन समिति उसी प्रकार से होगी जैसे क्रमशः आचार्य, सहयुक्त आचार्य और सहायक आचार्य के लिए होगी, सिवाय यह कि यथास्थिति, पुस्तकालय में संबंधित विशेषज्ञ या कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष एक विषय विशेषज्ञ के रूप में चयन समिति से सहयुक्त होगा।"

(ख) उपधारा (7-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्ः–

''(7-ख) चयन समिति की सभी चयन प्रक्रियायें चयन समिति की बैठक के दिन ही पूर्ण कर ली जायेंगी, जिसमें चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित अंक देने के प्रपत्र और चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची सहित श्रेष्ठता के आधार पर की गयी संस्तुतियाँ/श्रेष्ठता के आधार पर नामों के पैनल के साथ कार्यवृत्त अभिलिखित किया गया हो।''

(ग) उपधारा (10) में शब्द ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर शब्द ''भारत'' रख दिया जायेगा।

धारा 35 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

''(2) ऐसे महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के किसी अध्यापक को पदच्युत करने या हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने या किसी अन्य रीति से दण्ड देने के लिए किया गया प्रत्येक विनिश्चय उसे संसूचित किये जाने के पूर्व, कुलपति को रिपोर्ट किया जायेगा और वह तब तक प्रभावी न होगा, जब तक कुलपति द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाय :

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, किसी भी अध्यापक को बर्खास्त, अपसारित करते हुए या पंक्ति में कम करते हुए या अन्य किसी भी प्रकार से दण्डित करते हुए प्रबन्ध समिति के निर्णय में कुलपति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उसकी उसे सूचना दी जायेगी और जब तक उसका यह समाधान न हो जाये कि इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, तब तक उस निर्णय को प्रभावी नहीं किया जायेगा।''

अनुसूची का संशोधन

9—मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

(क) क्रम-संख्या 2 में शब्द ''गाजियाबाद'' के स्थान पर शब्द ''गाजियाबाद, हापुड़'' एवं शब्द ''तथा सहारनपुर'' के स्थान पर शब्द ''सहारनपुर एवं शामली'' रख दिये जायेंगे;

(ख) क्रम-संख्या 7 में, शब्द ''तथा शाहजहांपुर'' के स्थान पर शब्द ''सम्भल एवं शाहजहांपुर'' रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

10—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2014 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2014

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2013 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2013

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-10 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2014 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2014 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[1.34] जे0 पी0 विश्वविद्यालय अनूप शहर उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जे0 पी0 विश्वविद्यालय, अनूप शहर, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल नहीं है। संशोधन रखा नहीं जा सकता इसलिये मैं प्रश्न रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि जे0 पी0 विश्वविद्यालय, अनूप शहर, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-53 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

जे0पी0 विश्वविद्यालय, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश विधेयक 2014

जय प्रकाश सेवा संस्थान, 63 बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली जो आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ''लाभरहित'' ट्रस्ट है, द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश में जिला बुलन्दशहर में अनूपशहर में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम जे0पी0 विश्वविद्यालय, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2—जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :—

(क) ''विद्यापरिषद'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद से है;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड या योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(ग) ''कुलाधिपति'', ''प्रति-कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति-कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः ''कुलाधिपति'', ''प्रति-कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति-कुलपति'' से है;

(घ) ''सभा'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ङ) ''निदेशक/प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र और स्कूल के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैं;

(छ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;

(ज) ''कार्यपरिषद'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से है;

(झ) ''विद्यमान महाविद्यालय'' का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(ञ) ''संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) ''संस्था/महाविद्यालय'' का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;

(ड) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) ''अभिलेखों और प्रकाशनों'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ण) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(त) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(थ) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' का तात्पर्य आचार्य, उपाचार्य, सहआचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा/प्रशिक्षण प्रदान करने या शोध संचालित करने के लिये नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(द) ''कोषाध्यक्ष'', ''कुलसचिव'', ''उप कुलसचिव'', ''वित्त अधिकारी'', ''परीक्षा नियंत्रक'', ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' या ''कुलानुशासक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(ध) ''ट्रस्ट'' का तात्पर्य आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन रजिस्ट्रीकृत जयप्रकाश सेवा संस्थान (जे0एस0एस0), ''लाभरहित'' ट्रस्ट, 63 बसंतलोक, बसंतविहार, नई दिल्ली है;

(न) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित जेपी विश्वविद्यालय अनूपशहर, उत्तर प्रदेश से है।

विश्वविद्यालय की स्थापना

3—(1) अनूपशहर, उत्तर प्रदेश में आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन पंजीकृत जयप्रकाश सेवा संस्थान (जे0एस0एस0), ''लाभरहित'' ट्रस्ट द्वारा जेपी विश्वविद्यालय अनूपशहर के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये शर्तें

4—ट्रस्ट, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा, अर्थात :—

(क) विश्वविद्यालय के लिये चिन्हित न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर जुड़ी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व हो;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्गमीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगा जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत का उपयोग शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये किया जायेगा;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम एक करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां भवन को छोड़कर, अवस्थापना सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां क्रय की जायेंगी तथा आगामी पांच वर्षों में न्यूतनम चार करोड़ रुपये मूल्य के कम्प्यूटर, फर्नीचर आस्तियां तथा अवस्थापना सुविधायें [उपरोक्त (ख) में उल्लिखित भवन को छोड़कर] तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिये वचनवद्ध होगा;

(घ) प्रत्येक विभाग या शाखा में कम से कम एक आचार्य, दो सह–आचार्य तथा पर्याप्त संख्या में आचार्य तथा सपोर्टिंग स्टाफ को नियुक्त करेगा;

(ङ) पुस्तकालय हेतु न्यूनतम दस लाख रुपये की पुस्तकें व पत्रिकाओं का क्रय किया जायेगा तथा प्रथम तीन वर्षों में पुस्तकों, पत्रिकाओं, कम्प्यूटर लाइब्रेरी, नेटवर्किंग तथा अन्य पुस्तकालय सुविधाओं हेतु न्यूनतम पचास लाख रुपये का विनिधान करने की वचनवद्धता होगी;

(च) छात्रों के लिये पाठ्य चर्चा के साथ गतिविधियां, पाठ्य चर्चा से भिन्न गतिविधियां, वाद–विवाद प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरीय कार्यक्रम, खेल–कूद, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) की विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार व्यवस्था करने की वचनवद्धता होगी;

(छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0), अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0) और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य संवैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों की पूर्ति की जायेगी;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि की स्थापना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने का कार्य करना;

(झ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश बनाना;

(ञ) ऐसी अन्य शर्तें जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई भी व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम एवं विनियमावली के प्राविधानों से भिन्न नहीं होगी।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5–(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिये ट्रस्ट को प्राधिकार–पत्र जारी किये जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, ट्रस्ट से इस आशय का अभिलेखों सहित असंदिग्ध शपथ–पत्र प्राप्त करने के पश्चात कि धारा 4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, प्राधिकार–पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6–विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कौशल का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित को प्रोन्नति के लिये आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा :–

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकें;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति करना;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन की व्यवस्था करना;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की यन्त्र किया।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

7—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होगी, जिसका निर्वहन यू0जी0सी0 और राज्य सरकार द्वारा विहित दिशा—निर्देशों और मानकों के अनुसार करेगी, अर्थात् :—

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें, शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध के लिये तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, जैव एवम् चिकित्सा विज्ञान, दंत चिकित्सा विज्ञान, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवं सत्कार प्रबन्धन, विधि एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा साथ ही इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, कला इत्यादि विषयों हेतु परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर और उपकेन्द्रों या केन्द्र संचालित करने अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं है; शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह आचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद यू0जी0सी0 मानकों और राज्य सरकार की विनियमावलियों के अनुसार संस्थित करना और उनके लिये नियुक्तियां करना;

(ज) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या काम पर लगाना;

(ञ) देश और विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य, सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) शोध और शिक्षा के लिये विद्यालयों, केन्द्रों विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हो;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवं कर्मचारियों के लिये स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण कल्याणकारी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना;

(ढ) शोध और परामर्शी सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझें;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथा स्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये यू0जी0सी0 मानकों/राज्य के मानकों के अनुसार निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिये व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिये दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये ट्रस्ट के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धनराशि उधार लेना या उसे बंधक रखना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अध्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना; और

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हो।

प्रवेश और शैक्षणिक मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0 मानकों) के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा–निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

(4) कुलाधिपति द्वारा बनाई गई एक शैक्षणिक विशेषज्ञों की समिति यू0जी0सी0/राज्य सरकार/अन्य नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करेगी जिसमें एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य होंगे जिसमें से दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(5) अध्यक्ष एवं अन्य दो विशेषज्ञ सदस्य शैक्षणिक क्षेत्र से होंगे और आचार्य की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे और विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे एक विशेषज्ञताओं में से होंगे। यह समिति अपनी रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी और उसको विश्वविद्यालय की सभा में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु चर्चा के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। समिति की रिपोर्ट की एक प्रति विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के साथ यू0जी0सी0/राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिये होगा

9—विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिये होगा और विश्वविद्यालय के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिये किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिये या वहां से स्नातक करने के लिये हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय-समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी होंगे :—

(क) कुलाधिपति;

(ख) प्रति कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रतिकुलपति;

(ङ) निदेशक/प्राचार्य,

(च) कुल सचिव;

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) मुख्य कुलानुशासक;

(ट) कोषाध्यक्ष;

(ठ) वित्त अधिकारी; और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाये।

कुलाधिपति

11—(1) ट्रस्ट के प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति ट्रस्ट को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रतिकुलाधिपति

12—(1) प्रतिकुलाधिपति की नियुक्ति ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिये की जायेगी।

(2) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

कुलपति

13—(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिये ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद एवं योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्य कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करें। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14—(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कार्य परिषद के अनुमोदन से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी ट्रस्ट द्वारा अवधारित की जाय।

निदेशक/प्राचार्य

15—निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संम्पादन करेगा जैसी विहित की जाय।

कुल सचिव

16—(1) कुल—सचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुल सचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करें, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करें और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुल सचिव कार्यपरिषद और विद्यापरिषद का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

17—प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष

18—(1) कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

19—(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20—छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्या कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किया जाए।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :—

(क) सभा;

(ख) कार्यपरिषद;

(ग) विद्या परिषद;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) नियोजन बोर्ड;

(च) संकाय बोर्ड;

(छ) प्रवेश समिति

(ज) परीक्षा समिति; और

(ञ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22–(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिये अध्युपायों का सुझाव देना,

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना,

(ग) उसको परामर्श के लिये निर्दिष्ट किये गये किसी मामले के सम्बन्ध में कुलाधिपति को परामर्श देना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्य परिषद

23–(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियों और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

विद्या परिषद

24–(1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगी और उसका प्रयोग करेगी।

(2) विद्या परिषद का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियों और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किया जाएं।

वित्त समिति

25–(1) वित्त समिति, वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

26–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियों और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27—संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के, जिन्हे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाय, गठन शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28—(1) कार्य परिषद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये परिनियम बनायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय—समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की नियुक्ति शक्तियाँ और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियाँ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण—पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी

विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय जो अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हो या विहित किये जा सकते हो।

(3) कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्यपरिषद् द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात तद्नुसार जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे, जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण—पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण—पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं, डिग्री,

डिप्लोमा और प्रमाण–पत्रों के लिए प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें यदि कोई हों और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझी जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तः निरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न हो।

वार्षिक रिपोर्ट

30–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात सभा को प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार, जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगी, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्टों के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य

परिषद् के प्रेक्षण सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कुलाधिपति द्वारा वार्षिक लेखों पर किसी संवीक्षा को सभा और कार्य परिषद् की जानकारी में लाया जायेगा और कार्य परिषद् द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने के पश्चात् संवीक्षाएं, यदि कोई हो, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

32–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जो निर्देश के दिनांक से तीन माह के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी कुलपति के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से, तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय कुलपति द्वारा किया जायगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया होगा।

अपील करने का अधिकार

33–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथा स्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियन्त्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में यथा स्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पलटने के लिए कुलपति को अपील कर सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अंतिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

34–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है, ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है, जैसा कार्य परिषद् द्वारा निश्चित किया जाये।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

35–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालयों के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अंतिम होगा।

समितियों का

36–जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम

या परिनियमों के अधीन समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे। गठन

37—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को, जिनके स्थान रिक्त हुए हैं; नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किया था नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किये गये अवधि की शेष अवधि के लिए यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा। रिक्तियों का भरा जाना

38—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्त या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी। कार्यवाही की अवधि मान्यता

39—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज, जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा। विश्वविद्यालय के अभिलेखकों को अभिप्रमाणित करने की रीति

40—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

41—(1) विश्वविद्यालय कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा। स्थायी विन्यास निधि

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकता है।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42—(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा, जिसमें

निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्;–

(क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) समिति द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा।

विकास निधि

43–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात;

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44–धारा 41, 42 एवं 43 के अधीन स्थापित निधियों को सभा के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्तें

45–विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46–विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा।

मांग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियॉ

47–(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा

परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा 51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

48—(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम दो माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठयक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

49—(1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय का दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियॉ विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय कि सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50—(1) जहॉ राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे समय के भीतर जो दो माह से कम नहीं होगा, कारण बताए कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय के कार्यों में प्रथम दृष्टया इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लघंन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच के लिये नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का, विशिष्टतः; निम्नलिखित मामलों के संबंध में, विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात;

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की

अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निदेश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिये सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार का स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी; यदि विश्वविद्यालय की निधियॉ, विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

51–राज्य सरकार समय–समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझें। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, ऐसा न करने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विरुद्ध युक्तियुक्त कार्रवाई कर सकती है।

विघटन/मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियॉ/उत्तरदायित्व की प्रास्थिति

52–अधिनियमों में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय की विघटन के स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियॉ और सम्पत्तियॉ, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है, तथा विश्वविद्यालय के दायित्व ट्रस्ट से संबंधित हो जायेंगे।

कठिनाईयॉ दूर करने की शक्ति

53–राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि, में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के आरम्भ के दिनांक से दो वर्ष

के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई, जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गई है, विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-53 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जे0 पी0 विश्वविद्यालय, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जे0 पी0 विश्वविद्यालय, अनूप शहर, उत्तर प्रदेश विधेयक 2014 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[1.40] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

*श्री अनूप सण्डा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनो सदनों के समक्ष दिनांक 19 फरवरी, 2014 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

मान्यवर, 15 अगस्त, 1947 को हमारा देश, 190 वर्षों के संघर्षों के बाद आजाद हुआ था। 190 वर्षों के संघर्षों के बाद, लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद इस देश को स्वतंत्रता के बाद जो कुछ प्राप्त हुआ वह सबसे बड़ी चीज थी कि देश के लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हुए। उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को महसूस किया। पूरा देश जो अंग्रेजों के अत्याचारों से कराह रहा था उस देश के लोगों ने लोकतंत्र में खुली सांस ली। लोगों के दिलों में यह आशा जगी कि अब भारत माता के संरक्षण में प्रत्येक आदमी विकास करेगा और गौरव प्राप्त करेगा। मान्यवर, माननीय् श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की एक परम्परा है। हम इसलिए भी धन्यवाद प्रस्ताव रख रहे हैं कि महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण, यह जो उत्तर प्रदेश है जो भारत का दिल कहा जाता है और दिल जितना मजबूत होगा इंसान का शरीर उतना मजबूत होगा तो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण भारत के दिल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश को मजबूत करने का उसके विकास का दस्तावेज है इसलिए मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में मजबूती से हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो कदम बढ़ा रही है यह महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण उन कदमों का एहसास कराता है। मान्यवर, आप भी जानते हैं आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है यह पूरी दुनिया के एक अभूतपूर्व चिन्तक, पूरी दुनिया को समाजवाद की रोशनी दिखाने वाले स्व0 डा0 राम मनोहर लोहिया के सिद्धान्तों पर चलने वाली पार्टी है। डा0 लोहिया ने कहा था कि अगर समाजवाद की परिभाषा मुझे दो शब्दों में देनी हो तो मैं कहूंगा कि समता और सम्पन्नतायुक्त समाज की संरचना यही समाजवाद का लक्ष्य है और मान्यवर, यह अभिभाषण उत्तर प्रदेश जो समता और सम्पन्नतायुक्त समाज बनाने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है उसका भी दस्तावेज है। यह महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण किसानों, मजदूरों, गरीबों, बेराजगारों, छात्राओं और अल्पसंख्यकों के भीतर आशा और विश्वास की किरण जगाने का दस्तावेज है। मान्यवर, हम याद दिलाना चाहते हैं मैंने जैसा कि शुरूआत में कहा था कि देश की आजादी के बाद हमको लोकतंत्र के अधिकार प्राप्त हुए लेकिन मान्यवर, 2007 से लेकर 2012 तक पूरे उत्तर प्रदेश में तानाशाही का ऐसा आलम जारी था, ऐसा आलम था कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अपने आपको बन्दी महसूस करती थी। मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने अपनी सरकार के आते ही उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का एहसास कराया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत चुना गया जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। मान्यवर, जिस दिन सरकार बनी उसी दिन धरना स्थल बहाल हो गया, मुख्य मंत्री के काफिले में कटौती हो गयी, जनता दरबार लगने लगा, आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, जो कोई भी चाहे अपनी बात को मुख्य मंत्री तक और सरकार तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है यह मामूली उपलब्धि नहीं है। पूरे प्रदेश में एक माहौल था बदले की भावना का, तानाशाही का, इंसान खुल करके सांस लेने में डरता था आज उत्तर प्रदेश मुस्करा रहा है। जो उत्तर प्रदेश 2007 से 2012 तक भय और आतंक के नीचे कराह रहा था वह उत्तर प्रदेश आज मुस्करा रहा है क्योंकि विकास की तरफ जा रहा है तरक्की की तरफ जा रहा है और लोकतंत्र की खुली हवा में सांस ले रहा है। मान्यवर, डा0 लोहिया का एक नारा था समाजवादी आन्दोलन का नारा था बड़ा मूलभूत नारा था कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्त होगी। इंसान को जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, विकास करने के लिए पढ़ाई चाहिए, दवा चाहिए और मान्यवर, बधाई देना चाहते हैं इस सरकार को कि उत्तर प्रदेश का गरीब आदमी जो समुचित चिकित्सा सहायता के अभाव में गांव के तंग गलियारों में दम तोड़ देता था और अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता था। 108 नम्बर की समाजवादी एम्बुलेंस सेवा शुरू करके 988 एम्बुलेंस जारी करके पूरे उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में आज कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो 15 मिनट के अन्दर एम्बुलेंस पहुंचकर लोगों को लाभ पहुंचाने का सहायता पहुंचाने का काम करती है। मान्यवर, यह काम बिना दृष्टि के नहीं हो सकता जब तक दृष्टि जनता की तरफ नहीं झुकी होगी, जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता नहीं होगी तब तक मान्यवर, यह काम नहीं हो सकता। यह सरकार जनता के प्रति प्रतिबद्ध सरकार है। विकास के प्रति प्रतिबद्ध सरकार है। मान्यवर, आप सोचिये कि अभी 102 नम्बर की एम्बुलेंस योजना शुरू

की गयी गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालय पहुंचाने के लिए अस्पतालों में पिछली सरकार में मात्र 3 दिन के लिए दवा मिलती थी वह भी मिलती थी या नहीं मिलती थी यह कोई बता नहीं सकता।

(इस समय 01 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार आने के बाद तत्काल यह व्यवस्था की गई कि गरीब आदमी जो चिकित्सालयों में जाता है इलाज कराने के लिये, दवा लेने के लिये । उसको कम से कम 5 दिन की दवा मुफ्त उपलब्ध कराई जाये और इतना ही नहीं, इधर इस दौरान सरकार ने यह भी फैसला किया कि चाहे एक्स-रे की जांच हो, चाहे 100 तरीके की पैथालोजी की जांच हो, वह सारी जांचे जिला चिकित्सालयों में मुफ्त कराई जायेंगी और उत्तर प्रदेश के गरीबों को यह अहसास कराया जायेगा कि यह सरकार गरीब की सरकार है, यह सरकार आम जनता की सरकार है, यह सरकार किसानों की, मजदूरों की, लाचार लोगों की सरकार है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप जरा सोचिये, इलाहाबाद, झांसी, वाराणसी, मेरठ इन सारे मेडिकल कालेजों के उच्चीकरण की योजना तथा पूरे प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में 7000 बेड बढ़ाने के लिये व्यवस्था की गई है। मान्यवर, यह वही सरकार करेगी, जिस सरकार की दृष्टि जनता की तरफ होगी। मान्यवर, आप जरा निगाह डालकर देखिये कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगार, जो अपनी निजी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने आते ही बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करा करके करीब-करीब 13 लाख नौजवानों को वर्ष 2013-14 में बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का काम किया है। उसी तरीके से मान्यवर, समाजवादी पार्टी पर बराबर यह आरोप लगते रहे कि यह विकास की विरोधी है, तकनीक की विरोधी है लेकिन पूरे हिन्दुस्तान में पहली बार समाजवादी पार्टी की सरकार ऐसी थी कि जिसने कहा कि हम इण्टर पास बच्चों को लैपटाप देकर उन बच्चों को, जिनकी जिन्दगी में तकनीक का सवेरा नहीं हुआ था, उन बच्चों को, जिनके मां-बाप उनको लैपटाप और कम्प्यूटर दिलाने में सक्षम नहीं थे, उन बच्चों के अंदर भी यह आत्मविश्वास पैदा किया कि यदि हमारे मां-बाप सक्षम नहीं हैं तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार हमारे ऊपर अपना साया लेकर खड़ी हुयी है और करीब-करीब 14 लाख 81 हजार नौजवानों को लैपटाप बॉटकर उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया गया है।

मान्यवर, गांव के विकास के लिये चौधरी चरण सिंह से लेकर महात्मा गांधी तक और डा0 लोहिया से लेकर राज नारायन तक सबने कहा कि हिन्दुस्तान तरक्की तब करेगा, जब गांव का विकास होगा। मान्यवर, डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के माध्यम से 36 विभागों की योजनायें चलाकर उन गांवों में पक्की सड़कें दे करके, लोहिया आवास दे करके, इन्दिरा आवास देकर के, पेंशन दे करके, वृद्धा पेंशन दे करके उन गांवों को पूरी तरीके से संतृप्त करने का इस सरकार ने फैसला किया है।

मान्यवर, नौजवान उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के आलम में रह रहा है। उसके पास रोजगार नहीं है और जब से पूरी दुनिया में यह विश्व व्यापार संगठन का वर्चस्व बढ़ा है, आप भी जानते हैं कि तरीके बदल गये हैं और आज बगैर कौशल विकसित किये हुये जो नये उद्योग आ रहे हैं, पूरी दुनिया में, उसमें पहले के तरीके अनपढ़ श्रमिक काम नहीं कर सकता। इसके लिये कौशल विकसित करना होगा और मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौशल विकास योजना ला

करके उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों की जिन्दगी में वह हुनर देने का काम किया है कि आने वाले समय में अपने बाल बच्चों का पेट पालने में कामयाब होंगे, हाईस्कूल और इंटर पास नौजवान में किसी तरह का हुनर न होने की वजह से वह बेकार रहते थे, बेरोजगार रहते थे, अब जब कोई भी उद्योग उत्तर प्रदेश में लगेगा, जब भी नये बड़े उद्योग आयेंगे तो उनको अगर कुशल श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी, कुशल तकनीशियन की आवश्यकता पड़ेगी तो इस कौशल विकास योजना के माध्यम से हमारे लाखों नौजवान उनके साथ मिल करके प्रदेश की तरक्की में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम करेंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के वह गरीब लोग जिनकी जिन्दगी में कभी सवेरा नहीं आया, 2002 में पूरे देश में बी0पी0एल0 सूची बनी और हम सारे लोग मान्यवर जानते हैं कि जो बी0पी0एल0 सूची बनी, उसके सर्वे में इतना बड़ा घोटाला था कि पक्के मकान और ट्रैक्टर रखने वाले तो बी0पी0एल0 सूची में आ गये लेकिन ऐसे बहुत से गरीब, जिनके पास लेखपाल को देने के लिये पैसा नहीं था, उनको बी0पी0एल0 सूची का लाभ नहीं मिल पाया, उनको पेंशन देने के लिये मान्यवर, समाजवादी पेंशन योजना लाकर जिसमें प्रत्येक परिवार को, जो उसका पात्र होगा, 500 रुपया प्रतिमाह मिलेगा और साथ में प्रत्येक वर्ष पचास रुपए की वृद्धि भी उसमें होगी, यह काम किया है समाजवादी पार्टी की सरकार ने। मान्यवर, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना उसमें भी जो ऐसे लोग जिनको किसी और योजना का लाभ नहीं मिल रहा था उनको चार सौ रुपए प्रतिमाह पेंशन की योजना। मान्यवर, और इसके ऊपर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जानते हैं कि हर जगह विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है और जब कभी भी हमारी सरकार ने नई भर्ती करने का प्रयास किया है तो उसकी राह में रोड़े अटकाये गये हैं। मान्यवर, जहां तक मेरा अनुमान है कि पूरी दुनिया में एक साथ इतने लोगों के समायोजन की व्यवस्था किसी सरकार ने नहीं की जितना उत्तर प्रदेश ने किया। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने फैसला लिया कि एक लाख सत्तर हजार शिक्षामित्रों को प्राइमरी विद्यालयों में समायोजित करके उनको रोजगार देने का काम करेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मान्यवर, हम सारे लोग जानते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो फिर मान्यवर, काम नहीं बन पायेगा। यह भी हम सब जानते हैं कि तमाम विद्वानों ने लिखा है कि एक शिक्षित मां, एक शिक्षित बालिका सिर्फ एक की तादाद में नहीं होती है बल्कि पूरे परिवार को शिक्षित करने का काम करती है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो गरीबी के हालात थे, जो सामाजिक व्यवस्था थी, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किसी सरकार ने नहीं सोचा लेकिन समाजवादियों की सरकार थी जिसने कन्या विद्या धन योजना लागू करके, अल्पसंख्यक बच्चियों के लिए पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां योजना लागू करके, हमारी बेटी उसका कल योजना लागू करके हाई स्कूल और इण्टर पास बच्चियों के मां-बाप को यह आत्मविश्वास देने का काम किया कि यदि आप अपनी बच्ची को आगे पढ़ाते हो, समाज के निर्माण की दिशा में अग्रसर करते हो तो समाजवादी पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। हम सारे लोग जानते हैं कि लखनऊ न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी है बल्कि इसकी सांस्कृतिक विरासत भी रही है। मुझे याद है कि इस विधान सभा के पिछले कार्यकाल में हम लोग जब उस तरफ बैठा करते थे तो इस तरफ बैठी सरकार के एक मंत्री ने बड़े गुमान से कहा था कि हमने लखनऊ में पत्थर लगाकर इसको सुन्दर बना दिया वरना इसके पहले लखनऊ को जानता कौन था। मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं कि वह लखनऊ जिसकी परम्परा बेगम हजरत महल की रही हो, जिसकी परम्परा नवाब वाजिद अली शाह की संगीत और कला के मर्मज्ञ और

उदारता की रही हो, जिस अवध के इलाके में यह कहावत कही जाती हो कि जिसको न दे मौला उसको दे आसफुद्दौला उस लखनऊ का विकास पत्थरों से नहीं हुआ है बल्कि उस लखनऊ का मूलभूत विकास करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही है।

मेट्रो ट्रेन की परियोजना ला करके मा0 मुख्य मंत्री जी ने दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश को हर स्तर पर विकसित करने की दिशा में हम लोग कदम बढ़ायेंगे। मान्यवर, आज इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी का कितना बड़ा विकास में योगदान है इसे हम सब जानते हैं। कर्नाटक का एक शहर बंगलौर जो कर्नाटक की राजधानी था, सिर्फ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी की तमाम कम्पनियों के आने से कितना विकसित हो गया यह हम सारे लोग जानते हैं लेकिन लखनऊ में इस बारे में कभी उत्तर प्रदेश की किसी सरकार ने कोई ठोस योजना नहीं बनाई। समाजवादी पार्टी की सरकार के युवा मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव जी ने जो कि परम्परा और आधुनिकता का संगम हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनने के बाद चक गंजरिया में इतनी बड़ी आई0टी0 सिटी बनाने की योजना बनाई जो कि अभूतपूर्व होगी। आगरा में आई0टी0 सिटी विकसित करने की येाजना, और तो और लखनऊ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए गोमती के तटों का सुन्दरीकरण और मान्यवर, जो पार्क बने थे पिछले पांच सालों में वह पार्क नहीं थे वह पत्थर के मैदान थे। उन्होंने पूरे लखनऊ का पर्यावरण बिगाड़ दिया, परिस्थिति की बिगाड़ दी लेकिन समाजवादी पार्टी जो प्रकृति के साथ गांधी जी को मानने वाली पार्टी है, गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास पूरी दुनिया की जरूरत के हिसाब से सब कुछ है लेकिन एक व्यक्ति के लालच को प्रकृति नहीं पूरा कर सकती क्योंकि लालच का कोई अन्त नहीं है। उसी लालच ने पूरे लखनऊ को पत्थरों का शहर बना दिया लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने जनेश्वर मिश्रा पार्क जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है उसको विकसित करने की योजना बना करके यह संदेश देने का काम किया है कि पेड़ों की हरियाली की छांव में रहने वाले का दिमाग विकसित होगा पत्थरों के मैदानों में रहने से विकास नहीं होने वाला है। मान्यवर, आप जानते हैं जनेश्वर मिश्र पार्क कितनी बड़ी तादाद में बन रहा है, वहां पर जंगल था, खांई-खन्दक थे उसका विकास हो रहा है, उसमें 24 किमी0 का तो साइकिल ट्रैक बन रहा है और क्रिकेट आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। हमारी सरकार ने पी0पी0पी0 मॉडल के ऊपर जा करके एक अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का कार्य भी प्रारम्भ किया है जो 2017 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। अब इसके बाद कृषि की बात ले लीजिए, खेती इस देश की जीवन रेखा है और मान्यवर, इस साल हमारी सरकार में, हम सब लोगों को इस बात के लिए गर्व होना चाहिए और बधाई देनी चाहिए माननीय मुख्य मंत्री जी को और इस उत्तर प्रदेश के मंत्रि-मण्डल के समस्त सदस्यों को कि गेहूं के उत्पादन में पूरे देश में नम्बर-एक पर उत्तर प्रदेश आया है। यह वास्तव में बधाई की बात है। पिछली सरकार में हम लोगों ने देखा खाद और उर्वरक पाने के लिए किसान जगह-जगह हर बाजार में लाइन लगाकर खड़े होते थे और लाठियों से पीटे जाते थे और समय से कभी व्यवस्था नहीं हो पायी। 2012-13 में मान्यवर, उर्वरक वितरण का जो लक्ष्य रखा गया वह 85.40 लाख मीट्रिक टन रखा गया और उसके बदले में 105 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण हुआ। 2013-14 में 83.65 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य के विपरीत दिसम्बर तक 86.22 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण हो चुका है और मान्यवर, वर्ष 2014-15 में 121.95 लाख मीट्रिक टन उर्वरक के वितरण की हमारी सरकार की योजना है जो इस बात को दर्शाती है कि खेती के विकास के लिए समाजवादी पार्टी की

सरकार लगी हुई है। हिन्दुस्तान में दो तिहाई आबादी का जीवन-यापन खेती के माध्यम से होता है उसका विकास करने के लिए, आपको मालुम होगा अधिष्ठाता महोदय, डा0 लोहिया ने कहा था कि खेती को, जमीन को लम्बाई और चौड़ाई में नहीं गहराई में जोतो, उत्पादन बढ़ाओ और उत्पादन देश में बढ़े इसके लिए और बेराजेगारों को रोजगार मिले इसके लिए भूमि सेना बनाने का डा0 लोहिया ने एक संकल्पना ली थी और हमारी सरकार ने भूमि सेना तैयार करके 2012-13 में 34,235 हेक्टेयर भूमि को कृषि के योग्य बनाने का काम किया, 2013-14 में 59,105 हेक्टेयर का लक्ष्य है। मान्यवर, डा0 लोहिया का जो सपना था कि गांव के बेरोजगार अपनी भूमि को सुधार करके खेती के लिए भी तैयार करें और रोजगार भी पायें वह सपना समाजवादी पार्टी की सरकार में लगातार साकार हो रहा है। मान्यवर, किसान सिर्फ खेती से पैसा नहीं कमा सकता है। हम जानते हैं कि उपज का उसको पूरा मूल्य नहीं मिलता लेकिन किसान के पास जो कुछ भी उत्पादन है उसको जब तक उद्योग से नहीं जोड़ा जायेगा, व्यापार से नहीं जोड़ा जायेगा और मान्यवर, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश आज हमारी सरकार की रचनात्मक सोच की वजह से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में नम्बर-एक पर आ गया है।

चार बड़ी डेरियां स्थापित की जा रही हैं। कामधेनु योजना जो लागू की गयी है उस योजना के माध्यम से गांव का किसान जो अपने गाय या भैंस का चार लीटर, पांच लीटर, छः लीटर दूध निकालता था उसका दूध बिकेगा डेयरी में और पूरी तरह से उसे अपने दुग्ध उत्पादन का लाभ मिलेगा। मान्यवर, सिंचाई खेती की एक बड़ी मूलभूत आवश्यकता है। मान्यवर, हम बधाई देना चाहते हैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को कि डा0 लोहिया ने लगातार आन्दोलन चलाये थे इस देश में कि सिंचाई का कर माफ किये जांय। जहां तक मुझको याद है कई बार जेल यात्रा भी की समाजवादियों ने सिंचाई का कर माफ कराने के लिए। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने सरकार बनने के तीन महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में सिंचाई के सारे लगान, शुल्क माफ करके उत्तर प्रदेश के किसानों के अंदर यह आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया और यह संदेश देने का काम किया कि यह सरकार डा0 राम मनोहर लोहिया के सपनों को साकार करने के लिए हर कदम आगे बढ़ाने का काम करेगी। मान्यवर, सिंचाई के लिए 10,965 करोड़ रुपये के व्यय से तमाम बांध परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए जिसमें करीब-करीब 800 हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचन क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसका भी प्रस्ताव है इस दिशा में भी काम हो रहा है। विकास के लिए सड़क, पुल और बिजली यह तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आप जानते हैं कि पिछले पांच सालों में क्या हालत रही है उत्तर प्रदेश में मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को कि आपने सरकार बनते ही 14 जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ने के लिए तत्काल कार्य लगवाया और उनमें कार्य प्रगति पर है। 7 और जनपदों के लिए स्वीकृति निर्गत हो चुकी है मान्यवर, 2013-14 में नवम्बर तक 2270 कि0मी0से ज्यादा ग्रामीण मार्गो का नवनिर्माण हुआ है। 915 कि0मी0 से ज्यादा मार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हुआ है करीब-करीब 11 हजार कि0मी0 मार्गों का नवीनीकरण हुआ है। 117 नदियों पर पुल बनाए जा रहे हैं 13 रेलवे के ओवरब्रिज बनवाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में अग्रसर हो रहा है इसलिए हम इस धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हुए हैं। मान्यवर, 250 से अधिक आबादी वाले मजरों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना समग्र लोहिया ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना यह सारी योजनाएं हैं जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी की सरकार ने

काम शुरू किया है। मान्यवर, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पूरे प्रदेश में गरीब परिवार के मुखिया की जब मौत हो जाती थी उनकी विधवाएं हजार-हजार रुपए के लिए तरसा करती थीं उनको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत जो 20 हजार रुपए की राशि मिला करती थी उसको बढ़ाकर 30 हजार करने का काम किया गया जिसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। उत्तराखण्ड में जब प्राकृतिक आपदा आई तो वह हमारे प्रदेश में नहीं था लेकिन यह संवेदनशील सरकार है पीड़ितों के दुखदर्द को समझने वाली सरकार है 1336 बसों की व्यवस्था हमारी सरकार ने उत्तराखण्ड पीड़ितों के लिए की। मान्यवर इतना ही नही जो बन्दी हैं जो कैदी हैं जो जेलों में रहते हैं। गांधी जी ने कहा था कि पाप से घृणा करो पापी सही नहीं घृणा करो और कारागारों को हमारे देश में एक सुधारगृह बनाने की योजना बनी और मान्यवर वहां पर क्या हालात थे हम लोग जानते हैं। 7 जेलों में कैदियों के रिमाण्ड के सम्बंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था हो गई 12 में कार्य प्रगति पर है। 8 नई जिला जेलों का निर्माण हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि बहुत सी जेलें ओवर क्राउडेड हैं। क्षमता से ज्यादा लोग भरे हुए हैं इन 8 नई जेलों का निर्माण इसलिए किया जा रहा है कि कारागार की व्यवस्था और ढंग से चल सके। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार सबको बराबर समझती है समाजवादी विचारधारा सबको बराबर समझने वाली विचारधारा है। हमेशा समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। हमारी सरकार थी जिसने कैलाश मानसरोवर की दुर्गम तीर्थयात्रा पर जाने वाले हिन्दुओं को 25 हजार की व्यवस्था 2012-13 से की और उसको अगले साल 13-14 में बढ़कार 50 हजार कर दिया गया यह है हमारी समाज की दृष्टि। मान्यवर, खेलों के क्षेत्र में नौजवानों के विकास के लिए खेल जरूरी है और खेलों में हमारा देश बहुत पीछे है। सुदूर सोनभद्र के जिले में अनुसूचित जाति जनजाति के गांवों में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान योजना के अन्तर्गत एक विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। सैफई में एक नया स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है लखनऊ आगरा के मध्य एक ग्रीन एक्सप्रेस वे बनाने की योजना जिसके लिए 3 हजार करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई है। यह समाजवादी पार्टी का विकास के प्रति दृष्टिकोण है। मान्यवर, निषाद समाज के लोग हमारे देश में जो बहुत कमजोरी और गुरुबत की जिन्दगी जीते हैं कई जगहों पर तो मुझको लगता है .....

(इस समय 02 बजकर 45 मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से भी दयनीय हालात में रहते हैं। मान्यवर, उनके दर्द को किसी ने नहीं समझा। लेकिन मान्यवर, मत्स्य बीमा योजना और मत्स्य विकास के लिये तमाम सुविधाएं देकर और मछुवा आवास योजना लाकर निषाद समुदाय के लोगों को लाभ पहुंचाने की कल्पना जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने की है मान्यवर, उसके लिये भी समाजवादी पार्टी की सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, व्यापारियों के बारे में कोई नहीं सोचता था। तमाम चीजों पर इन्ट्री टैक्स खत्म किये गये। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि कच्चे लोहे के व्यापारी जो कच्चे लोहे से तमाम उत्पादन करते थे वो बहुत परेशान थे। 5 परसेन्ट इन्ट्री टैक्स था, वह बहुत परेशान थे। हमारी सरकार ने उसको घटाकर एक परसेन्ट करने का काम किया और मान्यवर, उत्तर प्रदेश लगातार तरक्की की दिशा में अग्रसर है। उसका प्रमाण यह है कि हमारी वार्षिक योजना का आकार जो वर्ष 2011-2012 में 47,000 करोड़ था वह वर्ष 2012-2013 में 23 प्रतिशत वृद्धि के साथ 57,800 करोड़ रुपये हो गया और इतना ही नहीं मान्यवर, 2013-2014 में उस योजना का आकार 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ 69,200 करोड़ रूपये हो गया।

उत्तर प्रदेश का बजट आने वाले समय में सबसे बड़ा बजट है। किसी भी राज्य में इतना बड़ा बजट नहीं है मान्यवर, और विकास की एक पूरी परिकल्पना है समाजवादी पार्टी के पास। एक सुनिश्चित योजना है इस सरकार के पास मान्यवर। मैं अंत में ज्यादा समय न लेते हुए मान्यवर, सिर्फ अंत में अपनी बात क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी कई अवसरों पर सरकार की बड़ी आलोचना करते हैं, अर्नगल आलोचना करते हैं, एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा।

चमन को सींचने में पत्तियां तो झड़ गई होंगीं
यही इल्ज़ाम हम पर लग रहा है बेवफाई का
मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने पैरों से
वही दावा करे है इस चमन की रहनुमाई का।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

*डा0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष-

यह जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर कहिये।

डा0 संग्राम यादव-

इस प्रस्ताव के समर्थन पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरी ही पार्टी के सदस्य आदरणीय श्री अनूप सण्डा जी ने बड़े विस्तार से महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरूआत की है। माननीय अध्यक्ष जी, देश की आजादी का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में गांव, गरीब, किसानों की भागीदारी से पूरे देश की जनता अवगत है। बापू ने सपना दिखाया था कि देश आजाद होगा तो देश की तरक्की और विकास में सबको समान अवसर मिलेंगें। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो गांव के अंदर खुशहाली आनी चाहिए थी, जो गांव की तरक्की और विकास के रास्ते बनने चाहिए थे वह तरक्की और विकास के रास्ते नहीं बन पाये। जिन सपनों को लेकर के देश की जंग-ए-आजादी का आन्दोलन लड़ा गया था, इसमें कौन दोषी है, किसने कहां अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। अगर इस पर चर्चा की जायेगी तो चर्चा बड़ा विस्तार रूप ले लेगी। मैं अपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में हमारे जो पार्टी के डा0 राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह जी, हमारे नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी बराबर अपनी रैलियों और सम्मेलनों के माध्यम से कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। हमारे नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने बार-बार कहा कि अगर किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। लेकिन हमें अफसोस होता है कि आजादी के बाद इन पर जो ध्यान देना चाहिए था, इस देश की सरकार ने ध्यान देने का काम नहीं किया। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के अन्दर जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो छात्र है, जो किसान है, नौजवान है, व्यापारी है, जो अधिवक्ता है, जो मुसलमान है, जिसकी देश को आजाद कराने में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महत्वपूर्ण भूमिका रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में इनके लिये तमाम तरह की जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित करने का महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रतिबद्धता दोहराने का काम किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व को बार-बार प्रणाम करता हूं और इसलिये प्रणाम करता हूं कि आजादी के बाद जब हम लोग गॉव के अन्दर देखते हैं। जो झोपड़ियों में रहता है जो पैसे के अभाव में अपने मां-बाप का इलाज नहीं करा पाते थे, अस्पतालों तक उनको नहीं पहुंचा पाते थे, अगर गांव में कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे लेकिन उसको अस्पताल ले जाने के लिए गांव के लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था लोग तरह-तरह की बात करते थे लोग एक दूसरे का मुंह देखते थे कि कौन पैसा निकाले, कौन अस्पताल ले जाए, मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं मैं अपनी नजरों से जब देखता हूं तो गांव के अन्दर जब कोई बीमार होता है तो गांव का नौजवान दरवाजे पर पहुंचकर कहता है माताजी आप परेशान मत होइए, मैं इंतजाम करता हूं मा0 अखिलेश यादव जी ने ऐसी नीति चलाई है कि 108 नम्बर डायल कीजिए आधे घंटे के अन्दर उसके घर के आगे एम्बूलेंस खड़ी हो जाती है और उसे ले जाकर अस्पताल भेजने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय, बार-बार जब इस सदन में 108 नम्बर की एम्बूलेंस की प्रशंसा होती थी, तुरन्त उसके बाद, हम गांव के रहने वाले हैं हम जानते हैं कि गांव की कोई बहू बेटी जब गर्भवती होती है, उनके पेट में भ्रूण जब पलता है,तो उसमें नियमित जांच होती है, ब्लड प्रेशर से लेकर, कई चीजों की जांच होती है हमने मान्यवर, अपनी नजरों से देखा है हमने बहुत करीब से देखा है ऐसी माताओं की लाचारी और बेबसी को, जिनके पेट में बच्चा पलता है लेकिन पैसे के अभाव में उनका नियमित टीकाकरण नहीं हो पाता था उनकी नियमित जांच नहीं हो पाती थी पैसे के अभाव में, मान्यवर, जब बच्चा पांच-सात महीने का हो जाता था तो मां की जान को खतरा पैदा हो जाता था अध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा हम लोग भी देखते हैं ऐसी कुपोषित मां का कुपोषित बच्चा, हाई ब्लीडिंग के कारण, कभी कुछ हो जाता था तो अस्पतालों में तोड़फोड़ तक हो जाती थी हमारे आजमगढ़ में महा पंडित राव नाम से जो अस्पताल बना है एक बार उसमें तोड़फोड़ हो गई, हम गए, सी0एम0ओ0 से उसमें बात की गई तो उन्होंने कहा जो इस मां के पेट में बच्चा पल रहा था उसकी नियमित जांच न होने के कारण बच्चा भी कुपोषित हो गया और मां भी कुपोषित हो गई हाई ब्लीडिंग होने के कारण न हम बच्चे को बचा पाए और न ही हम मां को बचा पाए। विधायक जी, यह लोग सोचते हैं कि दोषी हम हैं लेकिन हम दोषी नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, मैं अखिलेश यादव जी की दूरदर्शिता को प्रणाम करता हूं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने 102 नम्बर की एम्बूलेंस संचालित करके गॉव की गर्भवती महिलाओं को अस्पताल भेजकर के नियमित जांच और उनकी दवाइयों का जो इंतजाम किया है महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं इसलिए समर्थन करता हूं।

(मेजें थपथपाई गईं)

गरीब का जो दर्द है, गांव का जो दर्द है, खेत में किसान काम करते अगर किसान मर जाता था किसान खाद लेने जाता था अगर कहीं रास्ते में एक्सीडेंड का शिकार हो जाता था, हर बार इन लोगों ने नारा लगाया 'जय जवान,जय किसान' आपने कौन सी नीतियां किसानों के लिए बनाईं, कौन सी नीतियॉं आपने जवानों के लिए बनाईं, आप एक नीति का बखान हमारे सामने कर देते हम भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करते, हम बहुजन समाज पार्टी का स्वागत करते, खेत में

काम करते-करते किसान बूढ़ा हो जाता था, प्राकृतिक कोई घटना घट जाती थी तो किसान मौत का शिकार हो जाता था, उसके लिए इनकी सरकार के पास न तो कोई नीति थी और न कोई कार्यक्रम था। मा0 अध्यक्ष महोदय हम महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का इसलिए समर्थन करते हैं कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने ऐसे आकस्मिक दुर्घटनाग्रस्त किसानों के परिवारों के लिए पांच लाख रुपया देकर उनके परिवारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। श्रीमन् कल ही बूढ़नपुर तहसील में ऐसे दस परिवारों को किसान दुर्घटना बीमा का चेक घर-घर जाकर दिया है उसमें ब्राह्मण का भी परिवार था उसमें प्रजापति का भी परिवार था गोंड का परिवार था, दलित का परिवार था, यादव का परिवार था, अध्यक्ष महोदय यह किस बात की आलोचना करते हैं कौन सी चीज प्रदेश के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं आपने कहा जय जवान, जय किसान, आपने आजादी के बाद कौन सी किसानों के लिए नीतियां बनाईं, कौन सी जवानों के लिए नीतियां बनाईं, अफसोस होता है बहुजन समाज पार्टी के लिए, गरीबों की रहनुमाई करने का दावा करने वाली जो बहुजन समाज पार्टी है इनके समय में किसान भोर में खाद के लिए लाइन लगाता था भोर में जब किसान लाइन में लगता था। आपकी सरकार में भोर में जब खाद के लिए किसान लाइन लगाता था और नित्य-क्रिया के लिए जब किसान को अपनी लाइन छोड़कर जाना पड़ता था तो इनकी सरकार की बेलगाम पुलिस अपने डण्डे की बदौलत किसानों को हॉकने का काम करती थी। आप किसानों को न तो खाद दे पाये, न पानी दे पाए, केवल बड़ी-बड़ी बातें करते रहे। कौन सी बात करनी चाहिए और कौन सी बात नहीं करनी चाहिए, आप इस प्रदेश की महान जनता का और इस सदन का समय बर्बाद करने का काम करते हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के हित में नीतियां बनायीं और दो साल के कार्यकाल में ही अब किसी किसान को खाद के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं भी खाद के लिए लाइन लगवाने के लिए पुलिस को डण्डे फटकारने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम मा0 मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, उनकी सरकार ने खाद-पानी सस्ता कर दिया, पानी फ्री कर दिया, पूरे देश की मीडिया यह दिखाने में लग गयी कि एक ऐसा मुख्य मंत्री आया है, जिसने पानी माफ कर दिया। मा0 अध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर हमारी सरकार डा0 राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चल करके, माननीय मुलायम सिंह के मार्गदर्शन में चल करके, यहां पर मा0 सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, हमारी उ0प्र0 की सरकार ने पूरे प्रदेश में किसानों के नलकूप और नहरों के पानी को माफ करने का काम किया है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर बैठे लोगों से हम पूछना चाहते हैं, आजादी के बाद सबसे ज्यादा सत्ता चलाने वाले यहां पर लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा समय तक जिन लोगों ने सत्ता चलाई है, क्या कारण है कि हमारी मां की उम्र की महिलाएं आखिर स्कूल क्यों नहीं जा पायीं ? इसका जवाब कौन देगा ? इसका भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देंगे या कांग्रेस पार्टी के लोग जवाब देंगे ? हमारी मां की उम्र की महिलाओं को स्कूल जाने का रास्ता आखिर आपने क्यों नहीं बनाया ? आज हमारा बेटा हमारी मां से कहता है कि मां मोबाइल मिलाना नहीं जानती है, एस0एम0एस0 करना नहीं जानती है, आखिर इसके लिए कौन दोषी है ? क्या इसके लिए मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार दोषी है या मा0 मुलायम सिंह यादव जी की सरकार दोषी है ? हमें अपने नेता मा0 मुलायम सिंह यादव पर फक्र है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उत्तर प्रदेश के अन्दर उन्हें सरकार चलाने का अवसर मिला तो 1989 में ही उन्होंने कहा था

कि हमारे देश और प्रदेश में हमारी बहनों और बेटियों को पढ़ने का इन्तजाम नहीं है। यदि हम पूरा बजट भी खर्च कर देंगे, तब भी उनकी पढ़ाई का रास्ता नहीं बन पायेगा, तब हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारे माननीय नेता जी ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने की नीतियॉं बनायीं, प्राइवेट मैनेजमेण्ट को भूमि और पैसा दे करके इनके लिए बड़े पैमाने पर स्कूल चलाने का काम किया और सन् 1993-94 तक आते-आते, केवल यह कह देने से काम नहीं चलता है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारियों का कहीं सम्मान नहीं किया। जब हमारी सरकार बनती है, तब हमारे नेता इसकी ओर सोचते हैं। आखिर स्वतंत्रता के बाद से अब तक इसकी ठीक से व्यवस्था क्यों नहीं हो पायी, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है ? अध्यक्ष महोदय, मुझे फक्र है, मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अन्दर कन्या विद्या धन की योजना संचालित करके लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया है और आज हमारी बेटियों स्कूलों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। लोग कहते हैं कि डाक्टर नहीं हैं, क्या डाक्टर आसमान से टपक पड़ेंगे ? मैं महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं, डाक्टर साहब भी बैठे हैं, आपसे भी कहना चाहता हूं, लेखा-जोखा करके उजाला नहीं करेंगे तो अंधेरा खत्म होने वाला नहीं है। इस उत्तर प्रदेश के अन्दर सबसे ज्यादा मेडिकल कालेज किसके कार्यकाल में स्थापित हुए हैं, सैफई मेडिकल कालेज किसके कार्यकाल में बना, हमारे कन्नौज के अन्तर्गत किसने मेडिकल कालेज खोला। माननीय अध्यक्ष महोदय, कन्नौज के अन्तर्गत, आजमगढ़ के अन्तर्गत, हमारे जौनपुर के अन्तर्गत मेडिकल कालेज खोला गया। मान्यवर, कैंसर की कितनी भयावह बीमारी है, आपने कौन सा संस्थान खोल दिया ? हम जनता से क्या बतायें कि आपने यह कर दिया। हम महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण का इसलिए समर्थन करते हैं, इसी लखनऊ में गंजरिया फार्म की जमीन पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कैंसर संस्थान खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, जमीन भी तलाश ली गयी है, उसका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। मान्यवर, आजमगढ़ के मेडिकल कालेज में 100 एम0बी0बी0एस0 का दाखिला हो गया है। हमारे आजमगढ़ के मेडिकल कालेज में एम0बी0बी0एस0 में दाखिला, जालौन के मेडिकल कालेज में एम0बी0बी0एस0 में दाखिला, सैफई में जो हमारा बर्न यूनिट है ट्रामा सेंटर है, मा0 डाक्टर साहब आप महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण को पढ़कर देखें हमारा 500 शैय्या से युक्त हमारा वहां मेडिकल कालेज की दिशा में मा0 मुख्य मंत्री जी ने आगे बढ़-चढ़कर काम किया है। मा0 अध्यक्ष महोदय, एक नेता हैं, बड़बोले हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे नेता जब इस सदन में थे या दिल्ली के सदन में हैं वह बार-बार बेरोजगारी पर जिक्र करते हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बेरोजगारी के लिए जब तक हम हुनरबंद नौजवान नहीं बनायेंगे जब तक हम नौजवानों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे तब तक सिर्फ कह देने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। हमारे मुख्यमंत्री मा0 श्री अखिलेश यादव जी ने कौशल मिशन योजना संचालित करके जो गांव के अंदर नौजवान है जो कम पढ़ा लिखा नौजवान भी है उसको भी प्रशिक्षित करके रोजगार का अवसर प्रदान कराने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष-

थोड़ा संक्षेप करिये।

डा0 संग्राम यादव-

अध्यक्ष महोदय, कौशल मिशन योजना से जहां एक तरफ नौजवानों का आकर्षण बढ़ा है वहीं पर यह कोई मामूली बात नहीं है कि बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। मान्यवर, हम मा0 मुख्य मंत्री जी के उस दूरदर्शी क्रांतिकारी कदम जिसका महामहिम श्री राज्यपाल जी ने अभिभाषण में जिक्र किया है जो समाजवादी पेंशन योजना लागू करके इन गरीबों को भी न्याय देने का काम किया है हम उसका स्वागत करते हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, जब कहीं दूसरी जगह मेट्रो चलती है तो बड़ा-बड़ा विज्ञापन छापते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री ने यह कर दिया। लखनऊ की अपनी एक तरह की विरासत है। और आज इसी लखनऊ में मा0 मुख्य मंत्री जी की दूरदर्शी नीतियों के अंतर्गत मेट्रो की घोषणा ही नहीं की गई है बल्कि उस पर काम करने की शुरूआत भी हो गयी है। मा0 अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, मुसलमानों के लिए और उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए विकास की योजनायें संचालित कर रही है तब कुछ फासिस्टवादी शक्तियां माहौल खराब करने के लिए, भाईचारा खराब करने के लिए मुद्दों से हटकर के इस देश को दूसरी तरफ ले जाने का काम करने का प्रयास कर रही हैं। हम उनके प्रयास की निंदा करते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि यह सदन, जब तक भारत का लोकतंत्र भारत की आम जनता के सवाल पर खड़ा होकर आम जनता के साथ उनकी मुसीबतों में उनके साथ खड़ा दिखायी नहीं देगा तो आप जैसे लोगों से लोकतंत्र का विश्वास उठ जायेगा। अध्यक्ष महोदय, हम महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर नगर विकास विभाग ने आसरा योजना संचालित की है, जो हमारी बेरोजगारी भत्ता से लेकर 102, 108 सेवा प्रदान की गयी है उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं और महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए हम ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि बहुत बड़े विद्वान संत महात्मा कबीर ने कहा था कि-पोथि पढ़ि पढ़ि जग मुआ पण्डित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पण्डित होई। कौन से दंगे फसाद की बात उठाना चाहते हो। पूछते हो कि दंगा का किस्म क्या था। दंगा जातीय था कि दंगा धार्मिक था। दंगा दंगा होता है। दंगे में कोई मां अपना बेटा खो देती है। कोई बेटा अपना बाप खो देता है। कोई बाप अपने बुढ़ापे का सहारा खो देता है। दंगा की निन्दा होनी चाहिए। लेकिन दंगे की राजनीति कर के उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की इजाजत किसी भी राजनैतिक दल को देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया अब समाप्त करें।

डा0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को देश के पैमाने पर, आज पूरा देश उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है, हम गेहूं में नम्बर वन, हम दूध में नम्बर वन, हम पढ़ाई में नम्बर वन, हम हर क्षेत्र में नम्बर वन, हम लोक तंत्र की मर्यादाओं में भी अध्यक्ष महोदय नम्बर एक पर हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी की उदारता के बारे में भाई अनूप सण्डा जी ने कहा, आपने ले जाकर के पांच

किमी0 पर धरना स्थल कर दिया था, आपने सात किमी0 पर धरना स्थल कर दिया था और हमारे समय में आप गेट खोलिये जिन्दाबाद से हमारा स्वागत होता है और हम दूसरा भी शब्द सुनने के लिए तैयार हैं, ये है लोकतंत्र की महिमा। हमारे मुख्य मंत्री जी का व्यक्तित्व उदार है, हमारे मुख्य मंत्री जी के मन में गांव है, किसान है, गरीब है, रिक्शा चालक है, मजदूर है, मुसलमान है, नौजवान है, आइये इनकी तरक्की के लिए जो आपका साम्प्रदायिक माहौल पैदा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं .....

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, आपकी पूरी बातें आ गईं। मा0 सण्डा साहब ने भी सारी बातें रख दी हैं।

डा0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का अवसर दिया, इन्हीं शब्दों के साथ हम महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप मा0 अनूप सण्डा जी द्वारा रखे प्रस्ताव का समर्थन करें।

डा0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मा0 विधायक श्री अनूप सण्डा जी ने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव रखा है, हम उस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे श्री अनूप सण्डा जी और समर्थन कर रहे थे सम्माननीय संग्राम जी, लेकिन मान्यवर हम भी इसका समर्थन करते यदि श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित पर जोर दिया जाता, किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया। महामाया बालिका आर्शीवाद योजना के सम्बन्ध में, महामाया आवास योजना के सम्बन्ध में, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के सम्बन्ध में, सावित्री बाई फूले शिक्षा योजना के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया आर्थिक मदद योजना के सम्बन्ध में, मान्यवर श्री कांशीराम शहरी आवास योजना के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष-

शेष पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

[7-मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना के सम्बन्ध में,

8-उत्तर प्रदेश कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

9-उत्तर प्रदेश में सरकारी क्रय केन्द्रों पर किसानों के शोषण के सम्बन्ध में,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

10-गुण्डे-माफिया अपराधी व अराजक तत्वों पर प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में,

11-दंगा पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु योजना के सम्बन्ध में,

12-प्रतिपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में,

13-उत्तर प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु नहरों में पानी न होने के सम्बन्ध में,

14-हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार, फिरौती जैसे जघन्य अपराधियों के राजनैतिक संरक्षण को रोकने के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश में धान क्रय केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश में बढ़ रहे बलात्कार/दुराचार/छेड़छाड़ घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

17-गन्ना की कीमतों में बढ़ोत्तरी करने के सम्बन्ध में,

18-गन्ना किसानों को विगत पेराई सत्र का बकाया भुगतान कराने के सम्बन्ध में,

19-गन्ना किसानों का बकाया भुगतान ब्याज सहित न करने वाले चीनी मिल मालिकों को जेल भिजवाने के सम्बन्ध में,

20-विद्युत आपूर्ति समयबद्ध सारणी के अनुसार व पर्याप्त आपूर्ति न करने से उत्पन्न प्रदेश में भयंकर बिजली संकट के सम्बन्ध में,

21-अधिकारियों के अनियमित व निरन्तर स्थानान्तरण रोकने के सम्बन्ध में,

22-बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में, तथा

23-गरीबों की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे पर प्रभावी नियंत्रण करने के सम्बन्ध में।'']

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर इस तरीके से सारे संशोधन हैं और तमाम हमारे विपक्षी दलों के तमाम मा0 सदस्यों के भी प्रस्ताव हैं, यदि यह जोड़ दिये गये होते तो हम भी श्री अनूप सण्डा जी की हां में हां मिलाते, लेकिन मान्यवर आज यह जो महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण है, सही मायने में यह सरकारी दस्तावेज है, [x x x] का पुलिन्दा है और केवल वादे ही वादे हैं, जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। शब्दों की जादूगरी से महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण से केवल भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया गया है और अभी हमारे सम्मानित साथी अनूप सण्डा जी कह रहे थे कि डा0 लोहिया का समाजवाद समता और समृद्धि का द्योतक था लेकिन मान्यवर, डा0 लोहिया के साथ-साथ डा0 लोहिया का समाजवाद भी चला गया। डा0 लोहिया के समाजवाद पर ग्रहण लग गया। डा0 लोहिया के समाजवाद पर गुण्डाराज हावी हो गया। डा0 लोहिया के समाजवाद को साम्प्रदायिक शक्तियों ने निगलने का काम किया। सरकार की मौन स्वीकृति रही इसलिये यदि आज डा0 राममनोहर लोहिया जी होते तो इन समाजवादियों की यह नयी जमात खड़ी दिखायी नहीं पड़ती। मान्यवर, डा0 राममनोहर लोहिया के विचारों का हनन किया जा रहा है, उनके विचारों का मजाक उड़ाया जा रहा है और जिस तरीके से समाजवाद की चादर ओढ़ करके उत्तर प्रदेश के साथ मजाक किया जा रहा है। डा0 लोहिया के विचारों के साथ मजाक किया जा

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

रहा है। हम समझते हैं कि यदि आज डा0 लोहिया साहब होते तो इनको कतई माफ नहीं करते। मान्यवर, अभी अनूप सण्डा जी कह रहे थे कि हम पर विकास विरोधी होने का आरोप लगता है। शुरुआत तो विपक्ष की ओर से अभी हमने की। आरोप लगाने से पहले ही आरोप स्वीकार कर लिये। इसका मतलब है, कहीं न कहीं इनका अन्तः मन आज पूरे प्रदेश में अवरुद्ध विकास कार्य से चिन्तित है, प्रायश्चित कर रहे हैं इसीलिये पहले ही इस बात को स्वीकार कर लिया कि आप हम पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। अरे, हैं। आरोप नहीं लगाते हैं, विकास विरोधी आप हैं। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास का काम ठप है। तमाम योजनाओं की आने वाली केन्द्र की सहायता की राशि भी यह सरकार नहीं ले पा रही है। मान्यवर, पिछले सत्र में और इस सत्र में बी0आर0जी0एफ0 योजना और मनरेगा जैसी योजनाओं का उत्तर प्रदेश का हिस्से का बहुत बड़ा पैसा लैप्स हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप सुने आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। आप बोलियेगा तो अपनी बात कहियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह केवल लैपटॉप का झुनझुना बजाकर 5 साल का कार्यकाल बिताना चाहते हैं और लैपटॉप बांटने का मकसद भी विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाना कम, समाजवादी पार्टी का प्रचार करना ज्यादा है, क्योंकि लैपटॉप खोलते ही, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सरकार के हिस्से नहीं हैं। सरकार के खजाने से खरीदे गए लैपटॉप में सबसे पहले उनकी फोटो आती है। मा0 मुख्य मंत्री जी का फोटो हो तो बात समझ में आती है, सरकार के मुखिया हैं, सरकार का खजाना है। सरकार के खजाने पर खरीदे गए पैसे से, लैपटॉप में यदि मा0 मुख्य मंत्री जी की फोटो है तो लाजिमी है, होना चाहिए, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन मान्यवर, जो सरकार का हिस्सा नहीं है, उसका होना इस बात को इंगित करता है कि कहीं-न-कहीं उत्तर प्रदेश के खजाने का दुरूपयोग किया जा रहा है। लैपटॉप के माध्यम से समाजवादी पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, जो बहुत ही निन्दनीय है।

(सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों के बीच में टोकने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग सुनें, बाद में जवाब दीजिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

और मान्यवर, बेरोजगारी भत्ता, आज हम स्वागत करते अगर महामहिम श्री राज्यपाल जी के भाषण में नौजवानों को रोजगार दिये जाने की बात की गयी होती। आज लाखों-लाखों की तादाद में करोड़ों-करोड़ों की तादाद में बेरोजगार नौजवान हैं, क्या रोजगार की कोई गारंटी इस सरकार के पास नहीं है, कोई स्थायी योजना नहीं है। उनको रोजगार मुहैया कराने की कोई पहल नहीं, केवल एक हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देकर के उन नौजवानों के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, अच्छा होता आप रोजगार के दरवाजे खोलते, रोजगार मुहैया कराते, वह लड़के नौजवान अपनी रोजी-रोटी के लिए अपने पैरों पर खड़े होते। उनका सम्मान और स्वाभिमान इस बात के लिए ऊंचा होता कि हम कहीं न कहीं रोजगार से जुड़े हैं, अपनी रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं, अपने परिवार की भी कर सकते हैं। एक हजार

रुपये तो मान्यवर, मोबाइल की चार्जिंग का भी नहीं होता और वह नौजवान यह भी सुन रहा है कि मौर्या जी उसके रोजगार की बात कर रहे है, इसलिए मान्यवर,.....

(सत्तापक्ष के कई मा0 सदस्यों के बीच में टोकने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहें, मा0 पाण्डेय जी, आप सुनिये, आप मंत्री हैं, वे बोल रहे हैं सुनिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसे बच्चों को टॉफी दी जाती है और फुसलाया जाता है। बच्चा रोना बंद कर दें बाद में टॉफी भी वापस ले ली जाती है, उसी प्रकार से इस सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोकने की कोशिश की, गरीबों का मजाक उड़ाने की कोशिश की। साड़ी, कम्बल बांटने के लिए वादा किया, जगह-जगह घोषणाएं की। साड़ी, कम्बल बांटने के लिए 800 करोड़ रुपये बांटने का प्रावधान भी किया गया लेकिन एक भी साड़ी नहीं, एक भी कम्बल नहीं बंटा, 25 वर्षों का रिकार्ड तोड़ते हुए कड़कती ठण्ड भी पड़ी फिर भी कम्बल बंटा तो नहीं बंटा। मान्यवर, उस आठ सौ करोड़ रुपये को वापस लेने के रास्ते पर आप चल पड़े हैं। मान्यवर, तमाम गरीबों ने उम्मीदें पाल रखी थीं कि उन्हें कम्बल मिलेगा। तमाम गरीब माताओं ने उम्मीदें पाल रखी थीं कि उन्हें साड़ी मिलेंगी, लेकिन यह सब आपकी घोषणायें ख्याली पुलाव साबित हो रही हैं। आपने लैपटाप बांटने में ही सारा बजट लगा दिया है। आज इस सरकार की सारी घोषणायें फ्लाप हो गयी हैं और यह सरकार फेंल हो चुकी है। मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल जी ने इस अभिभाषण में सत्ता पक्ष का गुणगान किया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि महामहिम श्री राज्यपाल जी इनके इस अभिभाषण को पढ़ने के लिए कैसे तैयार हो गये। मान्यवर, पूरे प्रदेश में घोषणा हुई कि रिक्शाचालकों को मोटर चालित रिक्शा दिए जायेंगे। लेकिन वह योजना कहां चली गयी ? इस योजना पर जो प्रस्तावित बजट था वह कहां चला गया। मान्यवर, अच्छा होता हमारे सत्ता पक्ष के विधायक इस हकीकत को स्वीकार करते हुए, महामहिम श्री राज्यपाल जी के भाषण में रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव में इसका भी स्पष्टीकरण देते। मान्यवर, अभी भाई सण्डा जी ने समाजवादी पार्टी की ओर से शुरू की जा रही पेंशन योजना का जोरदार ढंग से जिक्र किया। मान्यवर, इस सरकार के मुखिया बड़े जादूगर हैं और योजनाओं का नाम बदलने में माहिर हैं। पहले अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए कहा था कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर इस पेंशन योजना को चालू करेंगे और कहा तथा नाम दिया रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। लेकिन बहुत बारीकी से उसको समाप्त कर दिया। केवल नाम बदल दिया और सौ रुपये बढ़ा दिये और कहा कि यह नई पेंशन योजना चालू हो गयी। मान्यवर, केवल नाम बदल देने से काम नहीं चलेगा। अपनी की हुई घोषणाओं का केवल नाम बदल देने से काम चलने वाला नहीं है। अगर आपने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पेंशन योजना देने की बात कही थी तो आप उस पर अडिग रहते और उस वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देते। आपने उस सम्मान को वापस करने का खेल नाम बदल कर किया है। यह कार्य सरकार को नहीं करना चाहिए था।

मान्यवर, माननीय सण्डा जी ने मेट्रो रेल योजना की बात कही और बहुत वाह-वाही लूटने के लिए उसका जिक्र किया। आपने कौन सी नई बात कर दी। तत्कालीन मुख्य मंत्री बहन मायावती जी के समय में मेट्रो रेल योजना के संचालन के लिए मुझे उन्होंने नोयडा भेजा था और वहां से मैंने हरी झण्डी दिखाकर, रेल को रवाना किया था। उसकी शुरूआत तो हमारी सरकार के

समय में ही हुई थीं। आप नोयडा से लखनऊ में आ जाइए आपकी कितनी सारी योजनाएं आज फ्लाप हो गयी हैं। आप साल भर इंतजार कीजिए, आपकी सारी योजनाएं फेल सिद्ध होंगी। आप बहुत जल्दी में न पड़िए इसलिए मेरी शुभकामनायें हैं कि आपको सदबुद्धि आये। आप जो कहें उसे पूरा करें। वायदा निभाये लेकिन वायदा करके वायदा तोड़ना अच्छी बात नहीं है इसका लेखाजोखा प्रदेश की जनता ले रही है। मान्यवर, हमारे सण्डा जी को केवल पत्थर का विकास याद आया। मान्यवर, कोई भी इमारत बनती है उसमें ईट, सीमेन्ट, लोहा, लकड़ी, पत्थर सब लगता है और इनको केवल पत्थर दिखाई पड़ता है, विकास केवल पत्थर दिखाई पड़ता है। महापुरुषों के सम्मान पर बनाये गये स्मारक केवल पत्थर दिखाई पड़ते हैं। जगह-जगह महापुरुषों के नाम पर बनाये गये विश्वविद्यालय और शोध संस्थान केवल पत्थर दिखाई पड़ते हैं और स्वाभाविक रूप से जब सत्ता के मद में चूर होने के बाद आंखे पथरा जाती है तो हर चीज पत्थर दिखाई पड़ती है और वहीं हाल हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों की हो गयी है। आज इनको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है विकास के नाम पर इनको पत्थर दिखाई पड़ रहा है। मान्यवर, मैं तो कहना चाहूंगा कि सारे के सारे विकास कार्य, शासन प्रशासन, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अगर आप नकल करते तो भी आपकी नैय्या पार हो जाती, पौने दो साल में ही आपकी नैय्या डूबने वाली है, डगमगाने लगी है लोकसभा चुनाव में उसका आपके पास नतीजा भी आ जायेगा इसलिए मान्यवर, बहुत उछलकूद नहीं करना चाहिए। अभी हमारे सण्डा जी ने बड़ी वाहवाही लूटी बड़ी तेजी के साथ छाती पीटा तब तक मुख्य मंत्री जी नहीं आये थे और शायद मुख्य मंत्री जी आये होते तो और कुछ पीटते। मान्यवर, यह कह रहे थे कि जनेश्वर मिश्र पार्क, अरे जनेश्वर मिश्र पार्क कोई नई जगह बनाते, जनेश्वर मिश्र जी समाजवादी नेता थे, सोशलिस्ट नेता थे और ईमानदार नेता थे हम भी उनका कद्र करते लेकिन भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डा0 अम्बेडकर के मिशन को बढ़ाने वाले मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर स्थापित मान्यवर डा0 अम्बेडकर ग्रीन गार्डेन का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र गार्डेन कर दिया, नाम बदलकर वाहवाही लूट लिया, कौन सी बड़ी बात कर लिया। अरे भाई, पूरा उत्तर प्रदेश है, विकास के और भी तमाम जगह और स्थान हैं जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर एक नहीं दो नहीं, तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच पार्क बनवा दीजिए मुझ जैसा व्यक्ति उसका स्वागत करेगा। लेकिन किसी महापुरूष के नाम पर पूर्व से स्थापित पार्क का नाम बदल करके अगर जनेश्वर मिश्र जैसे सोशलिस्ट नेता के नाम पर नामकरण करते हैं तो यह जनेश्वर मिश्र का सम्मान नहीं यह जनेश्वर मिश्र का अपमान है। अगर जनेश्वर मिश्र जिन्दा होते और इस प्रकार के परिवर्तन का खेल आप करते तो सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले जनेश्वर मिश्र जी रोकते। इसलिए मान्यवर, हम तो आपके मुख्य मंत्री जी को देख रहे हैं यह भी बहुत अच्छे हैं लेकिन आप लोगों ने अपने मुख्य मंत्री को ऐसा बौना बना दिया है, ऐसा बेचारा बना दिया है, ऐसा मजलूम बना दिया है कि उनकी हालत त्रिशंकु की है। मान्यवर, अभी धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये सण्डा जी ने कहा कि गेहूं उत्पादन में हम नम्बर एक रहे। मैं कहना चाहता हूं कि आगे नम्बर एक आओ तो वह आपके खाते में लिखा जायेगा। हम नम्बर एक 2010 में रहे, नम्बर एक 2011 में रहे और हमारे ही शासनकाल के किये कराये पर 2012 में भी आप नम्बर एक रहे, अब अगर आप नम्बर एक होते हैं तो अब वह वाहवाही आपके खाते में जायेगी। इसलिये मान्यवर, हम तो पिछले दो सालों से उस रिकार्ड को कायम करते आ रहे हैं, पूरे देश में नम्बर एक कृषि के क्षेत्र में राष्ट्रपति से पुरस्कृत उत्तर प्रदेश 2010 से प्रारम्भ हुआ, उसके बाद

2011 में था और 2012 मार्च में आपकी सरकार बनी, आप जानते हैं कि अब 2013-14, 2014-15 में आप आइये तब आपका रिकार्ड माना जायेगा। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सभी चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारी जवाबदेही सीधे जनता से है, उत्तर प्रदेश की जनता से है। हम जो कहते हैं उतना करते हैं जनता भले आपसे जवाब लेने न आये लेकिन लेखा-जोखा सब वह रखती है।

मान्यवर, बजट तो प्रस्तुत नहीं हुआ लेकिन सण्डा जी बजट पर भी चर्चा कर गये। वह यह भी बखान कर गये कि इस बजट में हमने इतना बढ़ाकर इतना कर दिया। अरे इस बार तो लेखानुदान आया है, बजट तो अभी आने वाला है और जो आने वाला है उसकी अभी से आपने चर्चा कैसे कर दी। इसलिये मान्यवर, शायद यह जब अपनी बात रखते हैं तो हकीकत से कहीं न कहीं दूर हो जाते हैं और मान्यवर, इन्होंने अभी निषाद समाज के प्रति अपने घड़ियाली आंसू बहाये। पूरे प्रदेश के केवट, निषाद, बिन्द, मल्लाह बिरादरी के लोगों का क्या पाप था, वह केवल यही कह रहे थे कि आपने अनुसूचित जाति में शामिल करने की घोषणा की है, तो हमको करो । लेकिन आप कर तो सके नहीं, उल्टे लाठीचार्ज करवा दिया, उन पर जमकर लाठियां भांजी गयी, सैकड़ों लोग हताहत हुये, सैकड़ों लोगों को चोटें आई, आप उनके घाव में मलहम तो लगा नहीं सकते, तो नमक छिड़कने का अधिकार आपको किसने दे दिया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि कन्या विद्या धन और हमारी बेटी उसका कल योजना में पहले आपने 30 हजार से शुरूआत किया और पौने दो साल में 20 हजार पर आ गये और 5 साल पूरा करते-करते हो सकता है कि 5 हजार और 10 हजार पर न आ जायें। मैंने यहीं पर हमारी बेटी उसका कल योजना के विषय में पिछले सत्र में आपत्ति दर्ज कराई थी कि 30 हजार से 20 हजार क्यों कर दिया गया। यहां माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे थे, संसदीय कार्य मंत्री जी उनके बगल में बैठे थे, दोनों लोगों ने आपस में गुफ्तगू किया और तपाक से संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हो गये और कहा कि नहीं-नहीं, परिवर्तन नहीं हुआ है, 20 हजार नहीं हुआ, 30 हजार ही है। आखिर सदन को आप गुमराह करने का बयान क्यों देते हैं। अगर 30 से 20 हजार किया तो उसको स्वीकार करना चाहिये और मान्यवर, 2013-14 में 4 लाख 55 हजार 499 लाभार्थियों को कन्या विद्या धन दिये जाने का प्रावधान था, दिया कितना गया मात्र 7 हजार छात्राओं को । कहां 4 लाख 55 हजार 499 और कहां 7 हजार ।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर)

मान्यवर, अब जो सही होगा, माननीय मुख्य मंत्री जी बता देंगे। मान्यवर, इनके एक मा0 मंत्री जी, मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, यद्यपि इन्होंने अच्छा करने का प्रयास किया, घोषणाएं भी अच्छी-अच्छी कीं, जिसका व्यवहारिकता से कोई लेना-देना नहीं है, व्यवहारिकता से कोई रिश्ता नहीं है। जांच मुफ्त में होगी, यह निर्णय बहुत अच्छा है, जनहित का भी है लेकिन मान्यवर, घोषणा करने के पूर्व इस सरकार को इस पर एक्सरसाइज करनी चाहिए थी कि बड़े पैमाने पर जब मुफ्त में सारे चिकित्सकीय परीक्षण होंगे तो नमूना एकत्रित करने के लिए पर्याप्त लैब होना चाहिए, टेक्निीशियन होने चाहिए, पैथोलॉजिस्ट होने चाहिए। इसकी कोई व्यवस्था नहीं, वही पुराने हथियारों पर ये इतनी बड़ी जंग लड़ने का सपना देख रहे हैं। अरे! उसको अमलीजामा देने के

लिए आपको पर्याप्त लैब की व्यवस्था करनी चाहिए, लैब टेक्नीशियन की व्यवस्था करनी चाहिए, फार्मासिस्ट की व्यवस्था करनी चाहिए, आधुनिक मशीनों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि आपके इस घोषणा से सही में लाभार्थी को लाभ ले सकें। आपकी घोषणाओं का लाभ गरीबों को मिल सके। उपचार कराने आने वाले लोगों को आपकी घोषणाओं का फायदा मिल सके। अगर पांच सौ की लाइन लगती है उसमें से यदि सौ को देखा जाता है, चार सौ को वापस किया जाता है तो जो चार सौ वापस होंगे वह सरकार को बद्दुआ देते हुए जायेंगे कि मुफ्त की घोषणा तो कर दिया लेकिन हमारा नम्बर ही नहीं आ रहा है। इसलिए मान्यवर, केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा बल्कि उन घोषणाओं को अमलीजामा देने के लिए आपको घोषणा के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए जिससे कि उन घोषणाओं को अमली जामा दिया जा सके। मान्यवर, इन्होंने प्रसव करने वाली महिलाओं के लिए एक नई योजना चलाई, योजना का स्वागत है लेकिन इसी बगल में एक महिला अस्पताल है हजरतगंज में, घंटों उस मरीज को डॉक्टर बैठाये रहे, बेड नहीं दिया, एडमिट नहीं किया, दरवाजे पर प्रसव हो गया। ऐसी योजनाओं से क्या मतलब, इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि पर्याप्त बेड, पर्याप्त डॉक्टर, पर्याप्त सुविधाएं होंगी तो किसी मरीज को बाहर प्रसव करने की नौबत नहीं आयेगी, किसी महिला को रिक्शे पर प्रसव करने की नौबत नहीं आयेगी। यह घटनाएं एक नहीं हैं, कुछ महीने पहले मोहनलाल गंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हुआ था। इस प्रकार की घटनाएं महीने में कहीं न कहीं आ ही जाती हैं कि डॉक्टर यह कहकर मना कर देता है कि हमारे यहां जगह नहीं है आप जाओ। लेकिन प्रसव की पीड़ा किसी डॉक्टर के आदेश पर नहीं निर्भर करती, प्रसव की पीड़ा तत्काल होती है, स्वाभाविक होती है, उसको यह मौका नहीं दिया जा सकता कि तुम मेडिकल जाओ या कहीं और जाओ। इसके इंतजार का समय नहीं रहता। इसलिए ऐसी चाक-चौबन्द व्यवस्था होनी चाहिए यदि कहीं किसी अस्पताल और डाक्टर की लापरवाही से इस प्रकार की कोई महिला दरवाजे पर या अस्पताल के बाहर रिक्शे पर प्रसव करने के लिए मजबूर होती है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मान्यवर, अभी तमाम योजनाओं की बात कही गयी। शहरी विकास योजना में 4000 करोड़ रुपये का बजट प्राविधानित था मात्र 35 प्रतिशत खर्च हुआ। अगर लोकसभा चुनाव के बहाना न होता तो लेखानुदान की जगह नया बजट आता, लेकिन 35 प्रतिशत खर्च हुआ। सरकार की संवेदनशीलता इससे जाहिर होती है कि कितना यह अपने कार्यो के प्रति सचेत हैं। नया सवेरा नगर विकास योजना में 900 करोड़ रु0 का बजट प्राविधानित था उसमें से मात्र 45 प्रतिशत खर्च हुआ। मान्यवर, यह समाजवादी पार्टी की सरकार अल्पयंख्यकों की हितैषी होने की दुहाई देती है, केवल दुहाई करने से काम नहीं चलेगा, वह कमजोर हैं, सत्ता शायद शासन से वंचित किये गये और उनके साथ कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार हुआ तो केवल जुबानी-जमा खर्च करके नहीं बल्कि सही मायने में उनको अगली कतार में खड़ा करने का काम करना चाहिए। बार-बार कहने के बाद अल्पसंख्यक समाज से सम्बन्धित तमाम संस्थाओं में किसी तरीके से कमेटियों का गठन हुआ, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग का अभी तक गठन नहीं हुआ। मान्यवर, यह कैसा अल्पसंख्यक प्यार ? प्यार तो बहुत है लेकिन केवल दिखाने में, व्यावहारिकता में वह प्यार दिखायी पड़पना चाहिए और मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज यह चिंतनीय विषय है कि पौने दो साल की सरकार में आई0बी0 की रिपोर्ट के मुताबिक 115 दंगे अब तक हुये

हैं जिसमें लगभग 13 बड़े दंगे शामिल हैं और शेष छोटे-छोटे साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। इसी सरकार में समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार का उत्तर दे करके अपने को भी कटघरे में खड़ा किया।

पिछले सत्र में मा0 मुख्य मंत्री जी ने दंगे कितने हुए, के जवाब में 27 दंगा बताया था और इस सत्र में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने दंगे कितने हुए इसके जवाब में 4 दंगा बताया था। आई0बी0 की रिपोर्ट बताती है कि 115 दंगे हुए आखिर यह दंगे की नौबत क्यों ? जग जाहिर है कि दंगा न तो आम मुस्लिम चाहता है न आम हिन्दू चाहता है लेकिन कुछ सियासी भेड़िये जो राजनीतिक चोला पहन करके हिन्दू-मुसलमानों को आपस में लड़ा करके, हिन्दु-मुस्लिम सौहार्द, को बिगाड़ करके उनके वोटों पर राजनीति करना चाहते हैं और जिसके कारण इस प्रकार की भयावह स्थिति पैदा होती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे भारतीय संविधान के मुताबिक हमारे देश का चरित्र धर्मनिरपेक्ष है। इस देश की आजादी के लिए अगर सरदार भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों ने फॉसी के तख्ते को चूमा था तो अशफाकउल्ला खां ने भी फांसी के तख्ते को चूमा था इस देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी थी इसलिए ऐसी फिरकापरस्त ताकतें जो हमारे तमाम इन शहादत देने वाले शहीदों की शहादत पर घिनौनी राजनीति का खेल खेलने की कोशिश करते हैं देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं और मान्यवर, शायद इनको इतिहास का ज्ञान नहीं आजादी की लड़ाई में जितना पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं चूंकि वह गरीब थे लाचार थे उनका इतिहास लिखने वाला कोई नहीं था उनके इतिहास को दबाया गया है अगर आप चाहते हैं तो मैं पुस्तक लाकर रख दूंगा। एक-एक जिले में हजारों की तादात में दलित समाज और पिछड़े वर्ग के लोगों ने जिस तरह से हंसते-हंसते फॉसी के तख्ते को चूमा था आप देखेंगे तो आपकी आंख हमेशा खुली रह जाएगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम इस देश को तार-तार मत करो। हिन्दू मुस्लिम सौहाद्र को तार-तार मत करो। प्रधानमंत्री बनना या न बनना उसके और भी रास्ते हैं विकास का रास्ता चुनो। साम्प्रदायिक सौहाद्र का वातावरण चुनो। राष्ट्र निर्माण के लिए कल्याणकारी योजनाओं का रास्ता चुनो लेकिन ऐसी घटिया राजनीति करने से बाज आना चाहिए जो हिन्दू मुसलमानों को लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में यकीन करते हैं ऐसे लोगों का भी अब खुलासा हो रहा है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि बहुत हो गया आजादी के 65 साल गुजर गए हमने रहनुमा बनकर अल्पसंख्यकों को बहुत धोखा दिया कम से कम अब उनके साथ ईमानदारी से सत्ता शासन में हिस्सेदारी बराबरी का दर्जा सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा नौकरियों में मौका यह सब मुहैया कराने के लिए इंतजाम करना चाहिए। हम केवल उनकी दुहाई देकर अगर उनकी आंख में धूल झोंकते रहेंगे तो एक बार हमारी नैया तो पार हो सकती है भूले-बिसरे दो बार पार हो सकती है लेकिन बार-बार गलत मुगालते में रखकर हम लक्ष्य तक नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसे हालात क्यों आए। सरकार है सरकार के पास मशीनरी है सरकार के पास विजीलेंस है सरकार के पास और भी तमाम एजेंसियां हैं एक दिन नहीं कोई बात घटती है आकस्मिक घटती है तो उसे माना जा सकता है कि चलो अचानक हो गया एक दिन नहीं दो दिन नहीं तीन दिन नहीं हफ्ते बाद दंगे की भेंट मुजफ्फरनगर चढ़ता रहा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जो बयान आया था उसमें उन्होंने लिखित जवाब में बताया कि 53 या 55 लोगों की जानें गईं और कितने लोगों की जानें गई जिनका कोई लेखा-जोखा नहीं था उसके विषय में कहा नहीं जा सकता। इसलिए मान्यवर, आप

मरें या हम मरें बात एक ही है इंसानियत मरती है इन्सानियत का कत्लेआम होता है हिन्दू मरता है या मुसलमान मरता है बात यह नहीं है। हिन्दु मरता है क्यों ? मुसलमान मरता है क्यों ? हिन्दू मुसलमान में दंगा होता है क्यों ? हिन्दु मुसलमान के बीच नफरत पैदा होती है क्यों ? और वहां पर जहां आजादी के 65 सालों के बाद अब तक नहीं हुआ था। क्या यह विश्व हिन्दू परिषद् के नेताओं के साथ दावत उड़ाने के बाद कहीं दंगा कराने वाले लोग सक्रिय तो नहीं हो गये ? दावत खाने के बाद कहीं उनका दिमाग खराब तो नहीं हो गया ? दावत खाने के बाद कहीं शह तो नहीं मिल गई ? दावत खाने के बाद उत्तर प्रदेश में दंगे की बात क्यों ? कहीं न कहीं यह सवाल छोड़ता है। मान्यवर, हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, अपने विभाग को सुधारने की, पटरी पर लाने की, लेकिन उन्हीं के विभाग में अभी कासगंज में आपके संज्ञान में आया होगा। ऐसे कौन से अध्यापक हैं जिन्होंने 600 बच्चों को मंदबुद्धि घोषित करके उनके जीवन के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। और ऐसे बच्चे तो प्रतिभाशाली हैं, सभी का उन्हें ज्ञान है, 20 तक का उन्हें पहाड़ा आता है। सारे स्वर और व्यंजन उन्हें आते हैं, सभी प्रकार का उन्हें ज्ञान है। आखिर एक होता, दो होता तो बात समझ में आती लेकिन 600 बच्चे सामूहिक रूप से मंदबुद्धि घोषित करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए जिन्होंने उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की।

श्री दलवीर सिंह-

ऐसे बच्चों का क्या हुआ ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अगर आपको [xxx] घोषित कर दिया जाय।

(हंसी)

श्री दलवीर सिंह-

आप बार-बार मंदबुद्धि, मंदबुद्धि इस तरह से कह रहे थे शायद आपकी मंदबुद्धि हो गई क्या। मेरा यह मानना था कि उनको मंदबुद्धि घोषित करने से उनका अहित क्या हो जाता है, मैं यह जानना चाहता था। मंदबुद्धि मेरी हो गई, आपकी मंदबुद्धि हो गई यह तो सब लोग जानते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय नेता लोक दल को शायद अभी भी ज्ञान नहीं हुआ। मंदबुद्धि घोषित करने से उनका यह हुआ जो आपको [x x x] कह देने से हुआ और आप खड़े हो गये।

श्री दलवीर सिंह-

मैं आपसे यह पूछना चाह रहा था कि क्या आपकी मंदबुद्धि हो गई। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि मंदबुद्धि करने से सरकार को क्या लाभ हो गया। मंदबुद्धि घोषित करने से सरकार को क्या बेनिफिट हो गया ? तो मंदबुद्धि आपकी हुई या मेरी।

(हंसी)

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

चूंकि आप समझ नहीं सकते तो मंदबुद्धि किस की हुई आप जान लीजिये। माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार बार-बार कहती है कि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं हो लेकिन कहती कुछ है करती कुछ है। अन्तर एक बार नहीं बार बार होता है। मैं चाहूंगा कि कथनी करनी में एका हो और मान्यवर जो महामहिम श्री राज्यपाल जी ने अपने भाषण में अनुकूल औद्योगिक वातावरण की अपेक्षा की है। लेकिन होगा कैसे, जब पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज होगा, प्रदेश में गुण्डे माफिया, अराजक तत्व, अपराधी बेखौफ होकर शासन की धज्जियां उड़ायेंगे। शासन प्रशासन की कोई हनक नहीं होगी, शासन प्रशासन का गुण्डे माफिया अपराधियों में कोई खौफ नहीं होगा, तो अनुकूल औद्योगिक वातावरण की परिस्थितियां कभी पैदा नहीं हो सकती हैं। मान्यवर, प्रतिदिन कभी- कभी तो मैं झल्लाकर टी0वी0 बन्द कर देता हूं। एक-एक दिन में दर्जनों हत्यायें, दर्जनों बलात्कार की घटनायें, दर्जनों दुराचार की घटनायें, दर्जनों सर्राफा व्यापारियों की हत्या और लूट, की घटनायें आम होती जा रही हैं आखिर ऐसा क्यों, मैं जानता हूं कि सरकार इससे चिन्तित होगी, लेकिन क्या इन कारणों पर आप कभी गए कि इन अपराधों की बाढ़ क्यों ? इसीलिए कि अपराधी जानते हैं कि हम अपराध करेंगे तो हमारे ऊपर कार्यवाही नहीं होगी, अगर उन्हें भय हो कि हम कानून के हत्थे चढ़ जाएंगे, हम जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे तो हमें कड़ी सजा मिलेगी, तो शायद इस प्रकार की घटनायें होना बन्द हो जाएं। अभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपनी व्यथा कही दी, उनको अपनी भैंस याद आ गई, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आपने तो खुद कहा कि काश मेरी किस्मत मेरी भैंसों जैसी होती, जितनी शोहरत मेरी भैंसों को मिली उतनी शोहरत तो महारानी विक्टोरिया को भी नहीं मिली तो आप भी भैंसों की शोहरत से खुद....

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मैं एक भैंस आपको देता हूं संभालकर रखिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

संसदीय कार्य मंत्री जी को भैंस मिलने के बाद पीड़ा क्यों है ? क्योंकि जो भैंस उनकी गई वह वापस नहीं आईं, और सात भैंसों की जगह नौ भैंसें आईं लेकिन ओरिजनल नहीं आईं...

(हंसी)

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक पत्नी का पति गुम हो गया वह थाने में रिपोर्ट लिखाने गई तो थानेदार ने पूछा कि तुम्हारा पति कैसा था ? पत्नी ने कहा 6 फिट लम्बा था, उसका लड़का साथ खड़ा था, उसने कहा, काहे अम्मा झूठ बोलती हो, वह तो पांच फिट का था, वह बोली तू चुप कर, उसके बाद थानेदार ने पूछा कि रंग कैसा था ? वह बोली, गोरा चिट्टा था, लड़का बोला, क्यों अम्मा झूठ बोल रही हो वह तो काला-कलूटा था वह बोली चुप रह, फिर थानेदार ने पूछा चलता कैसे था, वह बोली शेर की तरह चलता था, बहुत लम्बा-चौड़ा हट्टा-कट्टा था, बाहर आकर लड़के ने कहा अम्मा झूठ क्यों बोला वह तो नाटा,काला था, वह बोली, जो गुम गया सो हो गया लेकिन जो मिले वह तो अच्छा मिले।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

संसदीय कार्य मंत्री जी और महाना जी एक दूसरे के दोस्त हैं वह एक दूसरे की हकीकत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। महाना जी ने अपरोक्ष रूप से कहा उसका संज्ञान आपने अच्छी तरह से ले लिया। मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि अपराधी बेखौफ इसलिए हैं क्योंकि अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने में यह सरकार कहीं न कहीं पीछे है। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को इस मौके पर कहना चाहूंगा कि यदि वाकई में आप चाहते हैं कि आपकी सोहरत बढ़े तो गुण्डे, माफिया और अपराधियों के खिलाफ आपको कड़ी से कड़ी कार्यवाई करनी होगी। गुण्डे, माफिया, अपराधी न किसी की सरकार बना सकते हैं और न किसी की सरकार बिगाड़ सकते हैं। जिस दिन आपके अन्दर यह भावना होगी, गुण्डे, माफिया, अपराधियों पर कार्यवाई होगी, अगर कार्यवाई होती तो किसी बड़े से बड़े गुण्डे, माफिया, अपराधी की हैसियत नहीं होती कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री की भैंस चुराने की हिम्मत करता। यह चुनौती है, यह सरकार को चुनौती है, केवल भैंसें ही नहीं चुराई गईं, यह संसदीय कार्य मंत्री की भैंस नहीं चुराई गई, यह सरकार के गाल पर चाटा मारा गया है। गुण्डे, माफिया, अपराधियों ने चाटा मारा है, मान्यवर।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अब कल के अखबार में हमारी भैंसे ही छपेंगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसी को छपवाने के लिए ही तो आपने बीच में भैंस का नाम लिया था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मुझे डर इस बात का है कि भैंस का और आपका फोटो छपेगा, लेकिन यह तय करना मुश्किल होगा कि इसमें भैंस कौन सी है।

(हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी को तो मैं बहुत बुद्धिमान समझता था कि इन्सान और जानवर में कम से कम अन्तर समझते होंगे, अगर इतनी समझदारी नहीं है तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने इन्हें संसदीय कार्य मंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी।

(हंसी)

मान्यवर, आज जिस तरीके से जो घटनाओं की बाढ़ आई है, महामहिम श्री राज्यपाल जी ने अपने इस भाषण में हाईटेक पुलिस का सपना देखा है, महानगरों के सभी चौराहों पर सीसी कैमरे, नक्सल क्षेत्र में अष्ठकोणीय थाना, सारी की सारी घोषणाएं टॉय-टॉय फिस्स, कानपुर में किसी तरीके से शुरू हो पाया और मान्यवर, यह हाईटेक पुलिस क्या बनायेंगे, गुण्डे, माफिया और अपराधियों का स्वयं पुलिस शिकार हो रही है। जब से सरकार बनी है, तब से 80 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है, गुण्डे, माफिया और अपराधियों की गोली से, जिसमें डी0एस0पी0 भी शामिल हैं, कई दरोगा शामिल हैं, कई कान्सटेबल शामिल हैं, 80 पुलिस वाले अब तक गुण्डे, माफिया और अपराधियों की गोलियों का शिकार हुए हैं। आखिर जब कानून का रखवाला, खुद अपनी जान की

रक्षा नहीं कर सकता है तो जनता का विश्वास स्वाभाविक रूप से कानून से उठेगा, पुलिस से उठेगा। उससे आम जनता के बीच में संदेश जायेगा कि जब गुण्डे, माफिया और अपराधी डिप्टी एस0पी0 की हत्या कर सकते हैं, एस0ओ0 की हत्या कर सकते हैं, दरोगा की हत्या कर सकते हैं, पुलिस वाले की हत्या कर सकते हैं तो आम जनता की हत्या करने में उसे क्या देर। इसलिए मान्यवर, हाईटेक पुलिस बनाने के लिए पुलिस की हौसला अफजाई करनी होगी। ऐसी पुलिस जो अराजकता के रास्ते पर चल पड़ी है उन पर भी नकेल लगानी पड़ेगी। आज थानों में महिलायें सुरक्षित नहीं हैं। थाने में महिलाओं के साथ दुराचार की घटनायें आम होती जा रही हैं। आये दिन पुलिस की इस अराजकता से सरकार की किरकिरी होती है सरकार को कठघरे में खड़ा होना पड़ता है। इस पर सरकार की जवाबदेही बनती है। ऐसे मनमाने पुलिसकर्मी जो समय-समय पर खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। एक ओर जब कानून का रक्षक ही भक्षक बन जायेगा और दूसरी ओर खुद गुण्डों की गोली के शिकार होंगे तो स्वाभाविक रूप से आम जनता के बीच से कानून से लोगों का विश्वास हटेगा। और सरकार पर कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दोतरफा कार्रवाई करने के लिए सरकार को खुद को तैयार करना पड़ेगा। अराजक पुलिस पर भी कार्रवाई करने की पहल करनी होगी और ऐसे सिरफिरे गुण्डे, माफिया अराजक तत्व जो पुलिस वालों को भी गोली का शिकार बना लेते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मान्यवर, आज आपके निर्देश पर यह केवल आपकी पीठ का सम्मान है कि विपक्ष का सबसे बड़ा शून्य प्रहर नियम-56 की सूचनायें उसका विषय होता है केवल आपके निर्देश पर हम विभिन्न घटनाओं से संबंधित कानून व्यवस्था पर जो नियम-56 में लाना चाहते थे वह नहीं लाये। मान्यवर, 22-23 को दो दिन सत्र नहीं था और दो दिन के अंदर ही इतनी घटनायें हो गयी। मान्यवर, सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व स्थानीय अधिकारियों को निवेदन करने के बाद भी हमारे संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी अमरपाल और कर्ण सिंह की हत्या दिनांक 15-2-14 गाजियाबाद में कर दी गयी। इसी 20 फरवरी को जनपद कुशीनगर के थाना तरया सुजान स्थित परसौनी बाजार में रमेश गुप्ता, रूपेश कुमार वर्मा दोनों सर्राफ की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। 20 लाख रूपये का जेवर लूट लिया। उसी कुशीनगर में पटेरवा थाने में शिवशंकर वर्मा ज्वेलर्स की हत्या कर दी गयी उससे 20 लाख रुपया लूट लिया। इसी 21 तारीख को इलाहाबाद में अग्रसेन ज्वैलर्स के यहां 50 लाख की लूट कर ली। जनपद मैनपुरी में ओरछा स्थित आर्यावृत ग्रामीण बैंक में डकैतों ने साढ़े छः लाख की लूट कर ली। आगरा में पत्रकार की पत्नी की हत्या कर दिया। ललितपुर में मा0 न्यायालय के तीन-तीन बार आदेश, निर्देश देने के बाद भी दबंगों ने दलितों की भूमिधरी जमीन पर कब्जा कर लिया। और मान्यवर, यही नहीं आपके इसी कानपुर में दारोगा ने वेटर को गोली मार दी। उसी दिन प्रतापगढ़ में हाई स्कूल की छात्रा को चार लोगों ने अगवा कर लिया। यह एक-दो दिन की घटनायें हैं। और मान्यवर, मैं यहां इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र करते-करते ऊब गया। लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। मालूम नहीं कौन सा प्यार है गुण्डे, माफिया, अपराधियों से, जो गुण्डे, माफिया, अपराधी सरकार की बार-बार किरकिरी कराते हैं सरकार उन पर हाथ डालने से मालूम नहीं क्यों डरती है। इसलिए मान्यवर मैं कहना चाहूंगा, लाख कोशिश करने के बाद भी पहले तो एफ0आई0आर0 नहीं होती, एफ0आई0आर0 हो जाती है तो कार्रवाई नहीं होती और स्वाभाविक रूप से जब कार्रवाई नहीं होगी तो गुण्डा, माफिया, अपराधी एक नहीं दस घटना करेगा, क्योंकि उसको पिछली घटना की मिसाल रहेगी, हमने फला हत्या की

हमारा कुछ नहीं हुआ, हमने फला लड़की के साथ दुराचार किया, हमारा कुछ नहीं हुआ, तो एक नहीं अनेक घटनायें वह करता रहेगा, इसलिए इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए। मान्यवर, इस तरह के प्रकरण जिसमें बड़ी जद्दो-जेहाद के बाद एफ0आई0आर0 तो हुई, महीनों बीत गये, उसके पहले भी सूचना दी गई, लेकिन एफ0आई0आर0 के बाद भी कहीं-कहीं तो एफ0आई0आर0 नहीं हुई, जिनमें एफ0आई0आर0 हुई भी, तो महीना-महीना बीत जाने के बाद भी किसी अपराधी पर हमारे कानून वाले इतने मेहरबान हैं कि हाथ डालने की कोशिश नहीं की। मान्यवर, यहीं जनपद लखीमपुर-खीरी में जिनपुर मसूदपुर गांव में रूपेन्द्र दीक्षित हैं उनके दो लड़के, रोचक दीक्षित और मोहित दीक्षित का अपहरण हुआ, मान्यवर, थाने में सूचना दी गई, पुलिस सक्रिय होती तो दोनों बच्चे बच जाते, दो दिन बाद उन दोनों बच्चों की लाश मिलती है। उनके दो ही बच्चे थे, एक 13 साल का, एक 15 साल का, दोनों बच्चों की हत्या हो गई। आखिर उस माता-पिता से पूछो, जिसके केवल दो ही संतानें थीं, दोनों इस दुनिया से विदा हो गये। यह दर्द सरकार को अपना दर्द समझना होगा। मान्यवर, कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई होती बच्चे बच जाते। हमारे कुशीनगर जनपद कोतवाली पडरौना में सुहेल नाम का लड़का अपहरण किया गया, मैंने खुद एस0पी0 को टेलीफोन पर, टी0वी0 पर न्यूज देखकर टेलीफोन पर मैंने उससे कहा, टास्कफोर्स गठित करो, पुलिस टीम तैयार करो, किसी तरीके से लड़के को बरामद करो, लेकिन मान्यवर कर रहे हैं-कर रहे हैं, पुलिस थाने में बैठी कोतवाली में बैठी, अपने आफिस में बैठे, लेकिन उस बच्चे की तलाश में एक दिन भी अगर ये तलाश और छापेमारी करती तो लड़का बच जाता, चार दिन बाद उसकी लाश मिली और उसके बावजूद भी मान्यवर, आज तक किसी भी हत्यारे का सुराग नहीं लगा। आखिर क्या है, इससे हौसला उनका बढ़ेगा नहीं, इससे गुण्डे, माफिया, अपराधी बेखौफ नहीं होंगे। मान्यवर इसी तरीके से अनीता देवी जुम्मनवीर थाना महराजगंज बलरामपुर बलात्कार की घटना लिखी गई, लेकिन उन दुराचारियों की गिरफ्तारी आजतक नहीं हुई। मुकदमा अपराध संख्या 637/2013 दर्ज किया गया, एक तो उसकी असमत लूटी गई, एफ0आई0आर0 कराई, क्षेत्र में मामले का खुलासा भी हो गया, लेकिन एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के बाद भी कौन सी ऐसी लाचारी है, जो उसके गिरेबान पर हमारा हाथ नहीं जाता, हमारी पुलिस की उससे दोस्ती क्या है, आखिर मेहरबानी का कारण क्या है, क्या इससे सरकार की फजीहत नहीं होती। आप लाख लैपटाप बांटो, अगर इन गुण्डे, माफिया, अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाते, तो आपके सब किये कराये पर ये पानी फेर देंगे और बाद में आप खाली हाथ मलते रह जाओगे।

इसी तरह मान्यवर, फिरोजाबाद में एका थाने में गांव जेड़ा में छः लोगों ने सामूहिक एक लड़की के साथ बलात्कार किया, एफ0आई0आर0 हुई, मान्यवर एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे हौसला नहीं बढ़ेगा, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, हम केवल हवा में बात नहीं करते ये मान्यवर, उन पुलिस वालों से सरकार को पूछना चाहिए। एफ0आई0आर0 होने के बाद, पीड़िता के द्वारा नाम बताये जाने के बाद, एफ0आई0आर0 लिखे जाने के बाद आखिर वह खुला क्यों घूम रहा है। मान्यवर, जिला बहराइच में थाना हरदी, ललईबाग दखली कपूरपुर राम नरेश पाल की पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, एफ0आई0आर0 लिखी गयी, कार्रवाई नहीं हुयी। मान्यवर, मुरादाबाद में चामुण्डा मन्दिर के पीछे सत्येन्द्र कुमार रस्तोगी की हत्या करके लाश फेंक दी गयी, एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुयी। इसी तरीके से कुमारी रिंकी मौर्य, यह श्याम सुन्दर मौर्य की लड़की है। असोहा, थाना उन्नाव, एफ0आई0आर0 दर्ज हुयी 376

की, गिरफ्तारी नहीं हुयी। हम इसलिये बता रहे हैं कि आज ये गुण्डे, माफिया, अपराधी बेखौफ इसलिये हैं, अपराध इसलिये बढ़ रहा है कि उन पर कार्यवाही नहीं होती। इस पर कहीं न कहीं आपको कड़ाई से पेश आना होगा। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा कि अपराधी अपराधी होता है। वह अपनी जान बचाने के लिये सरकारों के इर्द-गिर्द घूमने की कोशिश करता है। सरकारें अगर सजग और सावधान हों तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है लेकिन मान्यवर, अगर सरकार कहीं न कहीं ऐसे अपराधियों पर मेहरबान हो जाती है तो उसके हौसले बढ़ जाते हैं। अपराधी हमेशा होते हैं यह नहीं कि केवल समाजवादी पार्टी की सरकार में आ गये। हमेशा होते हैं लेकिन कुछ सरकारें इन अपराधियों को जेल की सलाखों में भेजकर इनकी हैसियत बताती हैं कि कानून क्या होता है, सरकार का इकलाख क्या होता है, शासन प्रशासन क्या होता है, कानून से मजाक करने की सजा क्या होती है और कुछ सरकारें इसको गम्भीरता से नहीं लेतीं। नतीजा यही है कि कल तक जो अपराधी जेल की सलाखों के पीछे थे, आज वे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूम रहे हैं और जिसके नाते उनके संरक्षण में तमाम इस प्रकार का धन्धा फलफूल रहा है। यदि आप सरकार की किरकिरी होने से बचाना चाहते हैं तो इन सारे मामलों पर आपको गम्भीरता से विचार करना होगा और मान्यवर, ऐसे लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिये। मान्यवर, इसी लखीमपुर खीरी में ग्राम पंचायत जुगनूपुर, तहसील धौरहरा में राम प्रसाद, मान्यवर, मा0 न्यायालय से तीन-तीन बार आदेश कि यह फलां की जमीन है, फलां का घर है, इसे मिलना चाहिये, उसके बावजूद न्यायपालिका को भी धता बताकर उसके घर पर कब्जा कर लिया इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि इस तरीके की जो घटनायें होती हैं, उन पर सरकार को कार्यवाही करने में संकोच नहीं करना चाहिये। प्रभावी ढंग से कार्यवाही करनी चाहिये। इसी तरह से अम्बेडकर नगर में अशोक कुमार यादव अध्यापक है, उसकी हत्या हो गयी। एफ0आई0आर0 भी हुयी लेकिन कार्यवाही नहीं हुयी। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुयी। मान्यवर, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराधी की बन्दूक से जब गोली निकलती है तो वह न पार्टी पूछती है न जाति पूछती है। जो भी सामने आयेगा उसके निशाने पर होगा इसलिये मान्यवर, आज जिस गोली से आज आम जनता के बीच में लोग छलनी-छलनी हो रहे हैं, मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, उन्हीं गुण्डों की गोली का निशाना कभी हमारी और आपकी ओर आ सकता है। कभी इस सदन में बैठे जनप्रतिनिधियों की ओर आ सकता है। गुण्डे, माफिया और अपराधियों की बन्दूक से निकली गोली न जाति पूछती है, न पार्टी पूछती है, न उमर पूछती है। इसलिए मान्यवर, ऐसे बेनकेल लोगों पर कार्यवाही करने के लिए आपको आगे आना होगा। हमारे जनपद रायबरेली गुरबदर सिंह थाना, रामनगर मजरेपुरई एक किसान शमशेर यादव, उसका सिर काटकर उठा ले गए, दिन-दहाड़े आखिर किसी की ऐसी हिम्मत कैसे पड़ गई, कैसे हिम्मत पड़ गई। इसीलिए पड़ गई कि उनको इस बात का भय नहीं है कि हम अपराध करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्यवाही होगी। इस बात का भय नहीं है।

*बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता विरोधी दल ने अभी हमको इंगित करके कहा था कि एक स्कूल में 600 बच्चे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

एक स्कूल में नहीं, जिले में 600 बच्चे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

एक जिले में 600 बच्चे हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देश से वहां पर सर्वशिक्षा अभियान के तहत विशेष शिक्षक की नियुक्ति की गयी है, इस सरकार में जो मंदबुद्धि, विकलांग, बहरा, गूंगा को शिक्षा देने का काम करेंगे, वही शिक्षक गांवों में और प्रत्येक स्कूल में इस बात की जांच करते हैं, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कि कौन अधिक विकलांग है, गूंगा है, मंदबुद्धि है, कि उसको हम अपने स्कूल में ले जाकर करके उनको पढ़ाने का काम करें, पूरे जनपद में इस तरह से विकलांग, मंदबुद्धि और तरह-तरह की बीमारियों में चिन्हित हुए हैं। 600 नहीं हैं, एक जिले में 81 हैं और उनको पढ़ाने की व्यवस्था के लिए मंदबुद्धि छात्रों वाले जो शिक्षक हैं, वह उनको पढ़ायेंगे।

श्री दलवीर सिंह-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

अब आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा, ये शब्द आपके लिखे नहीं जायेंगे। आप तो और असंसदीय बोल रहे हैं, आप बैठिए। ये लिखा नहीं जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्या जी, अब आप कितना समय और लेंगे। मा0 दलवीर सिंह जी, अब आप बैठिए। असंसदीय शब्द कोई नहीं लिखा जायेगा।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मेरे लिए जो असंसदीय शब्द कहें गए हैं, उनको निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

उनका भी निकाल दिया जायेगा, अगर कोई असंसदीय शब्द होगा तो हम देख लेंगे और निकाल दिया जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, वह आपके विभाग का मामला है। हमने तो इसलिए संज्ञान में लाया ताकि उसकी और भी गहराई से तथ्यों की जानकारी कर लें और जो मेरे संज्ञान में आया है 600 बच्चों को मंदबुद्धि का प्रमाण-पत्र देकर उस स्कूल में भेजा गया है। आप उसकी जांच करा लें। दूसरी चीज मैं अपने बड़े भाई नेता लोकदल उनको हमने पागल कहा नहीं। हमने उदाहरण दिया कि यदि आप को कह दिया जाए तो, उदाहरण के रूप में लेकिन अगर मेरे इस शब्द के कहने से, उदाहरण देने से यदि हमारे भाई ने यह मान लिया कि हमें कहा गया और इससे उनको चोट पहुंची तो वह शब्द मैं बिना किसी शर्त के वापस लेता हूं। चूंकि वह मैंने कहा ही नहीं तो क्षमा मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं।

मंत्री (श्री महबूब अली)-

वह चाह रहे हैं कि आप क्षमा याचना उनसे कर लें।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

चूंकि श्रीमन्, मैंने वह कहा ही नहीं है इसलिए क्षमा मांगने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन अगर उससे आपको ठेस पहुंची है तो वह शब्द मैं वापस लेता हूं। मान्यवर, गाजीपुर में घटना हुई उसमें कृष्ण कुमार की हत्या हुई।

श्री अध्यक्ष-

जो घटनाओं की सूची आपके पास है वह आप लिखकर के दे दें वह कार्यवाही का अंग बन जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

ठीक है मान्यवर वह मैं दे दूंगा। मैंने इसलिए इनका उदाहरण दिया कि घटनायें जो भी होती हैं वह गंभीर होती हैं। मान्यवर हत्या और बलात्कार से ज्यादा गंभीर कोई घटना नहीं होती है। मान्यवर, हत्या और बलात्कार की घटनायें होना, उस पर एफ0आई0आर0 दर्ज होना, और उसके बाद भी कार्यवाही न होना, अपराधियों को खुले आम घूमने के लिए छूट देना, यह सारी की सारी बातें मान्यवर अपराधियों को बढ़ावा देने वाली बाते हैं। इसलिए मैंने इन सारी घटनाओं का संदर्भ आपके सामने रखे हैं इन्हें मैं आपके सामने भेज दूंगा आप उसको कार्यवाही का हिस्सा बनवा देंगे और आपके माध्यम से यह सारी घटनायें सरकार के संज्ञान में आ जायेंगी और सरकार उस पर कार्यवाही कराये। मान्यवर, जो घटनायें हुई हैं वह वीभत्स घटनायें हुयी हैं उनमें एफ0आई0आर0 हुई हैं लेकिन उसके बावजूद किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे मान्यवर, सरकार का जो इकबाल होता है या तो वह इससे कमजोर हुआ है या खत्म हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का इकबाल होना चाहिए। पूरी जनता की निगाहें आपकी तरफ होती हैं कि अगर उसके साथ कोई ज्यादती होगी तो सरकार से उसको न्याय मिलेगा उसके आत्म सम्मान की रक्षा होगी। मान्यवर, हम यह कहकर बच नहीं सकते हैं कि यह घटनायें तो होती ही रहती हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं वह भी शिकार हुए हैं इसलिए हो सकता है कि अब कुछ ज्यादा संवेदनशील और गंभीर हो गये हों। मान्यवर, कहीं भी कोई घटना घटित हुई हो चाहे वह तीन चार पहले हुई हो आप उसका उदाहरण देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। आपने कह दिया कि लखीमपुर में घटना घटी जो भी घटना घटी वह शर्मनाक है। मैं इसकी निन्दा करता हूं चाहे वह जिस भी सरकार के समय में वह घटना घटी हो चाहे आपकी सरकार में हुई हो या हमारी सरकार के समय में हुई हो। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अपराधों को बढ़ावा देना अपनी मौत को बुलाना है। आम जनता के लोगों की हत्या होगीं तो कहीं न कहीं उसमें सरकार की भी मौत होगी सरकार उससे प्रभावित होगी। इसलिए इन गंभीर मुद्दों पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी प्रदेश की जनता के प्रति है उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। सरकार कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है प्रदेश की पूरी जनता का सरकार पर भरोसा होता है कि अगर उसके साथ कोई जुल्म ज्यादती होगी तो सरकार उसमें उसको सुरक्षा प्रदान करेगी और हमें न्याय दिलायेगी। जुल्म ज्यादती जो हो रही हैं उससे निजात दिलायेगी इस तरह का विश्वास आम जनता सरकार से करती है। लेकिन अगर जनता की शिकायतों पर उसकी एफ0आई0आर0 पर कार्यवाही नहीं होगी अपराधी गिरफ्तार नहीं होगें तो सरकार की फिर उसमें किरकिरी ही होगी। इसलिए महामहिम श्री राज्यपाल जी का यह जो

अभिभाषण है यह केवल सरकारी दस्तावेज नहीं है कि केवल वे यहां पर आये और पढ़कर चले गये सरकार को इसमें कही गयी बातों पर अमल भी करना चाहिए। अगर इन सारी समस्याओं का हल आप नहीं निकाल पाते हैं तो उससे आपकी ही फिर किरकरी होगी। मान्यवर, यह जो आज का सदन का एजेण्डा है यह इतना मोटा है इसमें उन सारे प्रमुख बिन्दुओं को बताया गया है जिनका उल्लेख श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं आया है। यह जो इतना मोटा एजेन्डा है यह प्रदेश की समस्याओं से संबंधित बिन्दुवार विषय और मुद्दे आये हैं सरकार इसको भी गम्भीरता से संज्ञान ले और समूचे विपक्ष के तमाम माननीय सदस्यों ने जनहित की समस्याओं को प्रदेश की समस्याओं को संशोधन के रूप में महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में समाविष्ट करने के लिए दिया है, हम समझते हैं इसमें आपकी बहुत ही उदारतापूर्वक कृपा होगी। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं बैठे हैं, वह केवल राजनीतिक बचाव के उद्देश्य से नहीं विपक्ष के नेता ने कहा है उसका प्रतिवाद करने की दृष्टि से नहीं बल्कि प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए गुण्डे, माफिया अपराधियों से प्रदेश की जनता को निजात दिलाने के लिए, बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सम्प्रदायिक जहर घोलने वालों पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही और पहल करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तुत करने वाले साथियों को मैं यह कहना चाहूंगा कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने, आत्मबोध उनका हुआ, प्रायश्चितस्वरूप उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि कहां ठहराव आ गया, कहां विकास कार्य ठप हो गया इन सारी विकास की पहिया को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत जहां पहले विकास की एक गंगा बहती थी आज कहीं न कहीं कोई ठहराव आया है वह विकास की गंगा फिर से बहनी चाहिए। यह कानून का राज फिर से चलना चाहिए, अमन चैन कायम होना चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द की बात आगे बढ़नी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात आपके समक्ष रखता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी निश्चित रूप से उनका भाषण बहुत ही सारगर्भित था। मान्यवर, यह महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण है।

(टोकाटाकी होने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपको तो नेता भाजपा को बधाई देना चाहिए कि नियम-56 के तहत जो सरकार की किरकिरी होती उस किरकिरी होने से आपने बचा लिया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, करीब 107 पेज का अभिभाषण है और इसके पहले पेज से मैं शुरू करता हूं। इसके तीसरे पैरे में लिखा है कि मेरी सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है जो जो वायदे हमने जनता से किये थे मेरी सरकार ने उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाये हैं इससे तो मैं सहमत हूं कि इनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। कथनी में तो 100 फीसदी हैं और करनी में शून्य हैं इसलिए अन्तर का कोई सवाल ही नहीं उठता कथनी और करनी में

कोई अन्तर नहीं है। बहुत ही समझदारी से शब्दों का चयन किया गया है जो बात है असलियत में वह बात आ गयी है। मान्यवर, आगे दो लाइन और देखें, आगे कहते हैं कि हम फख्र से कह सकते हैं कि जितनी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत पौने दो वर्षों में अर्जित की है उतनी उपलब्धि सरकारें 5 सालों में भी नहीं प्राप्त कर पाती हैं। यह भी ठीक है दो साल में पौने दो साल में आपने क्या-क्या उपलब्धि की है उस पर नजर डाल लें, मान्यवर। मान्यवर, जो उपलब्धि है, एक तो पौने दो साल में इस प्रदेश में शायद आजादी के बाद में कभी इतना सामाजिक तनाव नहीं देखा गया, जितना इन पौने दो वर्षों में देखा। एक तो यह उपलब्धि है जिसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी अपने अभिभाषण में कर देते तो अच्छा होता । मान्यवर, दूसरी उपलब्धि है कि आज भी साढ़े 3 हजार से अधिक लोग अमानवीय स्थिति में मुजफ्फरनगर में रहने के लिये मजबूर हैं, यह दूसरी उपलब्धि है इनकी कि एक जनपद का मामला ही यह पिछले 6 महीने में निस्तारित नहीं कर पाये, इसको भी यह उपलब्धि मान लें ।

मान्यवर, तीसरी उपलब्धि इनकी है कि लगभग 4 हजार लोगों पर गलत तरीके से निर्दोष, निरपराध लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमें कायम किये गये, उन पर कत्ल से लेकर बलात्कार की धारायें लगाई गयीं और ऐसे आधार पर लगाई गयी, आज तक कोई जांच नहीं, कोई साक्ष्य नहीं केवल कहा गया कि 164 में बयान हो गये, वह भी कथित घटना के 25-30 दिन बाद में बयान कराये गये और उन बयानों को आधार मानकर आज सैकड़ों लोगों के ऊपर छापेमारी की जा रही है। मान्यवर, यह उपलब्धि है। अच्छा होता आप किसी से जांच करा लेते, अधिकारियों पर यह दबाव है कि छापे मारो, अधिकारियों पर यह दबाव नहीं कि निष्पक्ष जांच करो, निर्दोष लोगों को छोड़ो, अपराधियों तक ही सीमित रहो लेकिन मान्यवर, गांव के गांव में जैसे आर्मी घेराव कर लेती है, उसी तरह से पुलिस घेराव करती है और आज वहां का किसान अपनी खेती करने से भी मजबूर हो गया है। छिपकर रहना पड़ता है उसको। महिलाओं तक को अपना काम छोड़कर आगे आना पड़ता है, यह वहां की स्थिति है और मैं इसको सरकार की तीसरी उपलब्धि मानता हूं।

चौथी उपलब्धि मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जितनी भी घटनायें गिनाई, मेरे पास भी पूरी घटनाओं का चार्ट है, आप कहेंगे तो मैं पढ़कर सुना दूंगा। इन पौने दो वर्षों में जितनी घटनायें बलात्कार की हुयी, हत्याओं की हुयी, लूट की हुयी, चोरी की हुयी और इसमें भैंस की चोरी का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं, शायद किसी सरकार के कार्यकाल में इतनी घटनायें नहीं हुयी। मैं भी बहुत दिन से मान्यवर, इस सदन में बैठ रहा हूं और मैंने विभिन्न सरकारों के कार्यकलाप भी देखें हैं, राज्यपालों के अभिभाषण भी सुने हैं और जो कुछ भी आंकड़े सामने आये उनको भी गौर से विश्लेषण किया है। लेकिन इतनी आपराधिक घटनायें किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुयी जो अब हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, उसके कारणों पर मैं बाद में आऊंगा।

मान्यवर, मैं साम्प्रदायिक दंगों की सूची लेकर आया हूं, आज तो जवाब में आपने कह दिया था और एक दंगा बताया उन्होंने, किसी ने चार बताये लेकिन मान्यवर 55 दंगे हैं। बेहद गंभीर दंगे, जिनमें हत्यायें हुयीं, तनाव बढ़ा, सबकी सूची मेरे पास मैं हैं। मान्यवर, मैं आपका समय बरबाद नहीं करना चाहता, सबका उल्लेख करके मैं मुख्य मंत्री जी के पास भेज दूंगा, आपके पास में भी होगी वैसे, मैं आपके पास भी भेज दूंगा मान्यवर। यही उपलब्धि सरकार की है। मान्यवर, अगर यह न रहा होता तो सबसे बड़ा प्रमाण-पत्र जो दिया है सरकार को, वह माननीय नेता

मुलायम सिंह जी ने दिया। तीन बार मैंने उनका भाषण अखबार में पढ़ा है और तीनों बार उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है कि प्रदेश सरकार के मंत्री क्या कर रहे हैं, क्यों अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने लताड़ लगाई कि तुम लोग जाकर थानों पर कब्जा कर रहे हो, अधिकारियों के साथ मार-पिटाई कर रहे हो, हर एक दिन कुछ न कुछ घटनाओं का उल्लेख है जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों के साथ में दुर्व्यवहार न किया हो, पिटाई न की हो, ऐसी घटना कहीं न कहीं होती रहती है और उस पर माननीय नेता जी ने खुद दुख जताया, चेतावनी भी दी, एक उपलब्धि यह है मान्यवर। इन उपलब्धियों के बाद तो हमें कम से कम यह सोच लेना चाहिये था कि हम आज उपलब्धि गिनाये या आत्मचिन्तन करें कि पौने दो साल में हमने इस प्रदेश को कहां तक तबाह कर दिया।

आगे बताऊं मान्यवर, आज बहुत बड़ी उपलब्धि है रिकार्डतोड़ अधिकारियों के तबादले। एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, हजारों अधिकारियों के तबादले किये, तबादले होते अगर गुण-दोष के आधार पर, तो मैं सरकार को बधाई देता। लेकिन तबादले हुये केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिये, या कुछ अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिये, या कुछ ईमानदार अधिकारियों को दंडित करने के लिये। तबादलों का आधार केवल यह रहा कि गुण-दोष के आधार पर तबादले नहीं हुये, अगर इस आधार पर तबादले हुये होते और जिन अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, उनको शाबासी दी गयी होती तो निश्चित रूप से प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार आया होता। आज डी0एम0 हटाये जा रहे हैं, दो-दो महीने में हटाये जा रहे हैं, कहीं-कहीं पर दो साल में भी नहीं हटाये जा रहे हैं, कहीं एस0पी0 15-15 दिन में हटाये जा रहे हैं देखा जा रहा है कि कौन काम आयेगा कौन नहीं आयेगा। मान्यवर, अगर आप जांच करा लें तो कम से कम 50 से लेकर 60 तक पत्र ऐसे होंगे जो कार्यकर्ताओं ने लिखे होंगे और कार्यकर्ताओं के लिखने के आधार पर बड़े-बड़े अधिकारियों को हटा दिया गया। कैसे उनका मनोबल रहेगा, कैसे वह जनता की चिन्ता कर पायेंगे, कैसे कानून-व्यवस्था की चिन्ता कर पायेंगे जब उनके ऊपर हमेशा तबादले की तलवार लटकी रहेगी। मान्यवर, एक उपलब्धि यह भी ऐसी है इसका भी उल्लेख होना चाहिए। अभी आपने छात्रों के लिए बहुत कुछ बातें आपने कही, लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का बजट भी आपने प्रावधानित किया लैपटॉप बांटने के लिए। मान्यवर, लैपटॉप तो दो हजार रुपए में भी कोई खरीदने वाला नहीं मिलता, बहुत से छात्र घूम रहे हैं बेचारे बेचने के लिए यदि कुछ पैसा मिल जायेगा तो उससे काम ले लेंगे। लैपटॉप तो बांटे, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी छात्रों के प्रवेश की भी क्या आपने व्यवस्था की। जिन लोगों ने बारहवीं कक्षा या इण्टर पास कर लिया, उनमें से क्या यह सही नहीं है कि 60 से लेकर 65 प्रतिशत बच्चे आज प्रवेश से वंचित हैं। क्या होगा उनका, या तो वह प्राईवेट में फार्म भरेंगे और प्राईवेट में फार्म भरने के बाद उन्हें नौकरी के लिए तो कोई पूछने वाला है नहीं। शिक्षण संस्थाओं में आपने सीट बढ़ाई नहीं और वह छात्र आज घूम रहे हैं तड़पते हुए और घूम कर थक गये हैं, क्या करेंगे, उनका जीवन आज रह क्या गया है, क्या यही उपलब्धि है सरकार की, जिसकी आप गिनती करा रहे हैं कि पौने दो साल में आपने इतना कुछ कर दिया है। मान्यवर, अभी भाषण में सुपर स्पेशिलिटी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख किया और इसमें उसके जनपद भी लिखे हुए हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी, आप जब करायेंगे तो आपको धन्यवाद देंगे। आज अस्पतालों की हालत क्या है, जो सामान्य अस्पताल हैं। क्या कभी समीक्षा की गई इस बात की कि वहां पर डॉक्टर हैं या नहीं। जो ग्रामीण अंचलों में पी0एच0सीज0

हैं वहां डॉक्टर हैं ही नहीं। मान्यवर, मैं आपको दिखा दूं चलकर जो अपने आपको बहुत सम्पन्न जनपद कहते हैं, यदि वहां पर मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का भ्रमण करा दूं तो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी-बड़ी घास खड़ी है वहां की छतों पर, जहां पर आप सुपरस्पेशियलिटी सुविधा देने की बात कर रहे हैं जहां मुफ्त दवाएं देने की बात कर रहे हैं। अगर वहां पर 50 रुपए की दवा मिल जाए और किसी भी मर्ज की दवा मिल जाए तो मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा, सदन से क्षमा मांग लूंगा। स्थिति तो आपकी यह है, सामान्य आदमी, कॉमन आदमी गांव का रहने वाला गरीब आदमी उन पर निर्भर करता है। पैसे वाले के लिए तो बहुत सुविधाएं हैं वह तो एम्स में भी चला जायेगा, अपोलो में भी चला जायेगा, वेदान्ता में भी चला जायेगा लेकिन गरीब आदमी कहां जाएगा, गरीब आदमी तो केवल उन्हीं पर आधारित है, वहां क्या किया आपने। सुपरस्पेशियलिटी सुविधाएं बना दिया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन जो सामान्य सुविधाएं हैं, डॉक्टरों की मौजूदगी, कम्पाउन्डर की मौजूदगी और सामान्य मर्जों की दवाएं उपलब्ध करा दें।

मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा अगर इतनी बात हो जाती है। हम लोग जन-प्रतिनिधि हैं जब हम गांव जाकर उनकी स्थिति देखते हैं, गांव वाले कहते हैं कि दो महीने से डॉक्टर नहीं है, यह सब क्या हो रहा है। भूल गये, पुरानी बात हो गई, इस बार डेंगू का प्रकोप कैसा हुआ। सभी जन-प्रतिनिधि बैठे हैं वह इस बात के साक्षी होंगे, मैं गांव गिना सकता हूं, एक छोटा सा गांव बधेन है बधेन शामली जनपद में, वहां 50 आदमी मर गये और एक परिवार में हम बार-बार जाते थे, सुरेश राणा जी के क्षेत्र में पड़ता था, ये बार-बार जाते थे। मान्यवर, जब मैं गया तो मुझे बताया गया कि इस परिवार के एक आदमी की लाश मरने के बाद आई तो उसे कोई लेने वाला नहीं था क्योंकि जो परिवार के बाकी सदस्य थे वह डेंगू से पीड़ित होने के कारण पहले से अस्पताल चले गये थे। कोई सुविधा नहीं, जिला अस्पताल में नाममात्र की भी सुविधा नहीं। लोग जमीन बेच करके, जमीन गिरवी रख करके, उधार ले करके पानीपत, करनाल, दिल्ली भाग रहे हैं। इस जनपद को, इस प्रदेश के सामान्य आदमी के लिए कम से कम सुविधाओं की आवश्यकता थी कि डेंगू के मरीज को कहीं भागना न पड़े। प्राईवेट डॉक्टर मरीज के पहुंचते ही सबसे पहले 25 हजार रुपए जमा कराता है, हर एक के पास है क्या 25 हजार रुपया जमा करने के लिए। क्या आपने कभी इस बात की समीक्षा की कि इतने लोग डेंगू से मर रहे हैं। मैंने मान्यवर, सी0एम0ओ0 को फोन किया गांव में जाकर क्योंकि वहां पूरी तरह से गन्दगी फैली थी, मैंने कहा कि स्प्रे तो करा दो। उसने कहा कि स्प्रे कहां से करा दूं, स्प्रे की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये चीजें हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं, साधारण आदमी से जुड़ी हुई हैं, इधर आपका ध्यान नहीं गया। टेक्निकल आधार पर बहुत अच्छे-अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके सुपर स्पेशियलटी, स्पेशियलटी का आविष्कार करके हम अपने आपको भी धोखा दे रहे हैं और प्रदेश को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। आगे चलें थोड़ा सा। यह निःशुल्क आवास की बात आप कर रहे हैं, जो आवास बन रहे हैं कहीं तो आप एक-आध जिलों में जाते भी होंगे। बाहर के जिलों में जाईये, आवास बने हैं उनका भ्रमण कर लीजिए। लोगों को डर है कि पहली बारिश में छत न बैठ जाये क्योंकि जितना पैसा उसमें देना चाहिए वह दिया नहीं गया, जो दिया गया उसमें से फिर कमीशन खाया जा रहा है। गरीब लोग आज वहां जाने को तैयार नहीं हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं कि मेरे जिले में जो आवास बने थे अभी तक खाली पड़े हैं इसलिए कि उनमें रहने की स्थिति नहीं है। मान्यवर, आगे आपने कहा खासतौर से सिंचाई के बारे में उल्लेख किया और बार-बार उसकी बाहर से तुलना

करते हैं, अन्य राज्यों से भी तुलना करते हैं कि वहां किसानों की हालत क्या है ? हमने तो किसानों को मुफ्त सिंचाई दे दी। कितने किसानों को दिया आपने मुफ्त सिंचाई ? आपके इसी अभिभाषण में है, श्री राज्यपाल जी ने अपने-आप माना इस अभिभाषण में कि 78 प्रतिशत सिंचाई की सुविधा निजी नलकूप पर निर्भर है आगे 22 प्रतिशत ही तो बचे। 78 प्रतिशत को क्या आपने कोई सुविधा दी, उनको फ्री सिंचाई दी क्या आपने ? तो कितनों को आपने दे दिया फ्री सिंचाई ? केवल उनको जो कथित रूप में नहर पर निर्भर करते हैं 10 प्रतिशत और 10 प्रतिशत किसानों का पानी माफ करके, वह भी कभी नहर में पानी आता है कभी नहीं आता। हम सोचते हैं कि हमने किसानों का बहुत बड़ा उपकार कर दिया। आपने कृषि विकास दर की बात कही और उसमें भी आपने वाहवाही लूटने का काम किया, 5.1 प्रतिशत कृषि विकास का लक्ष्य है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना जो अब चल रही है उसमें आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और यह पंचवर्षीय योजना 2017 तक चलेगी। 2017 में आप प्राप्त कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगें वह तो अलग बात है लेकिन आज मैं अगर आपसे यह कहूं कि हम 5.1 प्रतिशत इस बारहवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्ति पर प्राप्त कर पायेंगें तो आप बराबर के प्रदेशों को देख लीजिए न। मध्य प्रदेश में 7.1 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 7.2 प्रतिशत, राजस्थान में 6.5 प्रतिशत उन्होंने कैसे प्राप्त कर ली। मान्यवर, जब आप बिजली की और सिंचाई की बात करते हैं आपने आगे की योजना बनायी है कि आगे चल करके हम 16 घण्टे देहाती क्षेत्रों को बिजली देंगे। आज मैं अगर यह कहूं, आप अन्यथा न लें मान्यवर, मध्य प्रदेश में किसान को 24 घण्टे बिजली मिल रही है, छत्तीसगढ़ में 24 घण्टे बिजली, एक राज्य और है जिसका नाम नहीं लेता आप नाराज हो जायेंगे उसमें पहले से 24 घण्टे बिजली मिल रही है।

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा कि जितनी इच्छा हो बिजली लो। हम कहां पहुंच गये अब तक, यह सोचने की बात है। विकास दर एक बड़ा मिसनामर है। यह भी देखना है कि किसान को मौलिक सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है। जब यह मिल जायेगी, अगर आज किसान होने के नाते मैं यह कहूं कि मुझे नये कनेक्शन की जरूरत है ट्यूबवेल लगाना है, मिल जायेगा क्या ? नहीं मिलेगा। कनेक्शन बंद, टोटल बंद। नहर है नहीं, चकबंदी हो गयी, नया चक लग गया, कहां जायेगा वह किसान। आखिर क्यों ? इसमें आपको चिंतन करना चाहिए था कि आप खुद मान रहे हैं कि 78 प्रतिशत किसान केवल निजी नलकूप पर निर्भर करते हैं उसके पास वैकल्पिक व्यवस्था है नहीं तो वह कहां जायेगा। मान्यवर, सैकड़ों-सैकड़ों एप्लीकेशन पेंडिंग है सब जगह, टोटल बंद कर दिया गया कोई नया कनेक्शन नहीं मिल रहा है और खेती हो रही है और खेती की विकास दर को बढ़ाने की बात हो रही है। मान्यवर, आगे थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा आपका जो मेरी अपनी सोच की बात थी एक आपने ब्याज की दर 3 प्रतिशत करने की बात कही और वाहवाही लूट रहे हैं आप। वह राज्य कैसे 1 प्रतिशत ब्याज पर दे रहे हैं हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो हम क्यों नहीं हैं। हम इस प्रदेश के रहने वाले हैं हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं। वह एक प्रतिशत पर ऋण दे रहे हैं। ऐसे आधा दर्जन राज्यों के मैं नाम गिना सकता हूं। जो एक प्रतिशत पर ऋण दे रहे हैं और आगे उनकी योजना यह है कि जीरो प्रतिशत पर ऋण देंगे। हमारी भी तो यही सोच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश जो कृषि प्रधान प्रदेश है हम क्यों तीन प्रतिशत की बात सोचकर गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने बहुत कुछ किसान के लिए कर दिया। हालांकि यह तीन प्रतिशत भी अभी है नहीं है तो वही जो अब तक था अभी किसान की लुटाई ज्यों की त्यों हो रही

है। मान्यवर, आपने डेरी उद्योग की बड़ी चर्चा की एक पीड़ा है। डेरी उद्योग को विकसित होना चाहिए किसान के पास खेती के साथ-साथ कुछ और आमदनी के साधन होने चाहिए और सबसे आसान बात डेरी है लेकिन आपकी सोच बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गई आप कम्प्यूटर में ज्यादा उलझकर रह गए आपके पड़ोस में गजरिया फार्म है एक आदर्श फार्म है वह जहां पर न जाने कितने काम खेती से सम्बंधित होते थे उसका कुछ क्षेत्रफल किसी सरकार ने ले लिया आगे आप कुछ और वहां पर लगाने की सोच रहे हैं और डेयरी को विकसित कर रहे हैं। डेयरी को खत्म कर रहे हैं और डेयरी विकसित हो रही है। कहीं नई जमीन आप एक्वायर करेंगे जो जमीन है वह तो रखेंगे नहीं उन पर तो काम होगा नहीं उनका विकास होगा नहीं और डेयरी का विकास हो जाएगा। डेयरी के विकास की इस प्रदेश में बहुत बड़ी गुंजाइश है। थोड़े दिन मैंने भी इस विभाग को देखा है आपको याद दिला दूं कि जब नेता जी थे तो मैंने नेताजी से पूछकर बात की इटावा में भैंसों की नस्ल का फार्म मैंने ही बनवाया था क्योंकि वह क्षेत्र ऐसा है जहां एक विशेष प्रकार की भैंस वह इनकी वाली भैंस से कई गुना अच्छी है। यह तो विक्टोरिया की बात करते हैं मैं विक्टोरिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कि एक विशेष वंश है जिसका फैट भी 8 प्रतिशत से ऊपर है मैंने मुर्रा नस्ल के लिए मेरठ चयनित किया इसी तरह से गाय के लिए अलग क्षेत्र चयनित किये गए ताकि इनका विकास हो आपने अब तक क्या किया ? पौने दो साल हो गए बताएं आपने क्या किया सदन को बताएं कि आपने क्या किया इस दिशा में खाली लिखने मात्र से काम नहीं चलता है उस पर अमल भी तो होना चाहिए। हां आपने एक बात कही कि अमूल यहां आकर काम करेगा पराग खत्म होगा। अपनी संस्था बरबाद इस संस्था में थोड़ी दिलचस्पी ले लेते तो अब तक यह गांव-गांव पहुंच गई होती हमने गांव-गांव तक पहुंचाई सोसायटी बनवाई। दूध की सप्लाई बढ़ाकर कहीं से कहीं ले गए। ऐसा भी समय था कि मुरादाबाद से एक टैंकर की पूरी की पूरी ट्रेन कलकत्ता जाती थी दूध लेकर। ऐसा इस प्रदेश में किया दिल्ली को मेरठ फीड करता था लेकिन जब उसकी उपेक्षा हुई किसी ने ध्यान नहीं दिया तो आज वह केवल प्रोसेसिंग प्लांट होकर रह गए आज मदर डेयरी का दूध मेरठ में प्रोसेसिंग हो रहा है उत्तर प्रदेश का दूध नहीं रहा यह सोचने की बातें हैं इस पर बहुत कुछ गुंजाइश है काम हो सकता है। आपने शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे बिजली देने की बात कही लेकिन जो नए बिजलीघर निर्माणाधीन थे 33/11 के उपकेन्द्र आप समीक्षा कर लें 90 प्रतिशत पर आज काम रोक दिया गया पूछते हैं कि क्यों काम रोक दिया गया तो बताया जा रहा है कि 6 महीने से काम नहीं हो रहा है। कारण यह है जो अधिकारियों ने बताया कि बिजली विभाग के पास पैसा देने के लिए नहीं है ठेकेदारों ने बीच में काम छोड़ दिया यहां तक कि जिनका निर्माण सरकारी एजेंसी के पास था निर्माण निगम के पास था उन्होंने भी इस कारण से काम बन्द कर दिया कि पैसा नहीं मिल रहा है।

आप आगे की योजना बना रहे हैं शहर में बिजली देने की गांव में बिजली देने की लेकिन बिजलीघर की हालत यह है कि डेढ़ साल से पौने दो साल से बहुत से बिजलीघर कोई जनपद नहीं होगा मैं तो अपने जनपद की कह रहा हूं 6 बिजलीघर के बारे में मुझे पता है कि डेढ़ साल से काम बन्द है। हर जगह यही स्थिति है। यह इसलिए मैंने गिनवाया क्योंकि आपने कहा था कि हमें फख्र है जो काम हमने इतनी अल्प अवधि में कर दिया लोग पांच साल तक नहीं कर पाए वास्तव में पांच साल क्या हम बीस साल में यह सब नहीं कर पाएंगे जितना आपने कर दिया और न करें तो ही अच्छा रहेगा। मान्यवर, एक्सप्रेस-वे का बहुत जिक्र आया, बड़ा उस पर

बल दिया गया। 6 लेन के 270 किमी0 एक्सप्रेस-वे के निर्माण का वायदा पूरा करने की बात है। मुख्य मंत्री जी एक बार मेरे आग्रह पर मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लें। दिल्ली यमुनोत्री मार्ग है। दिल्ली देश की राजधानी है। यमुनोत्री ऐतिहासिक स्थान है। वह मार्ग है, बहुत पुराना मार्ग है, राज्य मार्ग है। क्या यह सम्भव है ? यमुनोत्री तक तो जाने में बहुत समय लग जायेगा। आप दिल्ली से सहारनपुर तक चले जायं कार से, हैलीकॉप्टर से नहीं और आपका जो अनुभव हो तो जब आप पुस्तक लिखेंगे तो उस पुस्तक में उसका उल्लेख जरूर कर दीजियेगा। कितने गड्ढे थे उस मार्ग पर। आपकी गाड़ी जब गड्ढे में जाती थी तो पिछला पहिया उसमें जाता था अगला कितना ऊपर उठ जाता था। अगला पहिया जाता था तो पिछला पहिया कितना रह जाता था। आज वह मार्ग पिछले डेढ़ साल से गड्ढ़ों में तब्दील होकर यातायात के लिये अवरुद्ध होकर रह गया। मान्यवर, खटीमा उत्तराखंड में है, पानीपत हरियाणा में है। पानीपत-खटीमा मार्ग पर चलकर देख लीजिये। मैंने कल बहुत कोशिश की, जब यहां आ रहा था, मैंने सोचा मैं खुद भी अनुभव करके देख लूं। उठने लायक नहीं रहा जब घर तक पहुंचा। आप एक्सप्रेस-वे बना रहे हैं 6 लेन का। जब एक लेन की दो लेन की हालत तो देख लीजिये कि क्या है। किसान तो इन्हीं पर चल रहा है। आप एक कल्पना कीजिये, दोनों ओर शुगर मिल हैं। जो किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आता होगा, बोगी लेकर आता होगा इन सड़कों के ऊपर उसके पशुओं पर क्या गुजरती होगी, उसके ट्रैक्टर पर क्या गुजरती होगी, उसकी बोगी पर क्या गुजरती होगी, और जो ट्रकों पर आते हैं उसके ट्रकों पर क्या गुजरती होगी इसका अनुमान लगा लें जरा सा। मान्यवर, अभी तक पौने दो साल में इतना भी नहीं कर पाये। आगे की तो आपने बता दी योजना कि हम यह करायेंगे लेकिन पौने दो साल में निर्माण कितना हुआ ? एक यमुना एक्सप्रेस-वे की बात थी कभी। हम भी अखबार में पढ़ते रहते थे। अगर कोई नक्शा पास करायेगा तो आपत्ति लग जायेगी कि यहां के पास से एक्सप्रेस-वे बनना है, यमुना एक्सप्रेस-वे बनना है। मान्यवर, 6 साल हो गये सोचते सोचते। 5 साल तो सरकार पूरी करके चली गई। पौने दो साल के करीब इनको भी हो गये आये हुए। दो साल के करीब होने वाले हैं। एक इंच भी काम नहीं हुआ इस पर। आगे के तो एक्सप्रेस तो जब बनेंगें तब देखे जायेंगे। जब आपकी योजनाओं का यह हाल है, उनकी प्रगति का यह हाल है कि केवल कागजों में योजना बनकर रह जाती है। अधिकारी नियुक्त हो जाते हैं, तनख्वाह लेते रहते हैं लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं होता। इसकी समीक्षा तो हर जगह होती है, आपको भी करनी चाहिए कि क्यों नहीं शुरू हुआ निर्माण कार्य। कौन जिम्मेदार है इस बात के लिये। मेरे ख्याल से पैसे की भी कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पैसा भी उपलब्ध रहता है इसके लिये क्या सारे का सारा पैसा गया लैपटाप में। कुछ तो बचा होगा उसमें। हां, मान्यवर, यह अल्पसंख्यक समुदाय को न्यायोचित हिस्सा दिलाने के लिये 85 कल्याणकारी योजनाएं चलाने की बात है। उसमें एक योजना यह भी है, अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना। बाकी तो जितने स्कूल थे उत्तर प्रदेश के, सबका आधुनिकीकरण हो गया। यहां के जूनियर हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट हैं, यहां के प्राइमरी स्कूल हैं सबका आधुनिकीकरण हो गया। अरबी और फारसी के जो मदरसे हैं मान्यवर, उनमें मजहबी शिक्षा दी जाती है, दी जानी चाहिए। वह अपने अनुसार चलते हैं।

अपने अनुसार चला भी रहे हैं वह, क्योंकि मज़हबी शिक्षा का आधार हैं वह। आपने कहा कि उनका आधुनिकीकरण करेंगें हम। आधुनिकीकरण आप उर्दू का करेंगे, फारसी का करेंगे। मदरसे तो उनके ही हैं, वह चला रहे हैं, उन्हीं के मौलवी पढ़ा रहे हैं वहां पर। न तो मौलवियों के

आधुनिकीकरण की आवश्यकता है क्योंकि वह भी नियमों से पढ़कर आये हैं। अरबी भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं। बिल्डिंग भी उनकी है ही। आप ज्यादा से ज्यादा कम्प्यूटर वहां पर लगा देंगें। यही आधुनिकीकरण की परिभाषा आजकल है। जो अपने आपके सरकार के स्कूल हैं उनका क्या किया आपने ? किसी में छत नहीं, किसी में हास्टल नहीं। हमारे चौधरी साहब बैठे हैं, मैं बहुत प्रशंसा करता हूं इनकी। लेकिन इनके भी बस की बात नहीं है। हर तीसरे महीने अखबार में आयेगा, 15 हजार अध्यापक लिये जायेंगे, 20 हजार अध्यापक लिये जायेंगे, कभी 25 हजार अध्यापक लिये जायेंगे। मान्यवर, अगर इस गिनती से अध्यापक लिये गये होते तो आज छात्रों की जगह पर आज अध्यापक होते वहां पर (हंसी) अध्यापक का तो नाम भी नहीं है वहां पर। मैं चौधरी साहब आपको सही बता रहा हूं। चौधरी साहब आपकी मजबूरी होगी, जब अध्यापक वहां नहीं हैं तो आधुनिकीकरण की क्या बात रहेगी ? आधुनिकीकरण आप किस बात का करेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, जब से यह सरकार बनी है सबसे पहले शिक्षा में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। हमने लगभग 28 हजार शिक्षक भर्ती कर लिए है।

(मेजें थपथपाई गईं)

29 हजार विज्ञान और गणित के टीचर का न्यायालय में स्टे है। 10 हजार के लगभग विशिष्ट बी0टी0सी0 को निकाला वह न्यायालय में स्थगित है। 72 हजार 825 का निकाला वह न्यायालय में स्थगित हैं, हिन्दुस्तान में किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ, मा0 मुख्य मंत्री जी ने लगभग एक लाख 66 हजार शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षा अध्यापक बनाने का निर्णय लिया।

(मेजें थपाथपाई गईं)

शिक्षक भर्ती हो जाएंगे लेकिन हम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं हमारी मंशा है हम कर रहे हैं मास्टरों के कारण कहीं पढ़ाई भी बाधित नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

अभी जब आप बोल रहे थे तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी मेज थपथपाऊं, लेकिन मेरे मन में पीड़ा होती है जब मैं गांव में जाता हूं आप भी जाते हैं और वहां खड़े होकर लोग कहते हैं कि स्कूल का क्या है केवल एक शिक्षा मित्र यहां लगा रखा है एक भी मास्टर यहां पर नहीं है। मैं आपको यहीं बैठे-बैठे दो दर्जन स्कूल की लिस्ट दे सकता हूं लेकिन उसके लिए बीच में लिखने के लिए रुकना पड़ेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

दो शिक्षा मित्र और एक मास्टर हैं।

श्री हुकुम सिंह-

टीचर एक भी नहीं है हमारे लोग आपको लिखकर दे देंगे। शिक्षा मित्र के आधार पर स्कूल चल रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, एक आपके मुजफ्फरनगर में टेस्ट हुआ, डी0एम0 और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सर्वे कराया जितने पब्लिक स्कूल थे जितने प्राइमरी और सरस्वती शिशु मंदिर, निजी स्कूल थे दस बच्चों का टेस्ट कराया उसमें आठ प्राइमरी स्कूल के लड़के पास

हुए, तो कैसी बात करते हैं आप, आप केवल आलोचना करते हैं ? यह सही है कि टीचर की कमी है लेकिन ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें एक भी टीचर न हो और शिक्षा मित्र हों।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह बात तो मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूं कि इनके प्रयास में कोई कमी नहीं है यह समाजवादी विचार धारा के हैं, समाजवादी संस्कारों के हैं। कोशिश करते हैं, आपने बताया कि कोर्ट से स्टे हो गया हैं लेकिन मैं गांव में जाकर बताऊंगा कि कोर्ट से स्टे हो गया तो मेरी बात कोई थोड़े ही मानेगा, भई, स्टे होगा तो आप जानो, हमें तो सुविधा चाहिए। हम लोग इस तर्क के पीछे आकर नहीं खड़े हो सकते कि किसने स्टे दिया, हमारी सरकार है हमारी सरकार की जिम्मेदारी यह है कि प्राइमरी स्कूल में या जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक होना चाहिए। अब कोर्ट से स्टे हो गया तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था आप करें। आप कान्ट्रैक्ट पर रखें लड़के बेकार घूम रहे हैं। आप दस हजार में टीचर रख लीजिए ऐसे आप बीस हजार में रखते हैं इसमें कोर्ट क्या करेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है हुकुम सिंह जी, इस पर हम सबको चिन्तित होना चाहिए। आपने एक प्रश्न रखा जो बहुत ही वाज़िब और बहुत सच्चा है अध्यापकों की तादाद होनी चाहिए। उधर से सरकार का पक्ष आया कि न्यायालय से रोक लगी है। लोग पी0आई0एल0 में जाते हैं आमतौर से देखा यह गया है कि टीचर ही टीचर के खिलाफ जाता है एक संस्था दूसरी संस्था के खिलाफ जाती है हमारी यही न्यायिक व्यवस्था है यही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस पर हमें गम्भीरता से सोचाना चाहिए और सदन से संदेश जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में जाहिर है कि जब टीचर नहीं रखे जाएंगे, अदालतों से स्टे हो जाएंगे तो नुकसान तो देश का होगा। तो नुकसान तो देश का हो रहा है, विकास रूक रहा है, प्रगति रुक रही है तो इस पर किसी न किसी मौके पर या अभी भी, मंत्री जी भी हैं, आपकी भी पीड़ा सामने आयी, सदन के और प्रदेश के सामने भी आयेगी और आपका यह बड़ा वाजिब सवाल भी है और जवाब भी है कि आम आदमी इसे नहीं जानता। आम आदमी यह नहीं जानता कि हाई कोर्ट ने किस ग्राउण्ड पर स्टे किया है, वह यही कहता है कि यह तो आपकी समस्या है, आप जानिए, मुझे तो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मास्टर चाहिए। तो क्या ऐसा रास्ता हो कि माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान भी ऊंचा रहे। यह लाल बत्ती का सवाल थोड़े है। यह तो बच्चों की शिक्षा का सवाल है, इस पर कोई संजीदा निर्णय या संजीदा विचार होना चाहिए और कोई रास्ता निकलना चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह बहुत अहम मसला है, जब से आई0टी0 एक्ट लागू हुआ है, तब से मेरे जैसे आदमी को लगता है कि प्राथमिक शिक्षा को बावला बनाने का प्रयास किया गया है। 1 से 8 तक कोई परीक्षा नहीं होगी, आर0ई0टी0 एक्ट के अन्तर्गत, आर0ई0टी0 एक्ट के अन्तर्गत बिना टी0ई0टी0 किए कोई मास्टर नहीं होगा। हमने पहले ही 10 हजार रुपये पर एडहॉक मास्टर रखने का विचार किया था लेकिन हमारे प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन ने कहा कि आर0ई0टी0 एक्ट में यह प्राविधान है कि बिना ट्रेंड टीचर को आप नहीं रख सकते हैं। हम तो रखना चाहते हैं लेकिन

उधर केन्द्र सरकार से बाधित हैं, उधर मा0 न्यायालय से जो स्टे है, उससे बाधित हैं, पीड़ा हमको भी है क्योंकि हम तो ऐसे स्कूल में पढ़े हैं, पेड़ और बगीचे में पढ़े हैं लेकिन जो आर0ई0टी0 एक्ट लागू हुआ है, वह प्राथमिक स्कूल को बिल्कुल मजदूर बनाने के लिए, बाध्य करने के लिए आर0ई0टी0 एक्ट है। मैंने शिक्षा सलाहकार बैठक में दो-दो, तीन-तीन बार इस बात को कहा कि प्राथमिक शिक्षा जब तक मजबूत नहीं होगी, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मजबूत होने का कोई सवाल ही नहीं है और 1 से 8 तक कोई बच्चा इसलिए नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि जब 1 से 8 तक परीक्षा ही नहीं होगी तो बच्चा क्यों बढ़ेगा। यहां पर कांग्रेस के नेता, माथुर जी हैं, इनसे भी मैंने कहा कि आर0ई0टी0 एक्ट से इन चीजों को खत्म कराओ, जब परीक्षा नहीं लोगे तो पढ़ाई भी नहीं होगी। तो आर0ई0टी0 एक्ट में इस मुद्दे को खत्म करना पड़ेगा कि 1 से 8 तक कोई परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा दिए ही लड़के ऊपर की कक्षाओं में चले जायेंगे और इसको आर0ई0टी0 एक्ट में हाई स्कूल तक ले जाने का प्राविधान है। तो हमारी तो यह कठिनाई है। सदन पास कर दे कि इन सबको दरकिनार करके टीचरों की एडहॉक नियुक्ति कर ली जाए, मैं परसों से करने लगूंगा। सदन इसको पास कर दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आम जनता से सम्बन्धित जितने भी प्रकरण हैं, उन पर सदन बंटा हुआ नहीं है। आप प्रस्ताव लाते। मुझे विश्वास है, नेता प्रतिपक्ष भी यहां बैठे हुए हैं, सभी सदस्य इसका स्वागत करेंगे। आप प्रस्ताव लाइये तो सही क्योंकि सरकार में तो आप हैं, यह तो आपका काम है मैंने तो आपका ध्यान आकर्षित किया, किसी आलोचना के लिए, कमी निकालने का इसमें कम आशय है, लेकिन मैंने सन्दर्भ दिया कि प्रदेश में ऐसी हालत हो रही है। अब तो प्राइवेट स्कूलों में भी हो गया है, सीबीएसई वालों ने भी कह दिया है कि हाईस्कूल तक परीक्षा की कोई जरूरत ही नहीं है, घरेलू स्तर पर ही बैठ करके परीक्षा ले लो। शिक्षा का सत्यानाश तो हो ही रहा है लेकिन उसको रोकना हमारा काम है। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में ऐसे विद्यालय पनप गए हैं, जहां विज्ञापन दे करके, ठेका दे करके नकल कराई जाती है। क्या यह किसी की जानकारी में नहीं है ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, एक लड़का 85 परसेण्ट वाला बी0ए0 में एडमिशन लेना चाह रहा था, मैं हकीकत बता रहा हूं, प्रिंसिपल ने कहा कि कहां से पास किया है, वह अपने स्कूल का नाम नहीं बता पाया। वह प्रिंसिपल गवर्नमेण्ट डिग्री कालेज के हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कालेज के हों। उन्होंने मुझे कोई 10 दिन पहले बताया कि मैंने कहा कि उस कालेज का नाम लिखकर दे दो, वह नाम नहीं लिख पाया, वह लड़का 85 परसेण्ट वाला है। मैंने एक का जिक्र किया है लेकिन मान्यवर, ऐसी दर्जनों संस्थाएं पनप गयीं, जहां पर अलग-अलग रेट हैं, नकल कराने का रेट अलग है और उसकी जगह दूसरा बैठ जायेगा, उसका रेट अलग है, तो इसकी व्यवस्था कौन करेगा ? व्यवस्था तो सरकार ही करेगी। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जितना ध्यान उधर दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया। अगर हम उधर ध्यान नहीं देंगे तो हम आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। उनको अगर हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम किसी तरह से पास हो जाओ, नम्बर बढ़वा कर ले लो आगे तुम्हारा कुछ हो जाएगा तो हम लोग उनका कैरियर चौपट कर रहे हैं। यह उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। मान्यवर, डिग्री कालेज में स्थिति यह है कि चाहे वह ऐडेड हो या सरकारी हो, आप ग्यारह या साढ़े ग्यारह बजे पहुंचे अगर आपको कोई क्लास होती मिल जाये। यह सामान्य बात हो गयी है। हमें यह बीमारी है हम कभी-कभी चले जाते

हैं। क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से डिग्री कालेज की स्थापना करवायी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कालेज है। सरकारी है। ऐसे ही देखने के लिए कि देखें भई क्या स्थिति है यह बड़े अरमानों से बनवाया था। साढ़े ग्यारह बजे पहुंच गये। धूप में हमारे सारे गुरूजन बैठे, हमारे बीच में इतनी सारी मूंगफली रखी। मैंने कहा कि क्या आज छुटटी है। तो बोले नहीं आज छुटटी नहीं है। क्लास क्यों नहीं है, बच्चे नहीं आते ? दो-चार बच्चे बाहर घूम रहे थे तो मैंने कहा कि क्लास क्यों नहीं है। बोले आते हैं ऐसे ही घूमकर चले जाते हैं यह पढ़ाते ही नहीं हैं। तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बहुत खराब हालत हो गयी है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम अपनी पीढ़ी के साथ जो होना था वह हो गया लेकिन अगली पीढ़ी के साथ हमें न्याय करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे तीनों विभागों के मंत्रीगण हैं, मुख्य मंत्री जी हैं, आप हैं। कभी बैठकर चिंतन कर लीजिए कि इसको कैसे सुधारा जाये। इनकी जिंदगी से खिलवाड़ न करें।

हम देखें कि उत्तर प्रदेश बाकी संस्थाओं में कहां खड़ा हुआ है। दुर्भाग्य तो देश का भी है। विश्व की 100 संस्थाओं में भारत की एक संस्था भी नहीं है। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये और मैं उम्मीद करता हूं कि ध्यान देंगे। आपने अभिभाषण में बल दिया कि प्राकृतिक जल संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करने हेतु भूमि अधिग्रहण की बाधाओं को दूर करना। जल संसाधन के लिए आप तालाब बनवायेंगे ताकि वहां पर पानी इकट्ठा हो। भूगर्भ में पानी की व्यवस्था हो। भूमि अधिग्रहण की तो सोच ली लेकिन वर्तमान में जो तालाब हैं। क्या यह सही नहीं है कि हमारे अधिकारी आज इस लेवल तक पहुंच गये कि उनको पैसा दे दो और किसी तालाब पर जाकर कब्जा कर लो। मान्यवर, कालोनी बन रही है, मकान भी बन रहे हैं और शिकायत कर दीजिए कोई सुनने वाला नहीं है। और यह चिंता आप से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्ट रूप से आदेश दिये कि इनका सर्वेक्षण किया जाये इनकी सूची दी जाये लेकिन हमारी यह जो सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की फौज है जब यह काम नहीं करेगी तो सारी संस्थायें बेकार हो जायेंगी उसमें हमारा विधान सभा हो, विधान मण्डल हो या न्यायालय हो, हमारा राजनीतिक तंत्र हो या न्यायालय का तंत्र हो, मान्यवर, मैंने तो आपके सामने इस बात का इशारा किया कि बजाये आप सोचें कि आप आगे व्यवस्था करेंगे, भूमि का अधिगृहण करेंगे उसके कानून का सरलीकरण करेंगे, हम जो मौजूदा व्यवस्था है उसको तो संभाल लें। कब्जे हो रहे हैं। ऐसे-ऐसे तालाब कि उसमें सारे गांव का पानी समा जाता था। लोगों ने घेर लिये और बड़े वैज्ञानिक तरीके से घेरते हैं। शुरू में उसमें गंदा डालेंगे, फिर आगे बढ़ायेंगे, फिर मकान बनायेंगे, फिर लेखपाल का नोटिस आएगा, फिर तहसीलदार साहब को खुश करना पड़ेगा वह खुश नहीं हुए तो एस0डी0एम0 साहब को खुश करना पड़ेगा। जमीन हो गयी, गया तालाब और गांव बर्बाद। इस तरफ ध्यान देने की बात है। मान्यवर, थोड़ा सा मैं कुछ घटनाओं के बारे में ध्यान देना चाहूंगा। अभी निघासन के विधायक जी ने जिक्र किया। 13 फरवरी की बात है। रूपेद्र दीक्षित जी के दो मासूम बच्चे मोहित और रोचक 10 वर्ष और 8 वर्ष, अपहरण कर लिया। पुलिस में पहुंचे। पुलिस ने अगर सुन लिया होता तो शायद दोनों बच्चों की जान बच जाती, सुन कर के कुछ नहीं किया, वहां ढूंढों-वहां ढूंढो। मान्यवर दोनों बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई, गर्दन काट दी गई उन बच्चों की, इस निर्ममता के साथ, इस क्रूरता के साथ उनकी हत्या की गई कि देखने में भी शायद दिक्कत आ जाती। ऐसी घटनाओं का तो कम से कम हमें संज्ञान लेना चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए जिन्होंने

सूचना होने के बावजूद कोई प्रयास नहीं किया। मान्यवर, मैं अभी जनपद सहारनपुर में था, मुख्य मंत्री जी 22 तारीख की घटना है, आपका ध्यान चाहता हूं, 22 तारीख की घटना है, 22 तारीख में मा0 अध्यक्ष जी, यह जो कहते हैं कि साम्प्रदायिक दंगे, उन साम्प्रदायिक दंगों के मूल में भी जाना चाहिए। साम्प्रदायिक दंगे केवल वह नहीं है कि हम मस्जिद के ऊपर झगड़ा करेंगे, मन्दिर के ऊपर झगड़ा करेंगे तभी साम्प्रदायिक होगा, किसी घटना को लेकर के दो वर्गों के लोग हो जायेंगे उसी को साम्प्रदायिक रंग दे दिया जायेगा, चाहे साइकिल में पंचर की बात हो, रिक्शा का किराया न देने की बात हो, टैक्सी का किराया न देने की बात हो या किसी बालिका के साथ में बद्तमीजी करने की बात हो।

मान्यवर, 22 तारीख को मैं था सरसांवा थाना के क्षेत्र में सहारनपुर में, दो लड़की किसान परिवार की, बी0ए0 में पढ़ती हैं सहारनपुर में, रोजाना वह मोटर बाइक से दोनों जाती थीं अपने गांव में, झवींरन हैं उनका मान्यवर, साढ़े तीन बजे 22 तारीख को दो नालायक लोगों ने किसी भी सम्प्रदाय के चाहे वह हों, उनकी मोटर साइकिल गिराई, दोनों लड़की नीचे गिर गईं, फिर उनको घसीट कर के गन्ने के खेत में ले जाने की कोशिश की। मान्यवर, वह दोनों लड़कियां उनके साथ में संघर्ष करती रहीं और वह बदमाश आदमी उनको मारते भी रहे और गन्ने के खेत में ले जाने का प्रयास किया। मान्यवर मैं उन लड़कियों को उस बात के लिए बधाई देता हूं कि जान-जोखिम में डाल दी उन्होंनें लेकिन बराबर आध घण्टे तक संघर्ष उन बदमाशों के साथ में किया, उनके कब्जे में नहीं आईं, शोर मचाती रहीं, गांव के लोग आये, उन दोनों लड़कियों ने खुद उन दोनों बदमाशों को मजबूती के साथ पकड़ कर के गांव के लोगों को सौंपा, पुलिस को सौंपा। मान्यवर अगर वहां समझदारी न रही होती उन गांव वालों में, बदमाशों को तो पकड़ा क्योंकि दोनों-दोनों अलग सम्प्रदाय के हैं, मान्यवर तो दूसरा बवाल हो गया होता, दूसरी मुजफ्फरनगर की घटना हो गई होती। हम तक सूचना गई, हम खुद थाने में गये, मुकदमा उनका कायम कराया जा कर के और समझा कर के उनको घर भेजा मान्यवर, लेकिन एक आश्वासन मैंने दिया था कि दो बच्चे बी0ए0 क्लास की लड़कियां हैं, जिन्होंने इस बहादुरी के साथ में बदमाशों का मुकाबला किया, अपने सम्मान की रक्षा उन्होंने की। कम से कम प्रदेश सरकार की ओर से या केन्द्र सरकार की ओर से जहां बच्चों को इनाम मिलते हैं, उनकी सराहना होती है, मान्यवर कम से कम जिला प्रशासन से रिपोर्ट मंगा कर के उन दोनों लड़कियों को प्रोत्साहन दिया जाय ताकि उनका मनोबल भी बढ़ेगा और आगे भी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि हां प्रदेश सरकार ने एक अच्छा काम करके दिखाया यह मेरी आपसे गुजारिश है। मान्यवर, संक्षेप में अपनी बात मैं कहूंगा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता जी हैं जितना उन्होंनें कह दिया वह कम है। एक तो मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन अच्छा नहीं लगा ये भी कि सहारनपुर में मेडिकल कालेज बना, पूर्व सरकार ने बनाया, मा0 बहन मायावती जी के प्रयास से इसका निर्माण हुआ और उसका नाम मान्यवर कांशी राम जी के नाम से रखा गया, फिलहाल ऐसे सब महापुरुष जिन्होंने समाज को उठाने का काम किया, दलित, उत्पीड़ित की आवाज को उठाया, कांशीराम जी भी उनमें से एक हैं, उनका नाम बदल कर के आपने किसी और का नाम रख दिया, वह भी महापुरुष हो सकते हैं, होंगे हैं, उनकी भी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन अगर उनके लिए कुछ करना था आपको, तो दूसरा कुछ बनवा देते। आपने भी तो कुछ संस्था बनवायी हैं, उस संस्था में उनका नाम रख देते, लेकिन कांशीराम जी का नाम हटा कर के उनका नाम लिखवाना, यह न तो क्षेत्र के लोगों को अच्छा लगा और न लगना चाहिए

और मुझको मजबूर होकर मान्यवर आश्वासन भी देना पड़ा कि मैं आग्रह भी करूंगा मुख्य मंत्री जी से, मान जायेंगे तो ठीक है, सरकार तो अदलती-बदलती रहती है, फिर अगर सरकार बदलेगी तो नाम तो फिर वही होगा वापस, अब तो कह कर के आये हैं क्योंकि जब बनाया गया था उनके नाम से निर्माण कराया गया था, तो उनके नाम को नहीं काटना चाहिए था। मान्यवर, बाढ़ नियंत्रण की तरफ खासतौर से ध्यान देना होगा।

(सत्ता पक्ष की ओर से ''आपके तो उनसे पुराने रिश्ते हैं'' की आवाजें)

मान्यवर, रिश्ते तो हैं लेकिन इनसे ज्यादा नहीं हैं। हमारे तो रिश्ते हैं, ये रिश्तेदार हैं, बस थोड़ा सा फर्क इतना ही है। आपको रिश्ते जोड़ने में महारत हासिल है, हमें इतनी महारत हासिल नहीं है। मान्यवर, बाढ़ नियंत्रण के बारे में चर्चा हुयी इसमें। मुख्य मंत्री जी अभी 2013 में भयंकर बाढ़ आयी। बस हालत देखने लायक थी कि जैसे सब प्रशासन तंत्र हमारा बिल्कुल चौपट हो गया हो। मान्यवर, मैं खुद बाढ़ क्षेत्र के गांव में गया तो पता लगा कि पाल समाज के एक व्यक्ति का भेड़ पालन का काम है, उनकी 55 भेड़ें बाढ़ में आ करके एक खेत में ही मर गयीं। तीन दिन तक वे मरी हुयी भेड़ें वहां पर पड़ी रहीं। मैंने कहा कि अगर ये पड़ी रहीं तो तमाम इलाके में बीमारी फैल जायेगी तो शासन प्रशासन का काम तो यही होगा कि जहां से ऐसी समस्या आती है तो वहां पर जा करके मदद करे, जाये। हांलाकि उन्हीं दिनों में उत्तराखण्ड में भी विपत्ति आयी थी। मैंने मण्डलायुक्त को टेलीफोन किया वहीं से जो शायद ऋषिकेश में थे और उनको बताया कि ऐसी स्थिति यहां पर है, बीमारी फैल जायेगी। मेरे कहने के बाद में तब उन्होंने व्यवस्था की। बाकी वहां के एस0डी0एम0, तहसीलदार और नीचे के अधिकरी कहां चले गये थे, वहां के पुलिस के अधिकारी कहां चले गये थे। वे तो क्षेत्र में जुड़े रहने चाहिये थे। उनमें यह जागरुकता क्यों नहीं आती, क्यों नहीं उनकी ये सोच बनती कि इन समस्याओं का भी हम समाधान करें।

मान्यवर, बाढ़ के लिये मैं चाहूंगा कि अब समय है कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आयी है, वहां कुछ फण्डामेण्टल लैप्सिस हैं, बेसिक कमियां वहां पर हैं। कुछ हद तक बांध बना दिया फिर बीच में छोड़ दिया, फिर आगे से शुरु कर दिया। अब तो समय है आप रिपोर्ट मंगा लें ऐसे क्षेत्रों की जहां-जहां ऐसी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। कम से कम आगे तो बच जायें वे लोग। मान्यवर, जो बाढ़ से पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया गया है। वह भी उल्लेखनीय है। अखबार में निकला कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता होगी, बाढ़ पीड़ितों की सहायता होगी। ऐसे-ऐसे गांव थे जहां अनाज तो छोड़ दीजिये, घरों में पानी भरा रहा तीन दिन तक, चारा तक नहीं रहा पशुओं का। हमने चारे की बात कही तो हां हम इंतजाम कर रहे हैं और मान्यवर, बाद में उनके पास में 70-75 रुपये के चेक गये। लोगों ने कहा कि बस हमें आप माफ कर दो। ये 70 रुपये का चेक लेकर के हमारा आगे तक का इतिहास खराब होगा। हम ले लेंगे कहीं से उधार-सुधार, काम कर लेंगे जा करके। इसके बारे में आप सोचें कि आखिर आज 70 रुपये की, 80 रुपये की कोई कीमत है क्या और वह चेक लेकर जायेगा फिर बैंक में एकाउण्ट खुलवायेगा तब वे 70 रुपये मिलेंगे उसे। मान्यवर, मैंने कहा नहीं था लेकिन वह विषय भी अभी आ गया। पौने दो साल की उपलब्धियां जो बाकी ने 5 साल में प्राप्त नहीं की, वह आपने की हैं। हां नहीं की किसी ने। किसी ने ऐसा नहीं किया कि 2012-13 के गन्ना सत्र का भी बकाया पड़ा हो। कल्पना करो उन परिवारों की, पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ। इस साल का भुगतान नहीं हो रहा। दूसरा आमदनी का कोई साधन नहीं है। कहां से गुजारा हो रहा होगा उनका, कोई चिन्ता है क्या। आज भी पेपर में

है कि डी0एम0 को आदेश दे दिये गये हैं कि उनकी कुड़की हो जायेगी, उनकी रिकवरी हो जायेगी। कुड़की, रिकवरी तो हो जायेगी जब होगी। केन्द्र सरकार ने योजना बनायी कि केवल किसान को भुगतान करने के लिये हम पैकेज दे रहे हैं। बजट में प्रावधान किया उसका। अगर हम लोग चिन्तित होते तो थोड़ा फैसिलिटेटर का काम करते। हमारे अधिकारी इस काम पर लगते कि पैसा जल्दी मिल जाये कि जिन-जिन मिलों का पेमेण्ट नहीं हो पा रहा है। किसान को तो पैसा चाहिये, किसान को नारे नहीं चाहिये, स्लोगन्स नहीं चाहिये किसान को। जब केन्द्र सरकार ने प्राविधान किया था पैसे का, उसका। हम अगर प्रयास करते अपने स्तर से कि हमारी फलां-फलां मिल पर ज्यादा पैसे हैं। हमारी सही जानकारी है, हमारे अधिकारियों की फौज है। केन कमिश्नर से लेकर नीचे डी0सी0ओ0 तक बैठे हुये हैं। हम सुविधा लेते उनसे, सेवा लेते उनसे तो क्यों नहीं उस पैसे का अब तक वितरण हो पाया। अगर सुशासन की बात हम करते हैं, रिफ्रैक्टिव सरकार की बात हम करते हैं तो फिर ये कई महीनों तक ये मामला लम्बित नहीं रहना चाहिये था। आज से 2 महीने पहले वह किसान की जेब में भुगतान हो जाना चाहिये था। आज तक नहीं हुआ, उसके कोई जवाब है सरकार के पास। मान्यवर, कुछ बातें मैंने कहीं और कुछ बातें ऐसी कभी-कभी मुझे लगता है कि हम कहां खड़े हैं, खेती के मामले में। छत्तीसगढ़ इतना सा प्रदेश है, 70 लाख मैट्रिक टन धान केन्द्रीय पूल में उसने दिया। हमने कितना दिया। हम इतने बड़े प्रदेश, 20 करोड़ से ऊपर आबादी, जिलों की संख्या असंख्य बना दी गयी। कृपा हो हमारे बराबर वालों की जिले बढ़ा दिये गये, बढ़ा दिये गए, बढ़ा दिये गए, उन पर निर्माण तो कभी होने का नहीं भी, न पैसा उनके आने का, तबाह हो रहे हैं वह लोग। आखिर कोई कारण है हम क्यों नहीं दें पाये, जो हमारी क्रय एजेन्सी है, वह बिल्कुल निष्प्रभावी हो चुकी है। मान्यवर, आप कल्पना करेंगे, हरियाणा के, पंजाब के किसान को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों को 3200 से लेकर 4200 रूपये की दर मिली है धान की, और जब पूर्वांचल का किसान मेरे पास आता है, गोरखपुर के कुछ लोग मेरे पास आए और हकीकत है मुख्य मंत्री जी यह, पंजाब का भी व्यापारी आया साढ़े आठ सौ रुपये प्रति कुन्तल में धान उनसे खरीदा गया। यहां पर बैठे हैं, विधायक भी पूर्वांचल के मान्यवर, इनसे जानकारी कर सकते हैं सत्तापक्ष वालों से। कहां 4200/- और कहां 850/-रु0, कैसे जियेगा वह किसान। एक फसल तो कम से कम ऐसी आयी थी, जिसने किसान की कुछ आमदनी बढ़ाई थी, लेकिन मान्यवर, उसका जो लाभ होना चाहिए था वह कहीं-न-कहीं हमारी निष्क्रियता से वह लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया। इसका मान्यवर, जिम्मेदार कौन है, क्यों यह क्रय संस्था हमारी इस प्रकार का व्यवहार करती हैं कि टाइम से हम वहां जायेंगे नहीं, अपनी मर्जी से खोलेंगे केन्द्र भी और केन्द्र खोलने के बाद भी खरीददारी भी अपनी मर्जी से करेंगे। इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप ध्यान दें। मान्यवर, गन्ने के बारे में कुछ शब्द कहूंगा मैं, इस समय हालत यह है मुख्य मंत्री जी शुगर केन ऐक्ट है, शुगर केन ऐक्ट में किसी भी आदमी को गन्ना खरीदने का अधिकार नहीं है, जो सूची में न आता हो। आज बहुत-से लोगों ने ठेकेदारी में अपने टोल केन्द्र लगा रखे हैं अलग से और उनकी मिलों से सांठ-गांठ हो गई है अधिकारियों की वजह से। अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो जैनुइन किसान हैं, आज उनको ठेकेदारों के माध्यम से 180-190 रूपये में गन्ना बेचना पड़ रहा है और वह मिलों में जाकर के 260/- के बजाय 220/- में गन्ना बेचते हैं।

20 रुपये का उन्हें फायदा हो जाता है और मिलों को 40 रूपये का फायदा हो जाता है। बगैर अधिकारियों के सांठ-गांठ के हो जायेगा क्या ऐसा ? आप मुजफ्फरनगर, शामली, बुलन्दशहर,

अलीगढ़ आदि का सर्वे करा लीजिए, एक टीम भेज दीजिए। दर्जनों की जानकारी तो मैं दे दूंगा आपको जाकर के। बाकी ये क्यों हो रहा है ऐसा, जब एक शुगर केन ऐक्ट बना हुआ है और उसके माध्यम से हमने अधिकारी भी लगाए हुये हैं, सुपरवाइजर भी लगे हैं मान्यवर, कामगार लगे हैं, जिला गन्ना अधिकारी लगे हैं और उसके बाद भी मान्यवर, हरियाणा से गन्ना आ रहा है, हमारे किसान का गन्ना नहीं जा रहा है। मिल वालों का षडयंत्र है उसमें, क्योंकि उसे कम दामों पर गन्ना मिल रहा है। सरकारी आपने 260/- रुपये का भाव तय किया था कि 260/- रुपये दे दो बाकी बाद में दे देंगे। वह 260/- तो दें, वह भी वे नहीं दे रहे हैं। 220 रुपये में गन्ना खरीद रहे हैं। फिर मान्यवर, पौने दो साल की उपलब्धियों में कैसे बधाई दूं, जब मेरी आंखों के सामने मेरी जानकारी में ये सब बातें हो रही हैं और आज मैंने जो बात कही, केवल इस आधार पर कही कि आप इनका संज्ञान लें और प्रभावी कार्यवाही करें, हफ्ते के अंदर कम से कम यह लगे कि कुछ हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री हुकुम सिंह-

समाप्त कर रहा हूं मान्यवर, आपके कहने की देर थी। मान्यवर, मैनें कुछ सुझाव दिये और कुछ कमियों का उल्लेख किया, मुझे विश्वास है कि उस पर विचार किया जायेगा। आपने समय दिया मान्यवर, उसके लिए आपका धन्यवाद।

*श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अनूप सण्डा जी द्वारा रखे हुए प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं और सम्मानित नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी ने जो संशोधन रखे हैं और जो अपने विचार रखे हैं, उससे अपने आप को सम्बद्ध रखते हुए, कांग्रेस पार्टी द्वारा रखे गए सारे संशोधनों को जोड़ते हुए, उन पर बल देता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, अभी तमाम बातें कहीं गई, और जो पौने दो साल की उपलब्धियों को पुलिंदा मा0 श्री राज्यपाल जी का, हम लोगों के सामने रखा गया, इसे तो मैं बिल्कुल एक सफेद झूठ मानता हूं और पौने दो सालों में जो कुछ भी किया गया, मैं समझ सकता हूं कि वह सब चीजें राजनीति से प्रेरित हैं सोच अच्छी थी परन्तु वह बातें सच साबित नहीं हो पायी जो होनी चाहिए थी। माननीय मुख्य मंत्री जी का विजन अच्छा है वह पढ़े लिखे हैं वह डेवलपमेंट करना चाहते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि यहां पर सत्ता के कई केन्द्र बने हुए हैं आपस में उनमें शीत युद्ध सा चल रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी के जो आदेश होते हैं वह नीचे तक पहुंच नहीं पाते हैं। अफसरशाही बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। मा0 मुख्य मंत्री जी के या माननीय मंत्रीगण के जो आदेश होते हैं उनका अनुपालन नहीं हो पाता है। जो अधिकारियों की मंशा होती है वह वह काम करते हैं। मान्यवर, चाहे आप जिला स्तर पर देंख लें, मंडल स्तर पर देख लें या राज्य स्तर पर देख लें, कोई काम नहीं हो रहा है। डिलेवरी आफ गुड्स का कोई काम होता नहीं है। भले ही उस पक्ष के लोगों का काम हो जाता है लेकिन इस पक्ष के लोगों का कोई काम नहीं हो पाता है। मान्यवर, कानून-व्यवस्था का आज सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है वह इसी कारण से है कि इस प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां पर आज सरे आम औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। बलात्कार की घटनायें हो रही हैं। हत्यायें हो रही हैं। मान्यवर, एक वर्ष में प्रदेश में बलात्कार की लगभग 3000 घटनायें हुई हैं। चोरी की 25,654 घटनायें हुई हैं। अपहरण-फिरौती की 6,120 घटनायें हुई हैं। दहेज मृत्यु की 2078 घटनायें घटी हैं। जो कि पिछली वर्ष की आंकड़ों से लगभग दो गुनी हैं। मान्यवर, इन सबके बावजूद भी, माननीय मुख्य मंत्री जी की इच्छाशक्ति रहते हुए भी यह घटनायें घटित हो रही हैं। और इन सबकी रोकथाम नहीं हो पा रहा है। पूरे प्रदेश में गुण्डा राज है। स्थिति यह है कि जो एस0एस0पी0 हैं उनका लिंक कहां से जुड़ा हुआ है जिस कारण उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। सत्ता दल के नेता माननीय मुलायम सिंह जी की अपील के बाद भी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम गुण्डागर्दी व दबंगई कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन उन पर कोई रोक नही लगा पा रहा है। इस कारण से एक तरह से पूरे प्रदेश में सामान्नतर सरकारें चल रही हैं। मान्यवर, जहां तक साम्प्रादायिक दंगों का मामला है मैं तो सुनकर अचम्भित हो गया जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का यह जबाब आया कि चार साम्प्रादायिक दंगे हुए हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इस सरकार के समय में टोटल 115 दंगें हुए हैं जिसमें से 35 बड़े दंगें हुए हैं। मान्यवर, कोसीकला, मथुरा से शुरू हुआ साम्प्रादायिक दंगा, लगभग दो वर्ष में प्रदेश के अधिकांश बड़े शहरों तथा जनपदों में फैल चुका है। सरकार कानून-व्यवस्था सुदृढ़ होने एवं फर्जी आंकड़ों के आधार पर उसके सुधार की मात्र दुहाई ही दे रही है। लेकिन जो कानून-व्यवस्था की स्थिति है उससे जनता त्रस्त है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह अपना पूरा ध्यान कानून-व्यवस्था को कायम करने में लगायें।

माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा प्रदेश में उद्योगों को बढ़ाने की है वह इसके लिए उद्योगपतियों को इनवाइट भी कर रहे हैं कि वह यहां आयें और इनवेस्टमेंण्ट करें ताकि औद्योगीकरण बढ़ सके और लोगों को रोजगार मिल सके। आपकी मंशा अच्छी हैं। मान्यवर, आगरा में समिट हुई और तमाम ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के लोग आये हैं। सरकार को चाहिए, कि उन लोगों को यहां आने दें। लेकिन देखने में यह आता है कि वह लोग यहां उद्योग लगाने में रुचि नहीं ले पा रहे हैं। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि सरकार गम्भीर है इस संबंध में लेकिन सरकार को आशातीत सफलता नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, यह जो महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण है यह 107 पेजों का दस्तावेज है। इसमें यह दर्शाया गया है कि प्रदेश में रामराज्य है और सबकुछ व्यवस्थायें चौकस हो गयी है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि आम जनता तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है और निचले स्तर पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। मान्यवर सरकार की मंशा साफ है और वह औद्योगीकरण करना चाहती है। मान्यवर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, यहां पर संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं वह हमारी भावनायें उन तक पहुचायेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी की इच्छाशक्ति से और मेरे स्वयं के भी व्यक्तिगत प्रयास से इन्फोसिस कम्पनी के माननीय नारायण मूर्ति जी मान गये और उन्होंने नोयडा में उद्योग लगाने की बात कही है। आने वाले समय में जब वह उद्योग स्थापित हो जायेगा तो पांच हजार से लेकर पचीस हजार लोगों को इम्पलाइमेण्ट मिल जायेगा। कल नोयडा में माननीय नारायण मूर्ति जी से पुनः मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि जब आप नोयडा में अपना उद्योग लगायेंगें, इन्वेस्टमेण्ट करेंगे तो उद्योगपतियों का भी कान्फीडेंस बढ़ेगा और वह आगे आयेंगे। मान्यवर, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है हम सबके सहयोग से

प्रदेश के विकास की बात है। बात प्रदेश की तरक्की की है और जब प्रदेश तरक्की करेगा तो यह पक्ष भी खुश होगा और यह पक्ष भी खुश होगा। हम कहना चाहते हैं इन सब बातों को आपको देखना पड़ेगा। मान्यवर, आम जनता अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करती, यह जनमानस अपने आपको सुरक्षित नहीं महसूस करता, महिलाएं अपने आपको सुरक्षित नहीं महसूस करती। उनको डर लगता है कि शाम के वक्त वह कैसे बाजारों में जायेंगी, उनकी चेन छिन जायेगी, वह लुट जायेंगी हत्या हो जायेगी अपहरण हो जायेगा। जब तक यह भावना समाप्त नहीं होगी तब तक प्रदेश तरक्की के रास्ते पर नहीं जा पायेगा। मान्यवर, बात की गयी मुफ्त पढ़ाई की, मुफ्त दवाईयों की और मुफ्त सिंचाई की। फिर मैं कह सकता हूं कि भाव अच्छा है पर आप जिला अस्पतालों में जाकर देखिये। एक्स-रे की मशीनें खराब पड़ी हुई है, दवायें, आपको सारी दवायें नहीं मिलेगी आपको 3-4 तरह की दवायें जिला अस्पतालों में मिलेगी। जिला अस्पतालों में दवायें उपलब्ध नहीं है। आज स्थिति यह है कि जिला अस्पतालों में एक्स-रे मशीनें काम नहीं कर रही हैं। अल्ट्रासाउण्ड की मशीनें काम नहीं कर रही हैं। रोगियों में, यदि 400-500 रोगी जाते हैं अस्पतालों में तो 50 का इलाज किया जाता है बाकियों को वापस कर दिया जाता है। डाक्टर्स अपना प्राइवेट प्रेक्टिस में लगे रहते हैं। (टोका-टाकी होने पर) वह आपके लिए होगा माननीय मंत्री जी। मंत्री जी यह आपके लिए होगा मैं आम जनमानस की बात कर रहा हूं। सिंचाई की बात जहां तक की गयी, अभी माननीय हुकुम सिंह जी ने बताया 78 प्रतिशत ट्यूबवेल्स का मामला है बाकी 20 परसेन्ट का मामला है, नहरों की सफाई नहीं हो रही है, नहरों को पानी नहीं मिल रहा है किसान लोग त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहे हैं। बिजली की जहॉ तक बात है गांवों की जो व्यवस्था है किसानों को बिजली नहीं मिल रही है और शहरों की तो बहुत ही दुर्दशा है कैसे उद्योग चलेंगे, कैसे फैक्ट्रीज चलेगीं। मैं कहना चाहता हूं एन0आर0एच0एम0 योजना। प्रदेश में केन्द्र सरकार ने तमाम पैसा दिया। तमाम आपने लगभग एम्बूलेंसेस बनाई समाजवादी स्वास्थ्य मिशन लिखा। अरे आप केन्द्र सरकार का भी नाम लिख देते तो क्या जा रहा था। मैं बात की बात कह रहा हूं यह सोच का प्रश्न है। (टोकाटाकी होने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माथुर साहब, आप तो जानते हैं कि दुनिया का निजाम यह है कि गिरती दीवार के नीचे कौन खड़ा होता है।

श्री प्रदीप माथुर-

आप भी गलत फहमी में हो रहे हैं वह निजाम आपके सामने भी है।

सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सा सुविधा की बात हो रही है आप नान सुपर स्पेशिलिटी रख रहे हैं आप उन मेडिकल कालेजज को तो जाकर देखिये जो आपके सरकारी मेडिकल कालेजज हैं। आगरा मेडिकल कालेज के हालात देख लीजिए बिल्डिंगे टूटी पड़ी हुई हैं। वार्डों का यह हाल है कि चूहे दौड़ते रहते हैं बिल्लियां दौड़ती रहती है। मरीज वहां कैसे लेट सकता है, कैसे सो सकता है। डाक्टर्स के पास दवायें नहीं है सुपर स्पेशिलिटी के नाम पर डाक्टर्स प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप कितना समय लेंगे।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, अभी तो समय शुरू ही नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

5.00 बज चुके हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, 5.00 बजने दीजिए, 8.00 बजे तक बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब कल चर्चा जारी रखियेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, इसी तरह से पूर्वान्चल की हालत देखिये। जापानी इन्सेफ्लाइटिस पर रोज चर्चा होती है उसके लिए क्या व्यवस्था प्रदेश सरकार कर रही है यहां पर भाषण होते हैं इन्सेफ्लाइटिस का टीका उपलब्ध नहीं है रोज मौते होती हैं इन्सेफ्लाइटिस के नाम पर। इसी तरह से मान्यवर, डेगू फैल रहा है पूरे प्रदेश में दवा उपलब्ध नहीं है, हालात ठीक नहीं हैं प्रदेश के। ठीक है मंत्री जी भले हैं, चाहते हैं कुछ करना परन्तु उसका आउटपुट क्या है।

श्री अध्यक्ष-

अब कल चर्चा जारी रखियेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, इसी तरह आप बात करें माहौल बनाने की औद्योगीकरण का, माहौल नहीं बनने वाला। आप उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरियाज का हाल देखें। माननीय मंत्री जी, सारे इंडस्ट्रियल एरिया रूग्ण पड़े हुए हैं। आप नये इंडस्ट्री को लाने की बात करते हैं उनके रि-हैबिलिटेशन की बात आपने सोची। आप वह सारे इंडस्ट्रियल एरिया भू-माफिया प्लाट्स के रूप में खरीदने के चक्कर में हो रहे हैं उनका लैण्ड यूज चेंज करने की बात हो रही है। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 फ्री-होल्ड करने की बात कर रहा है उनको रि-हैबिलिटेट नहीं कर पा रहा है। बिल्डिंगे बन रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 5 मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष-

5 मिनट के बाद आपका खत्म हो जायेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, ताज ट्रेपैजियम जोन के अन्दर आप आइये आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी यह इलाके ताज ट्रिपैजियम जोन के हैं। इसमें हमने सी0एन0जी0, पी0एन0जी0 और इन्डस्ट्रियल गैस सैंक्शन कराई, वहां पर इन्डस्ट्रियल एरिया बनाने की बात के लिये हम पिछले पौने दो सालों से लगे हुये हैं, लेकिन यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के एम0डी0, इन्डस्ट्रियल कमिश्नर और प्रमुख सचिव, इंडस्ट्री किसी के कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रही। कोई इच्छाशक्ति नहीं है उन अधिकारियों में, वह नहीं चाहते, कि वहां काम हो । उस मुख्यमंत्री जी की चेयर से, माननीय मंत्री जी की चेयर से भले ही कितने भी आश्वासन आ जायें, पर होगा वही जो अफसर चाहेंगे।

माननीय मंत्री जी, आपका डंडा चलता होगा, माननीय शिवपाल जी का डंडा चलता होगा पर मुख्य मंत्री जी का डंडा नहीं चल रहा। बात प्रैक्टिकल करिये और जाकर देख लीजिये, पूरे प्रदेश के यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के इन्डस्ट्रियल एरियाज का क्या हाल है। यह सच्चाई है और कड़वा सच है कि जब तक आप अपनी इक्जिसटिंग यूनिट्स को ठीक नहीं करेंगे, तब तक भविष्य में नई यूनिटों को लगाने की बात मत करिये।

मान्यवर, इसी तरह से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बातें होती हैं। आप बताइये कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में हम जा रहे हैं, यह आपने इस पुलिन्दे में लिखा है। आप कितने कामयाब हुये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। कितने लोगों से आपने हाथ मिलाया। आज बैकों ने लोन देने से मना कर दिया प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के मामलों में। तो यहां पर बोलना, 107 पेज के पुलिन्दे की किताब को बनाना और कथनी और करनी में देखना कि मैदान में क्या हकीकत है, यह अलग बात है। आज मैदानी हकीकत को देखने से ही काम चलने वाला है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप देखिये कि किस तरह से प्रदेश के धान किसानों का उत्पीड़न हुआ है इस सरकार में। धान किसानों का धान नहीं खरीदा गया, उनको उसका वाजिब मूल्य नहीं मिला और उन्हें दूसरे प्रदेशों में जाकर अपना धान बेचना पड़ा। हम सब लोग पूरा पक्ष और विपक्ष चिल्लाता रहा और वह मंडी समिति धान क्रय केन्द्रों के अफसरों ने खूब कालाबाजारी की और किसानों को जमकर लूटा। यही हालत हमारे गन्ना किसानों की हो रही है न तो 260 का मूल्य उनको मिल पा रहा है, बीच के दलाल सक्रिय हैं और मिल मालिकों से सांठ-गांठ है, पुराना उनका आउटस्टैन्डिंग पेमेन्ट नहीं हो रहा और घोषणायें रोज हो रही हैं। तो इस तरह के सब्जबाग दिखाने से कोई लाभ नहीं। मैं सोच कर आया था कि समाजवादी पार्टी बहुत कुछ करके दिखायेगी और प्रदेश को बहुत ऊंचाई पर ले जायेगी परन्तु टांय-टांय फिस्स हो गया मामला। मान्यवर, स्थिति यह है कि....

श्री अध्यक्ष-

अब रहने दीजिये। कल चर्चा जारी रहेगी।

श्री प्रदीप माथुर-

अब बंद करूं।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन 5 मिनट ही कल आपको मिलेगा। आप बहुत बोल लिये।

[5.02] नियम-51 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24-2-2014 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 48 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री रवीन्द्र कुमार मोल्हू की जनपद सहारनपुर में विभिन्न चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में स्थित संयुक्त चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों व तकनीकी कर्मचारियों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नियमन 2010 के प्राविधानों को लागू किये जाने के उपरान्त भी

अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन निर्धारित न किये जाने के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्री सिनोद कुमार शाक्य की जनपद बदायूं की नगर पंचायत उसवां के चेयरमैन द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में। पांचवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद हरदोई के बिलग्राम-मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत माधौगंज पावर हाउस के नये फीडर का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में। छठी सूचना श्री दलजीत सिंह की बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी किसानों के बैंकों का कर्ज माफ कराये जाने के सम्बन्ध में। सातवीं सूचना श्री दिलनवाज खान की जनपद बुलन्दशहर के स्याना क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्राधिकारी स्याना द्वारा की जा रही निष्क्रियता तथा लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। आठवीं सूचना डा0 अरुण कुमार की जनपद बरेली के 124 शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में। नवीं सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद सहारनपुर के नागल थाना क्षेत्रान्तर्गत गांव सलेमपुर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों एवं महिलाओं पर की गयी पुलिस की बर्बरतापूर्वक ज्यादती के सम्बन्ध में तथा दसवीं सूचना श्री अजय मिश्र ''टेनी'' की विधान सभा क्षेत्र निघासन के सीलिंग पट्टों पर किये जा रहे अवैध कब्जों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत की गईं:-

1. डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल 2. श्री ओम कुमार 3. श्री अगयश रामसरन वर्मा 4. श्री रवीन्द्र जायसवाल 5. श्री विजय बहादुर यादव 6. श्री कालीचरन सुमन 7. श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन 8. श्री बब्बन सिंह चौहान 9. श्री चन्द्रभान सिंह पटेल 10. श्री उमेश पाण्डेय, 11. श्री अवस्थी बाला प्रसाद 12. श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया 13. श्री भीम प्रसाद सोनकर 14. डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी 15, श्री संजय प्रताप जायसवाल 16. श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 17. श्री गयादीन अनुरागी 18. श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी 19.श्री सुरेश कुमार खन्ना 20. सुश्री सावित्री बाई फूले 21. श्री रामचन्द्र यादव 22. श्री पूरन प्रकाश 23. श्री दलवीर सिंह 24. श्री अमित गौरव यादव 25. श्री संतोष पाण्डेय 26. श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज 27.श्री जगन प्रसाद गर्ग 28. श्री मो0 गाज़ी 29. डॉ0 धर्मपाल सिंह 30. श्री सुशील सिंह 31. श्री सुरेश बंसल 32. श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत 33. श्री जय प्रकाश अंचल 34. श्री राजेश त्रिपाठी 35. श्री विजय कुमार दुबे 36. श्री प्रदीप माथुर 37. साध्वी निरंजन ज्योति 38. श्री मुकुट बिहारी वर्मा।

अब हम उठते हैं, कल 11:00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 24 फरवरी, 2014

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 11 विधान सभा (19)-23-04-2014-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।